reports or even put up a counter-advertisement saying that that was false. This type of a thing not only undermines the image, but it creates revulsion in the minds of the people who are, may be, in POK or in our side of Kashmir. Then it swells the ranks of the terrorists. It is part of a propaganda of Pakistan. It is part of their terrorism technique, which is being done. I think nothing is being done to counter it, not from today, but for the last three years; this is not being done.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Now, we will take up the Motion of Thanks to the President's Address. We have agreed that we are not going to have the lunch hour. But you can have your lunch. .. *(Interruptions)*...

SOME HON. MEMBERS: No.

SHRI N.E. BALARAM (Kerala): At least, I do not agree.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We need your cooperation. Mr. Balaram, it is up to you.

SHRI N.E. BALARAM: We can think about the special mention but not about the lunch hour.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Okay, if you want to have lunch, you are most welcome to have your lunch but other Members can speak during the lunch hour. If you may not like to stay here in the lunch hour, it is up to you. If any Member wants to speak in the lunch hour, why do you object to it?

SHRI P. UPENDRA: Madam, we cannot speak to the empty Benches.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We want your cooperation. Some Members will be getting more time to speak.

SHRI P. UPENDRA: There is no hurry.

THE DEPUTY CHAIRMAN: They will be getting more time. Mr. Upendra, you will also be getting more time. It is for your own benefit, I am making this request.

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS —*Contd.*

श्रीमती सुषमा स्वराज (हरियाणा): उपसभापति महोदया, जैसा कि आपने स्वयं फरमाया था कि कार्य सलाहकार समिति द्वारा तय किए गए कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति जी को भेजे जाने वाले धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा 24 तारीख को शुरू होनी थी और पहली तारीख को चर्चा समाप्त हो जानी थी लेकिन पिछले दिनों देश में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिनके कारण सदन में चर्चा तय समय पर शुरू नहीं हो सकी पहली तारीख को ही चर्चा शुरू हुई। सत्ता पक्ष की ओर से श्री नारायणस्वामी ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं श्री मदन भाटिया ने उसका समर्थन किया और आज विपक्षी बेंचों की ओर से मैं पहली वक्ता के तौर पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूं।

महोदया, इस बार हमारे दल को राष्ट्रपति अभिभाषण के समय अनुपस्थित रहने का एक अप्रिय निर्णय लेना पड़ा। "अप्रिय" शब्द का प्रयोग मैंने जान-बूझकर किया है क्योंकि आम तौर पर मेरी पार्टी संसदीय प्रक्रियाओं की गारिमा को बनाए रखने में विश्वास रखती है लेकिन जब पानी सिर से गुजर जाता है तो कई बार अप्रिय निर्णय भी लेने पड़ते हैं लेकिन ये निर्णय लेते वक्त भी हमने स्वतः घोषणा कर दी थी, खत लिखकर राष्ट्रपति जी को भी ये बता दिया था कि इस निर्णय के पीछे हमारा अभिप्राय महामहिम राष्ट्रपति के प्रति किसी तरह का कोई असम्मान या अनादर का भाव व्यक्त करना नहीं है लेकिन चूंकि देश के राष्ट्रपति का अभिभाषण पूरे तौर पर सरकार का नीतिगत वक्तव्य होता है। इसलिए इस सरकार की अलोकतांत्रिक नीतियों का विरोध करने के लिए हम ये निर्णय ले रहे हैं। मैं इस तथ्य को पुनः दृढ़ता से दोहराते हुए अपनी बात इस प्रस्ताव पर शुरू करूंगी।

महोदया, मैं अभिभाषण के आखिरी पन्ने से अपनी बात शुरू कर रही हूं। राष्ट्रपति जी ने ये अभिभाषण समाप्त करते-करते जो आखिरी पैरा पढ़ा वह इस तरह था:—

> "माननीय सदस्यगण, देश आज जिस संकट के दौर से गुजर रहा है उसमें आपके कंधों पर भारी जिम्मेदारी आ पड़ी है। पिछले वर्ष जहां आपने उल्लेखनीय स्तर पर सहयोग देखा, वहीं असहमति के प्रबल पक्ष भी देखे। ये सब एक जीवंत लोकतंत्र को प्रदर्शित करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वर्ष समस्याओं से निपटने के लिए आप पूरे देश के समक्ष अपने उत्कृष्ट आचरण और नेतृत्व का परिचय देंगे"।

महोदया, कितना सुंदर है ये वाक्य कि "सहयोग और असहमति जीवंत लोकतंत्र को प्रदर्शित करते हैं" काश सरकार ने इस वाक्य को अमली जामा भी पहनाय होता। महोदया, आप तो वहीं उपस्थित थीं। 22 तारीख को लगभग 12 बजे राष्ट्रपति जी के मुखारविंद से ये वाक्य निकला होगा और उसके तीन दिन बाद 25 तारीख को ठीक उसी समय हम लोग अपनी आंखों से लोकतं

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

की हत्या होते देख रहे थे। असहमति का गला घुटते देख रहे थे। महोदया, 22 तारीख को राष्ट्रपति जी विश्वास व्यक्त करते हैं कि हम इस वर्ष समस्याओं से निपटने के लिए उत्कृष्ट आचरण और नेतृत्व का परिचय देंगे लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि 25 तारीख को ये सरकार असहमति की समस्या से निपटने के लिए जिस आचरण का आभास दे रही थी, जिस तरह का आचरण कर रही थी, उसे निकृष्ट कोटि में तो रखा जा सकता है लेकिन वह उत्कृषटता के तो कहीं आस-पास भी नहीं था और नेतृत्व का तो उस दिन सर्वथा अभाव था।

महोदया, एक राजनीतिक दल की रैली से निपटने के लिए आप पूरी राजधानी को छावनी बना डालें, आप सांसदों को भी संसद भवन आने से रोक दें। शायद संसदीय इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि संसद के सत्र के चालू रहते संसद के किसी दरवाजे पर ताला लगा हो और ताला लगाने वाला अधिकारी किसी की न सुने। न सांसदों की सुने, न मंत्रियों की सुने, न सेक्रेटरी जनरल की सुने और यही हांकता चला जाए कि "मुझे गृह मंत्रालय का निर्देश है इसलिए ताला नहीं खुलेगा"। क्या इसे आप जीवन्त लोकतंत्र कहेंगे? और दूसरी तरफ शांतिपूर्ण ढंग से गिरफ्तारी देने वाले राजनीतिक विरोधियों को बजाय गिरफ्तार करने के लाठियों से पीटा जाए, पानी के फव्वारे छोड़कर घायल किया जाए, अश्रुगैस के गोले दागकर उन की आखें निकाली जाएं, सारी हया और शर्म एक तरफ छोड़कर पुरुष पुलिस कर्मियों द्वारा महिलाओं के ऊपर लाठियां बरसाई जाएं, एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष की हत्या का कुत्सित प्रयास किया जाए, इसे आप जीवन्त लोकतंत्र कहें? मुझे समझ में नहीं आया कि आखिरकार इस रैली पर पाबंदी का क्या औचित्य था?

श्री सीता राम केसरी (कल्याण मंत्री): कोई प्रभाव नहीं पड़ा रैली का.....**(व्यवधान)**

श्रीमती सुषमा स्वराज: नहीं, आप पर तो प्रभाव नहीं पड़ा, जो चिकने घड़े हैं उन पर प्रभाव जनता डालेगी।..... **(व्यवधान)**

महोदया, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि इस रैली पर पाबंदी का क्या औचित्य था। आप एक राजनीतिक दल की चार-चार सरकारों को बरखास्त कर दो, आप लोगों द्वारा चुनी हुई विधान सभाओं को भी भंग कर दो, आप एक दल के शीर्ष नेताओं को बिना आरोप साबित किए 32 दिन तक गिरफ्तार रखो, उन के सहयोगी संगठनों पर प्रतिबंध लगा दो और अगर इन तमाम बातों के विरोध में रोष प्रकट करने के लिए वह राजनीतिक दल रैली का आयोजन करे, अपने पक्ष में मिल रहे जन समर्थन का प्रदर्शन करने के लिए रैली का आयोजन करे तो आप उन पर पाबंदी लगाएं, मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर इस रैली पर पाबंदी क्यों लगाई गई थी।

महोदया, सत्ता पक्ष के लोग जानते थे कि यह रैली सांप्रदायिक रैली नहीं है, तो भी यह प्रचार किया गया कि यह रैली मुस्लिम विरोधी है, यह रैली मस्जिद विरोधी है, यह सांप्रदायिक भाईचारा तोड़ देगी, यह रैली देश को विभा के कगार पर ले जाएगी। मैं भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत प्रवक्ता के नाते यह कहना चाहती हीं दृढ़ता से कि यह रैली न मुस्लिम विरोधी थी, न मस्जिद विरोधी थी, यह विशुद्ध तौर पर एक राजनीतिक रेली थी जिसका मकसद भाजपा के विरुद्ध किए जा रहे दुष्प्रचार का खंडन करना था, जिस का मकसद हमारे विरुद्ध दुराग्रहों से लिए जा रहे निर्णयों के प्रति रोष प्रकट करना था, सत्ता पक्ष के लोग भी यह जानते थे और मेरी प्रामाणिक तौर पर जानकारी है कि जब कांग्रेस के सांसदों से इस बारे में राय ली गई कि रैली से कैसे निपटा जाए तो सांसदों का बहुमत इस पक्ष में था कि रैली पर पाबंदी लगाना उचित नहीं होगा। ज्यादातर विपक्षी दलों की भी यही राय थी और अब तो यह भी कहा जा रहा है कि प्रधान मंत्री और गृह मंत्री भी नहीं चाहते थे कि पाबंदी लगाई जाए तो फिर किसने पाबंदी लगाई। क्या उस गृह राज्य मंत्री ने जिसे जिम्मा तो सौंपा गया है आंतरिक सुरक्षा का लेकिन जो देश में आतंक फैलाने का काम कर रहा है? वह गृह राज्य मंत्री जिस ने राजनीतिक विरोधियों की पिटाई करवाकर संसद के सर्वोच्च सदन को ताला लगवाकर सरेआम लोकतंत्र को हथकड़ी पहनाकर और स्वयं हेलीकोप्टर से उड़ानें भरकर उस दिन अपने नौसिखिएपन का परिचय दिया? यह तो अभी इब्तदा है, आगे आगे देखिए होता है क्या। उसके अगले ही दिन यहां बोलते हुए मैंने एक बात कही थी जो शोर में दब गई कि इसी तरह के औरंगजेबी प्रकृति के लोग कू कराया करते हैं और मैं चेतावनी देना चाहती हूं प्रधान मंत्री और गृह मंत्री को कि 25 तारीख को जो कुछ हुआ वह तो बगावत का एक ट्रेलर था और जब कू हो जाया करती है तो शाहजहां असहाय खड़े खिड़की में से झांका करते हैं। केसरी जैसे लोग शासन को तरसा करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि गृह राज्य मंत्री को सर्वेसर्वा बनाकर.....**(व्यवधान)**

श्री सुंदर सिंह भंडारी (राजस्थान): अपने चेहरे शीशे में देख लो.....**(व्यवधान)**

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदया, यह सारा कांड हुआ और उस के बाद संसदीय कार्य मंत्री का बयाब आया कि हमने तो कम से कम बल प्रयोग किया, कम से कम बल प्रयोग किया। अगर आप मेरे साथ चलकर के देखना चाहते हैं तो मैं दिखाना चाहती हूं। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में पड़े हुए हैं वह कार्यकर्ता। जिस

बल प्रयोग के कारण एक कार्यकर्ता के हाथ काटने की नौबत आ जाए, तीन व्यक्तियों की आखें निकाल दी जाएं, एक व्यक्ति का कंधा तोड़ दिया जाए और एक की जांघ का भुर्ता बना दिया जाए और इस तरह के बल प्रयोग की बाबत कहा जाएं कि हमने तो कम से कम बल प्रयोग किया। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ शुक्ल जी की यह बात सुनकर क्योंकि उनका राग दरबारी सुनने के तो हम बरसों से आदी हैं। हम जानते हैं इमरजेंसी में भी वह इसी तरह के राग अलापा करते थे। इसलिए मुझे कतई आश्चर्य नहीं हुआ। किस्सा कुर्सी के लिए विख्यात है वह और मुझे तो लगता है कि आजकल जो मंत्रिमण्डल की सूरत बन रही है, वह कुछ-कुछ इमरजेंसी की याद दिला रही है। एक चव्हाण की जगह दूसरे चव्हाण है, ओम मेहता के बजाए एक बड़ा उपयुक्त बदल राजेश पायलेट के नाम पर आ गया है और शुक्ल जी उसमें विद्यमान है। लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूं कि यह अच्छे संकेत नहीं हैं, यह बगावत की ओर इशारा करते हैं, ये तानाशाही के ओर बढ़ते हुए कदम हैं। इसलिए मैं कहना चाहती हूं यहां कि समय रहते सरकार चेत जाए तो अच्छा है वरना वह दिन दूर नहीं जिस दिन लोकतंत्र की जीवन्तता की बात तो दूर, लोकतंत्र के सादे शब्द के सामने भी प्रश्न-चिन्ह लग जाएगा और कान तरस जाएंगे इस तरह के सुन्दर वाक्य सुनने को कि सहयोग और असहमति लोकतंत्र की जीवन्तता को प्रदर्शित करते हैं।

महोदया, हमारे ऊपर साम्प्रदायिक और धर्मनिरपेक्षता को समाप्त करने का बहुत बड़ा आरोप है। दोनों पूर्ववक्ताओं ने इसी बात को लेकर हमारे ऊपर हमला किया है, लेकिन मैं इस बात को सबसे अंत में लेना चाहूंगी, क्योंकि मैंने आखिरी पैराग्राफ से शुरू किया है तो मैं इसी क्रम में आगे बढ़ती हूं और उसका उल्लेख चूंकि पहले पैराग्राफ में है, अंत में मैं इस विषय पर आऊंगी। महोदया, पैरा 38 से पैरा 49 तक, क्योंकि मैंने अभी पैरा 50 पढ़ा था, यह जो 12 पैराग्राफ हैं ये विदेश नीति से संबंधित हैं और विश्व में अलग-अलग देशों में होने वाली घटनाएं, उनका भारत पर पड़ने वाला प्रभाव, इन तमाम बातों के बारे में इनमें उल्लेख है। स्वाभाविक है कि जब हम विदेश नीति की बात शुरू करेंगे तो पड़ोसी देशों से शुरू करेंगे, इसलिए यह पैराग्राफ भी बंगला देश से शुरू होता हुआ, पाकिस्तान से गुजरता हुआ आगे रियो दि जिनेरा तक पहुंचता है। जहां तक बंगला देश की बात यहां कही गई है कि "बंगला देश की प्रधान मंत्री के यहां दौरे के समय बंगला देश को तीन बीघा का गलियारा पट्टे पर सौंप देने की हमारी वचनबद्धता पूरी की गई।" महोदया, हो सकता है, भारत सरकार के लिए यह कार्य गौरवपूर्ण रहा हो, जिसका उल्लेख उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी करना उचित समझा, लेकिन मैं और मेरी पार्टी इसे देश के साथ किया गया बहुत बड़ा अन्याय समझते हैं क्योंकि इस एक गलियारे को दे देने से बंगला देश के दस हजार नागरिकों को अपने भूभाग से जुड़ने का अवसर अवश्य मिल गया है, लेकिन भारतीय मूल के, भारत के 52 हजार नागरिकों को अपनी मातृभूमि से अलग-थलग कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि इसको पट्टे पर दिया गया है। लेकिन आप जानते हैं यह पट्टा कितने साल का है? 999 साल का, एक कम एक हजार साल का। किसी को 999 साल के लिए चीज़ देने का मतलब क्या हमेशा के लिए देना नहीं होता? खैर यह मेरा ऐतराज़ नहीं है क्योंकि पट्टे पर दें या बिना पट्टे के दें, जिन लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ा है, उनकी कठिनाई में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक शिष्ट मंडल तीन बीघा का दौरा करने के लिए गया था, संयोग से मैं स्वयं उसकी सदस्या थी, मैं स्वयं गई थी वहां। मैंने आंख से जाकर उस गलियारे का निरीक्षण किया जो दिया जाना प्रस्तावित था, वहां के लोगों से बात की। हजारों की संख्या में लोग वहां इकट्ठे थे, अपने भविष्य के प्रति आशंकित थे और आक्रोश भी था उनमें और वह आक्रोश और आशंका वह जाहिरी तौर पर प्रदर्शित कर रहे थे। लेकिन मैंने वहां जाकर के देखा कि जो दाहाग्राम और आंगरापोता यह जो दो अंचल वहां दिए गए हैं, जिनके लिए यह गलियारा दिया जा रहा है, उनसे आगे दो अंचलों में भारतीय लोग रहते हैं— कुचलीबाड़ी और दाप्राहाट में और कुचलीबाड़ी और दाप्राहाट के लोगों को इस गलियारे के दिए जाने के बाद अलग कर दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते की पालना करना हमारा कर्त्तव्य था, इसलिए उस समझौते की पालना करते हुए हमने यह तीन बीघे का गलियारा सौंपा है। लेकिन यह तर्क गले नहीं उतरता है क्योंकि सच्चाई कुछ और है। महोदया, शायद आपने इस समस्या को थोड़ा देखा हो, नहीं तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जहां तक अंतर्राष्ट्रीय समझौते का ताल्लुक है, तो अंतर्राष्ट्रीय समझौता तो 1958 में हुआ था उस समय के तत्कालीन प्रधान मंत्रियों के बीच में—एक तरफ से पंडित नेहरू और दूसरी तरफ से नून। तो नेहरू-नून समझौते के नाम से यह समझौता हुआ था जिसके तहत दक्षिण बेरूवाड़ी नामक क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान को, जो आज का बंगला देश है, उसको दिया जाना प्रस्तावित हुआ था। मगर इतना भयंकर जनाक्रोश उस दक्षिण बेरूवाड़ी को हस्तांतरित करने के लिए हुआ, कि वह दक्षिण बेरूवाड़ी दिया नहीं जा सका। फिर 1974 में हालात बदले, बंगला देश बन गया, शेख मुजीबुर्रहमान भारत आए, एक नये सद्भाव की शुरूआत हुई, एक नई मैत्री दोनों देशों में कायम हुई। तो वहां बैठकर के, उस समझौते को बदलकर के

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

और वहां बैठकर के यह तय किया गया कि दाहाग्राम और आंगरापोत जो दो अंचल भारत को दिए गए थे नेहरू-नून समझौते के तहत, वह दो अंचल बंगला देश को दिए जाएं और यही सबसे बड़ी भूल थी। और यह सबसे बड़ी भूल थी क्योंकि वे दो अंचल भौगोलिक तौर से बंगलादेश से जुड़ते नहीं थे। इन दोनों अंचलों को बंगलादेश से जोड़ने के लिए तीन बीघे गलियारे की मांग थी। इसलिए तीन बीघा गलियारे को दिया जाना सीधे-सीधे दाहाग्राम और अंगोरपोटा अंचलों के विनिमय से संबंधित था। सन् 1982 में श्रीमती गांधी दुबारा सत्ता में आई तो एक समझौता हुआ, इन्दिरा-इरसाद समझौता, जिसमें यह तय कर दिया गया कि तीन बीघा गलियारा बंगलादेश को दे दिया जाये, बिना इस बात को देखे कि दाहाग्राम और अंगोरपोटा के दस हजार नागरिक तो बंगलादेश से जुड़ जाने के कारण अपनी भूमि में पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके आगे दो अंचलों में जो भारतीय बसते हैं वे 52 हजार भारतीय जो कट जाएंगे उनका क्या होगा, उनके बारे में किसी ने नहीं सोचा। मैं यह अपनी आंखों से देखकर आई और वापस आकर आडवाणी जी को लेकर स्वयं प्रधान मंत्री जी से मिली और उन्हें सारी चीजें बताई और कहा कि आपसे सिर्फ इतना निवेदन है कि आप 26 जून से पहले एक बार स्वयं तीन बीघा हो आईये। एक बार सब कुछ देख आइये। यहां बैठकर जो कुछ आपको बताया जा रहा है उससे स्थिति फर्क है और अगर आपको यह लगे कि वहां के भारतीयों को कोई कठिनाई नहीं है तो बेशक दे दीजिये। लेकिन आप एक बार हो आइये। उन्होंने बड़े ध्यान से हमारी बात सुनी और कहा कि हां, मैं जरूर जाऊंगा और कोशिश भी जरूर करूंगा कि यथोचित कार्यवाही करूं। लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय की जो हालत है कि पंचों की बात सिर माथे पर, परन्तु परनाला वहीं रहेगा। हर बात सुनी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। न प्रधान मंत्री 26 जून से पहले वहां गये ओर 26 जून को बेगम खालिदा का दौरा हुआ। उस दिन उन्होंने नौजवानों के खून से लथपथ वह गलियारा दमन चक्र चलाते हुए, वहां के विरोध को दमन के साथ कुचलते हुए वह गलियारा बंगलादेश को सौंप दिया और आज राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बात पर संतोष व्यक्त किया जा रहा है कि हमने भारत का एक भूभाग भारतीयों को कठिनाइयों में डालते हुए बंगलादेश को दे दिया है। एक तो यह तरीका निकाला सद्भावना तैयार करने का और अभी एक दूसरा तरीका निकाला गया है सद्भाव का और उस तरीके का इजहार बजट में भी किया गया है। मैं गैलरी में बैठकर बजट भाषण सुन रही थी। मुझे लगा कि शायद वित्त मंत्री अपनी टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने बजट भाषण को पढ़ा तो वह बजट भाषण का बकायदा हिस्सा बना हुआ था। अपने भाषण के "ख" भाग के पृष्ठ 21 पर पैरा 94 में उन्होंने कहा कि बंगलादेश के प्रति सौहार्द के प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध जामदानी साड़ियों को मैं आयात शुल्क से मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं। यह दूसरा तरीका इजाद किया गया है। जामदानी साड़ियों को आपने छूट तो दे दी बिना एक क्षण के लिए यह सोचे कि इससे पश्चिम बंगाल के बुनकरों पर क्या बीतेगी। इससे पश्चिम बंगाल का हथकरघा उद्योग मर जाएगा। पश्चिम बंगाल के बुनकरों के कुशल हाथ इस प्रतियोगिता में नहीं ठहर सकते हैं। लेकिन आपको इसकी कोई फिक्र नहीं है। आप तो सद्भावना कायम करना चाहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा भी सद्भाव कायम करने का क्या तरीका जिससे अपने देशवासियों के साथ अन्याय हो, अपने देशवासियों का शोषण हो। अगर आपको सद्भाव कायम करना था तो आप राजनैतिक इच्छा शक्ति से सामने मेज पर बैठकर जो लम्बित मसले हैं उनको हल करते तो हम सरकार की सराहना करते और दाद देते। इस अभिभाषण में यह लिखा जाता कि जब बेगम खालिदा भारत के दौरे पर आई तो हमने बंगलादेश से आने वाले घुसपैठियों का मसला हल कर लिया। हमने चकमाओं की ससम्मान वापसी का मसला हल कर लिया है और जो वर्षों से नदी जल बंटवारे का मसला है उसको हल कर लिया है। इससे हर एक को खुशी होती। ये वे मसले हैं जो वर्षों से लम्बिल पड़े हुए हैं। पूर्वोत्तर के छापामारों को बंगलादेश से शरण मिल रही है। अगर वह मसला हल कर लिया गया होता बातचीत के जरिये तो मैं सराहना करती और सरकार को दाद देती। लेकिन यह जो लल्लोचप्पों के तरीके सद्भावना कायम करने के लिए निकाले जाते हैं उससे कुछ बनने वाला नहीं है। अगर राजनैतिक संबंध कायम करने हैं तो वे ठोस बातचीत के जरिये हुआ करते हैं, ठोस कार्यवाही के आधार पर हुआ करते हैं।

महोदया, अगला पैरा पाकिस्तान से संबंधित है और उसका मसौदा और उसकी शैली तो और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं पूरा पैरा पढ़ देती हूं, आप स्वयं देख लीजिये। इस पूरे मसौदे से अनुरोध, हताशा और निराश की गंध आती है। मैं पढ़ रही हूं—पाकिस्तान द्वारा जम्मू और कश्मीर और पंजाब में लगातार आतंकवादियों को तोडफोड़ की कार्यवाहियों में मदद देने के बावजूद हमने विभिन्न द्विपक्षीय समस्याओं को हल करने का प्रयास किया है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर प्रधान मंत्री ने पिछले वर्ष दो बार पाकिस्तान के प्रधान मंत्री से बातचीत की, पर दुर्भाग्यवश हमारे प्रयासों को इस दिशा में विशेष प्रगति नहीं मिली, यानी हताशा।

> "हम पाकिस्तान से अनुरोध करते हैं कि वह जानबूझकर कोई विवाद खड़ा न करे और भड़काने वाली कार्रवाइयों से दूर रहे तथा हमारे साथ अपने सम्बन्धों का एकतरफा लाभ उठाने के

लोभ से बचे। द्विपक्षीय बातचीत के अलावा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है"।

इसके साथ ही पैरा समाप्त हो जाता है। पाकिस्तान के संबंध में कुल जमा ये शब्द लिखे गये हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या अनुरोध की भाषा वह आज तक समझा है, जो आगे समझेगा? क्या वह इस तरह की शैली, जो राष्ट्रपति के अभिभाषण में लिखी गयी है, क्या यह उसे और उत्साहित नहीं करेगी? मैं पूछना चाहती हूं कि 85 करोड़ जनसंख्या वाले देश का प्रधानमंत्री इतना असहाय क्यों है? मैं यह नहीं कहती कि आप बातचीत मत करिये, बातचीत जरूर करिये। बातचीत द्विपक्षीय समस्याओं को सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन बातचीत बराबरी के स्तर पर करिये, अनुरोध के स्तर पर नहीं। मैं यहां यह कहना चाहती हूं केवल पाकिस्तान के संदर्भ में नहीं बल्कि मैं कहना चाहती हूं कि विदेश नीति का मसौदा जब भी तय किया जाए चाहे आप अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश से बात कर रहे हों, चाहे अपने पड़ोसी देश बंगलादेश या पाकिस्तान से बात कर रहे हों, स्वाभिमान और दृढ़ता के साथ अगर आप बात करोगे तो देश की आन बची रहेगी और अगर स्वाभिमान और दृढ़ता को छोड़कर बात करेंगे तो इस देश की सार्वभौम सत्ता के सामने एक ऐसा सवालिया निशान लग जायेगा जिसका कोई उत्तर आप नहीं दे सकेंगे।

महोदया, इसके बाद पैरा 34 से पैरा 35 तक हमारे सशस्त्र बलों के बारे में कहा गया है। जो हमारी आर्मी है, हमारी इन्फैन्ट्री है, हमारे सारे सशस्त्र बल है। इसमें धारा 36 में लिखा गया है कि:

"रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में, विशेष रूप से अतिरिक्त पुर्जों के स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता के सम्बन्ध में सुदृढ़ प्रयास किए गए हैं"।

महोदया, मुझे मालूम नहीं कि आपका रक्षा से संबंध है या नहीं और आपको इन प्रयासों की जानकारी है या नहीं। लेकिन मैं प्रामणिक जानकारी के आधार पर कह सकती हूं कि ये प्रयास काफी नहीं हैं। इन प्रयासों के बाद जो हकीकत सामने उभर रही है, उसका चित्र मैं सदन में पेश करूं तो आप चौंक जायेंगे। जबलपुर की गन टैरिफ फैक्टरी गन नहीं बना रही है, कूलर, आलमारी, तवे और देगचिया बना रही है। जबलपुर गन कैरिज फैक्टरी का ओवरहेड 600 प्रतिशत है। मैं प्रमाणिक तौर पर कहती हूं कि टैक बांधने का जो खूंटा बाजार में 7 रुपये में बनता है वह जबलपुर गन फैक्टरी में 65 रुपये में बनता है। जबलपुर गन कैरिज में बने उस खूंटे की कीमत 65 रुपये है जबकि वह बाजार में 7 रुपये में बनता है और जो जबलपुर व्हीकल फैक्टरी जो है वहां 10 हजार कामगार हैं। इन्क्वायरी करा कर देख लीजिये कि वहां औसतन 8 हजार से ज्यादा गाड़ियां वर्षभर में नहीं बन रही हैं। 10 हजार कामगार और 8 हजार से कम गाड़ी यानी एक गाड़ी भी वर्ष में एक कामगार का औसत नहीं है। दूसरी तरफ "टेल्को" मारुति सवा लाख गाड़ियां प्रस्तुत कर रही हैं। लेकिन देश के रक्षा मंत्री कह रहे हैं यह प्रयास बहुत अच्छा है। क्या उनको इन बातों की जानकारी नहीं है? अगर उनको जानकारी है तो इतना उत्साहवर्द्धक ब्यौरा राष्ट्रपति के अभिभाषण में क्यों लिखा जाता है हकीकत तो यह है कि हमारी रक्षा क्षेत्र में लगी हुई तमाम औद्योगिक इकाइयां परस्पर ट्रेड यूनियिनिज्म की शिकार हैं। आये दिन अशांति और झगड़े अखबारों में छपते हैं। यह दुर्भाग्य है कि इस देश की रक्षा उत्पादन की इकाइयों में काम कर रहे कामगारों को हम यह प्रेरणा देने में भी सफल नहीं हो पाये हैं कि वह कोई साधारण कार्य नहीं कर रहे हैं, उनके कार्य में देश की सुरक्षा जुड़ी हुई है, इसलिये वे एक पावन कर्तव्य अदा कर रहे हैं। मगर यह प्रेरणा देगा कौन? रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के बीच में तो 36 का आंकड़ा है। गृह मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के बीच में बोलचाल के रिश्ते भी नहीं हैं। पूरा का पूरा मंत्रिमडल आंतरिक कलह से ग्रस्त है। कौन देगा प्रेरण। यथा राजा तथा प्रजा। ऊपर बैठकर झगड़े की प्रेरण दी है और वे झगड़े की प्रेरण ले रहे हैं। दिन रात झगड़ा, झगड़ा, चाहे वह पूना की फैक्टरी हो, चाहे कानपुर की फैक्टरी हो चाहे जबलपुर की फैक्ट्री हो। तो मैं आपसे कहना चाहती हूं कि रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में आप कितना भी बड़ा बेड़ा, कितना भी बड़ा ढांचा क्यों न रखें, जब तक आप अतिरिक्त पुर्जों के क्षेत्र में स्वदेशीकरण नहीं करेंगे आप इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं हो सकेंगे और आपका ढांचा ध्वस्त हो जायेगा। इराक का अभी हमारे सामने एक सशक्त उदाहरण है। इसलिये मैं कहना चाहती हूं कि आपसी झगड़ों को छोड़कर जब तक उनको यह प्रेरणा नहीं दी जायेगी तब तक यह लक्ष्य साधा नहीं जा सकता।

इसके बाद पैरा 31 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात है। मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे यहां जब शिक्षा की बात होती है तो शिक्षा और साक्षरता को मिला कर के लिख दिया जाता है। मैं आपके माध्यम से अर्ज़ करना चाहती हूं कि शिक्षा और साक्षरता दो अलग अलग अर्थों वाले शब्द हैं। यह न पर्यायवाची हैं और न समानार्थक हैं। एजुकेशन और लिटरेसी दो अलग अलग शब्द हैं। लिटरेसी अक्षर ज्ञान को कहते हैं। साक्षरता आपको अक्षर ज्ञान तो दिला सकती है लेकिन शिक्षित नहीं कर सकती हैं। तमसो मा ज्योतिर्गमय, यह सिद्धांत है शिक्षा का। मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो और जब अंधकार छटता है, जब प्रकाश की किरण व्यक्ति को दिखाई देने लगती है। तब व्यक्ति शिक्षित होता है। लेकिन क्या इस तरह की शिक्षा दी जा रही है?

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

मैं पूछना चाहती हूं। ज़रा देश के स्लेबस को आप उठा कर के देखिए। ग-गधा, यह दिखा कर वर्ण माला का ज्ञान कराया जाता है। दूध में पानी मिला कर कितने प्रतिशत लाभ कमाया जा सकता है, यह मेथेमेटिक्स का स्लेबस है। इतिहास को विकृत कर के तोड़-मरोड़ कर के पेश किया जा रहा है। कल अभी श्री माथुर जी ने इसका एक बड़ा ज्वलंत उदाहरण पश्चिमी बंगाल की नौवीं क्लास के स्लेबस का दिया जिसमें यह बताया गया है कि शिवाजी और महाराणा प्रताप छोटे-छोटे महाराजा थे। हिंदू लोगों ने उनको वीर की उपाधि दे दी। गुरु तेग बहादुर के बारे में अनर्गल टिप्पणियां हैं। इस तरह का स्लेबस दिखा कर के क्या आप व्यक्ति को शिक्षित कर सकेंगे? महोदया, आप जानती हैं कि भारत के अंदर व्यक्ति सब से बड़ा संसाधन है। मनुष्य सब से बड़ा संसाधन है। इसी चीज को जानते हुये शिक्षा मंत्रालय का नाम भी बदल कर के मानव संसाधन मंत्रालय कर दिया गया है। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि केवल दफ्तर के बाहर के नामपट बदले हैं, लेकिन अंदर की विकृतियां वैसी की वैसी हैं। आप मनुष्य का निर्माण इस देश में यदि कर दें तो इस देश के सामने मुंह बाए खड़ी सारी समस्याओं का हल स्वयंमेव हो जाएगा। लेकिन व्यक्ति के निर्माण की दिशा में हम क्या खर्च कर रहे हैं? उस दिन बहुत हेकड़ी भरे स्वर में वित्त मंत्री जी कह रहे थे कि मैंने 952 करोड़ से 1310 करोड़ रुपये शिक्षा के बजट का कर दिया है। जरुर कर दिया 952 करोड़ से 1310 करोड़ रुपये लेकिन इस देश में 1310 करोड़ रुपये 85 करोड़ जनता की शिक्षा के लिए कर्च किया जाये ते क्या यह हास्यास्पद बात नहीं है? मैं कहना चाहूंगी कि इस देश की प्राथमिकताएं तय करते समय व्यक्ति और व्यक्ति के चरित्र निर्माण की सब से बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिये। इसलिए 1310 करोड़ नहीं हजारों करोड़ रुपये यदि खर्च करने पड़े तो करने चाहियें। अपनी प्राथमिकताएं तय करते समय व्यक्ति के निर्माण की ओर सब से ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

उपसभापति महोदया, उससे अगला पैरा राष्ट्रीय महिला कोष से संबंधित है। राष्ट्रीय महिला कोष स्थापित करने का निर्णय सरकार ने किया है, जरूर कोष स्थापित करें, कोष में पैसा रखें। कुशल लोगों के हाथ में उसका प्रबंध दें। इस सब पर मुझे कोई एतराज नही हैं, एतराज हो भी नहीं सकता है। लेकिन मेरा बुनियादी प्रश्न यह है कि इस देश में महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का माहौल हम कब तैयार करेंगे? यह मेरा मूल प्रश्न है। अभी कल वीरेन जे॰ शाह जी ने इस पर एक विशेष उल्लेख के जरिए सवाल उठाया। कितनी दर्दनाक घटना है, कितनी शर्मनाक घटना है, मैं उसको अपने मुंह से नहीं दोहरा सकती हूं। यह घटनाएं नित्य होती हैं। नित्य नया विकराल रूप ले कर सामने आती हैं। सदन में आवाज बुलंद होती है। भर्त्सना की जाती हैं पूरे के पूरे सदन द्वारा। हम बुलंद आवाज के साथ समर्थन करते हैं। कभी-कभी सरकार कार्यवाही करने का आश्वासन भी देती है। लेकिन नतीजा क्या निकलता है, वहीं ढाक के तीन पात। क्या यह सच नहीं है कि इस देश में महिला जन्म से ले कर मरण तक सामाजिक शोषण का शिकार होती है, असमानता का बोझ ढोती है? क्या यह सच नहीं है कि कानूनों के बावजूद समान काम के लिए समान वेतन के कानून के बावजूद और पूरा काम करने के बावजूद पैसा कम पा कर वह आर्थिक शोषण का शिकार होती है? क्या यह सही नहीं है कि पुरुष की विकृत और कंठित मानसिकता के चलते यह यौन शोषण का शिकार होती है। बलात्कार का शिकार हुई महिला न जीने योग्य होती है और न मरने योग्य रहती है। कोई भी कोष उसकी इज्जत की भरपाई नहीं कर सकता है। इसलिए मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि आप कोष तो जरूर बनाइये लेकिन यह निगरानी रखिए कि इस कोष से दिया जाने वाला ऋण कहीं उसके शोषण का जरिया न बन जाए कहीं उसको जल्दी ऋण दिलाने की लालच में अबला की मजबूरियों का फायदा न उठाया जाए, कहीं उसकी सामाजिक सुरक्षा की तरफ किया जाने वाला प्रयास उसको असुरक्षा के घेरे में कैद न कर दे। इसलिए इन चेतावनियों के साथ मैं इस कोष का स्वागत करती हूं। पैरा 29 में पिछड़ी जातियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण से संबंधित उच्चतम न्यायालय के निर्णय की चर्चा है। उपसभापति महोदय, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से शायद कुछ नये प्रश्न उभरे हों, कुछ नयी आशंकाएं भी पैदा हुई हों लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कभी इस विषय पर दुविधा में नहीं रही है। बहुत स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में लिख दिया गया है कि आरक्षण के बारे में हमारी स्थिति सुस्पष्ट है। नम्बर एक, हरिजनों का आरक्षण यथावत चलता रहे, नम्बर दो, पिछड़ों में अत्यंत पिछड़ों को, अति पिछड़ों को आरक्षण सुविधा का लाभ दिया जाए और नम्बर तीन सवर्ण वर्ग के गरीबों को भी आरक्षण की सुविधा का लाभ दिया जाए। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो क्रीमी लेयर वाली बात की है वह भारतीय जनता पार्टी के सोच से हूबहू मेल खाती है। लेकिन एक बात मैं यहां कहना चाहती हूं कि यह आरक्षण केवल सरकारी नौकरियों के संदर्भ में किया गया है। प्राइवेट नौकरियों का तो इसमें कोई दायरा ही नहीं है। लेकिन सरकारी नौकरियां है कहां? आप किस चीज को देने की बात कह रहे हैं। मैं दृढ़ता से कहना चाहती हूं सरकार को कि प्रतिशत का फैसला हो जाएगा, जातियों का मसला भी हल हो जाएगा, जरा यह तो बताइये कि सरकारी नौकरियों की उपलब्धता का आंकड़ा क्या है। कहते हैं सूत न कपास, जुलाहों में लठ्ठम लठ्ठा।

नौकरियां है नहीं और उनके नाम पर जातियों की लड़ाई लड़वाकर इनको लड़वाया जा रहा है। कम से कम नौकरियां तो उपलब्ध करवाइये बाद के मसले तो हम लोग बैठकर हल कर लेंगे।

उपसभापति महोदय, एक मिनट मैं यह जानना चाहूंगी कि मेरा समय कितना है क्योंकि मुझे जो अंतिम विषय हैं उनको जरूर छूना है।

उपसभापति: आपकी पार्टी को एक घंटा और अठ्ठाइस मिनट दिये गये है।

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैंने प्रारम्भ कितने बजे किया है?

उपसभापति: आपने 12 बजकर 46 मिनट पर किया है और आपकी पार्टी के एक घंटा अठ्ठाइस मिनट हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज: मुझे एक घंटे का समय है। मुझे अठ्ठाइस मिनट छोड़ने हैं। एक बजकर छियालीस मिनट तक मेरा समय है। **(व्यवधान)**

अगला पैरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से संबंधित है। महोदय, इस पैरे में कहा है कि अल्पसंख्यक लोगों की प्रगति और उनके विकास का मूल्यांकन करना इस राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का कार्य होगा। मैं यह पूछना चाहती हूं कि प्रगति और विकास के लिए किया क्या गया है जिसका कि आप मूल्यांकन करेंगे। अल्पसंख्यकों को आपने तो केवल वोट बैंक की दृष्टि से देखा है। अगर आप उनको प्रगति और विकास की तरफ बढ़ाते तो वे आपके वोट बैंक नहीं रह जाते क्योंकि व्यक्ति जब शिक्षित हो जाता है, जब सम्पन्न हो जाता है तो राजनीति के कुचक्र को समझने लगता है। लेकिन आप नहीं चाहते कि वे आपके राजनैतिक कुचक्र को समझें। इसलिए आपने उनकी प्रगति और विकास के लिए कुछ नहीं किया। उनकी प्रगति और विकास के लिए अगर बात करनी है तो मैं अपना उदाहरण दे सकती हूं।

महोदया, मैं जब हरियाणा में मंत्री थी तो वक्फ़ महकमा मेरे पास था और वक्फ के महकमे के तहत मैंने देखा कि सारे वक्फ की जायदाद चार चार रुपये प्रतिमाह, चार आने प्रतिमाह, आठ आने प्रतिमाह पर इस तरह से खुर्द बुर्द हो रही है, इस तरह से लोग किराये पर बैठे हैं। तो मैंने तय किया कि सारी जायदाद को आज की बाजारी कीमत पर इन लोगों को बेच कर सारे पैसे से एक छात्रवृति कोष बनाएंगे जहां अल्पसंख्यकों के बच्चों की तालीम के ऊपर उस पैसे को खर्च किया जाना चाहिए। यह थी प्रगति और विकास की बात। यह अलग बात है कि सरकार चली गयी और हम लोग उसको अमली जामा नहीं पहना सके। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि आप कब तक इसको वोट बैंक बनाये रखेंगे। यदि आप वाकई उनकी प्रगति और विकास में थोड़ा बहुत भी मदद करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत भी दृष्टिकोण रखते हैं तो शिक्षा की तरफ उनकी उन्नति करवाइये, रोजगार के द्वार खोलिए, उनको मुहैया कराइये और जहां तक संवैधानिक सुरक्षा उपायों को मानीटर करने की बात है उसके लिए मानवाधिकार आयोग उपयुक्त मंच होगा जो तय करेगा कि किस किसके साथ ज्यादती हुई है और उसको रोकने और उसके निवारण में क्या काम हो सकता है।

उपसभापति महोदया, उसके बाद मैं पैरा 23 पर जो जनगणना से संबंधित है उसके बारे में जरूर एक बात कहना चाहूंगी कि यहां 2.22 दर को घटाकर 2.14 रखने पर भले ही संतोष व्यक्त किया गया हो लेकिन यह संतोषजनक बात नहीं है। इस देश में जनसंख्या का बढ़ना जनसंख्या की वृद्धि इस समय सबसे बड़ी समस्या है। हम हर वर्ष एक नया आस्ट्रेलिया पैदा कर रहे हैं। लेकिन यहां यह भी कहना चाहूंगी कि जो निजी धर्म और कानून की ओट लेकर इस परिवार कल्याण कार्यक्रम को विफल किये जाने का प्रयास किया जा रहा है उसको रोकने की सख्त जरूरत है और वह रुका तो जनसंख्या नियंत्रण में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। पैरा 12 में रोग नियंत्रण कार्यक्रमों की बात है और हेल्थ फार आल बाई 2,000 ए०डी० है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि आज देश में हजारों गांवों में प्रसूति केन्द्र नहीं हैं। बालक को जन्म देने से पहले हजारों-लाखों महिलाएं मर जाती हैं। बुनियादी प्राथमिक सुविधायें गांवों में उपलब्ध नहीं है, प्राथमिक उपचार केन्द्र नहीं हैं और इस देश की सरकार सपना देख रही है—'Health for all' by 2,000 A.D. यानी सात साल बाद सब के लिए स्वास्थ्य मुहैया करा देंगे, सब का स्वास्थ्य सही कर देंगे, यह लक्ष्य रख कर सरकार चल रही है और आज की हालत यह है कि बुनियादी प्रसूति केन्द्र और बुनियादी उपचार केन्द्रों के अभाव में लोग मर रहे हैं।

तो मैं कहना चाहूंगी, अगर इस लक्ष्य की पूर्ति आपने 2000 ई० के बाद भी करनी है, तो कोई ज्यादा गति के ऊपर आपको स्वास्थ्य के कार्यक्रम बनाने पड़ेंगे।

पैरा 20 और 21 में पंचायतों और नगरपालिकाओं की चर्चा की गई है। पंचायत बिल और नगरपालिका बिल पर बोलते हुए मैंने बहुत ही विस्तार से अपनी बात उस समय रखी थी जब 72वां संविधान संशोधन विधेयक और 73वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया था। मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगी, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगी। आप चुनाव समय पर सुनिश्चित करायें, यह एक सराहनीय बात है। आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लिए सीटें

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

आरक्षित करें, यह बहुत अच्छी बात है। आप महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करें, यह उससे भी ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन जब तक आप इन चुने हुए जन-प्रतिनिधियों को वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार नहीं देंगे, तब तक आप इन दोनों संस्थाओं को दर्शनीय दीवे बना करके रख देंगे। वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार दिये बिना यह संस्थाएं काम नहीं कर सकेंगी और इसका उदाहरण हमारे पास है भी, इसकी अगले पैरा में बात करते हुए, मैं कहना चाहूंगी जहां ग्रामीण विकास की बात की गई है, वहां उन्होंने कहा है कि जवाहर रोजगार योजना और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी आई०आर०डी०पी०, दोनों को मिला कर हमने इसलिए कार्यक्रम चलाया है, ताकि अधिक रोजगार के अवसर पैदा हों, अधिक लोगों को काम मिले और अधिक उत्पादक, आर्थिक परिसंपत्तियां सृजित की जाएं।

लेकिन, महोदया, उस दिन आप नहीं थीं जब मैं पंचायत और उस बिल पर बोल रही थी। जे०आर०वाई० योजना के ऊपर एक इवैल्यूएशन प्रोग्राम समिति बनी थी प्लानिंग कमीशन की, कोई प्राइवेट नहीं, योजना आयोग की एक कमेटी गठित की गई थी और उस योजना आयोग द्वारा गठित कमेटी ने जाकर उन गांवों का निरीक्षण किया था, जिन गांवों में यह योजना चल रही है। मैं उसमें से पढ़ करके आपको बताना चाहती हूं। ....**(व्यवधान)** महोदया, अगर आप इनसे थोड़ी फुरसत लें, तो मैं आपकी त्वज्जह चाहती हूं।

श्री एस०एस० अहलुवालिया (बिहार): वह सुन रही है।

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदया, जवाहर रोजगार प्रोग्राम इवैल्युएशन आर्गेनाइजेशन का यह दस्तावेज है कोई प्राइवेट दस्तावेज नहीं है। प्रोग्राम इवैल्युऐशन आर्गेनाइजेशन जो प्लानिंग कमीशन ने बनाया था, उसका दस्तावेज है और इन्होंने जाकर कुछ ऐसी ग्राम पंचायतों का निरीक्षण किया, जिन्होंने फंड्स यूटिलाईज़ नहीं किये थे, कुछ ऐजेन्सियों का किया जिन्होंने फंड कम्पलीट्ली, मुकम्मल तौर पर यूटिलाईज़ किये थे। जिन्होंने कम्पलीट तौर पर यूटिलाईज़ किये थे, मैं उनके बारे में पढ़ करके बताना चाहती हूं। पृष्ठ 57 में पैरा 5.12 मे है-

> "The Gram Panchayats which had utilised the funds could provide employment to a person for an average number of 11.44 days and 15.68 days during 1989-90 and 1990-91 respectively."

यानी 1989-90 में आपकी यह जवाहर रोजगार योजना, जिसका कि आपने इतना हल्ला मचाया था और कहा था कि हम कितने मैनडेज़, कितने निकम्मे हाथों को काम दे रहे हैं, उस जवाहर रोजगार योजना के तहत 1989-90 में वर्ष में केवल बारह दिन का काम मिल सका और उस ग्राम पंचायत का विश्लेषण है यह, जिसने मुकम्मल तौर पर अपने फंड्स यूटिलाईज़ किये थे।

महोदय, मैं जवाहर रोजगार योजना के ऊपर बोल रही हूं कि जिस ग्राम पंचायत ने जवाहर रोजगार योजना के तहत दिये गये फंड्स का मुकम्मल यूटिलाईजेशन किया था, उसका यह कमेटी निरीक्षण के बाद कहती है कि एक वर्ष में केवल बारह दिन-बारह दिन तो मैं कह रही हूं- यह तो 11.44 ही कह रहा है। मैं तो बढ़ा कर कह रही हूं, केवल बारह दिनों का रोजगार दे सकी एक साल में, 1989—90 में और केवल सोलह दिन का रोजगार दे सकी 1990—91 में।

यह तो रोजगार देने की हालत है और उसके बाद यह सफल क्यों नहीं हो पाया। यह इसलिए नहीं हो पाया—उसका उसने निचोड़ दिया है-

> "The plan of action instead of being prepared by Gram Panchayats was prepared by the Block Agency thereby ignoring the felt needs of the people."

यानी हम संस्थायें बना देते हैं, पैसा भेज देते हैं, लेकिन जो मूल वहां का निवासी है, जो अपनी जरूरतों को जानता है, उसकी शिरकत नहीं करवाते ऊपर से जा करके अफसरान काम करते हैं। इसलिए मैं इन दोनों पैराग्राफ्स को मिला करके पढ़ रही थी और बताना चाह रही थी कि यह जो जन-प्रतिनिधि चुन कर आयेंगे पंचायतों और नगरपालिकाओं में चुन करके आयेंगे, उनको जब तक आप वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार नहीं देंगे, पैसा भी दीजिए, साथ में यह अधिकार भी दीजिए कि जो अधिकारी या एग्जीक्यूटिव वहां पर काम करने के लिए, उस पूरे प्रोग्राम के कार्यान्वयन के लिए पहुंचेगा, उसके ऊपर प्रशासनिक अधिकार भी उन पंचायत और नगर-पालिकाओं के पास हों और वित्तीय अधिकार भी उनके पास हों, तब तो ये दोनों संस्थाएं सुचारु रूप से चल सकेंगी और वाकई इस देश के लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में एक मील का पत्थर साबित होंगी वरना ये दर्शनीय दीवे बन करके रह जायेंगी। मैडम, पैरा 17 में सार्वज़निक वितरण प्रणाली का जिक्र किया गया है। अब सार्वज़निक वितरण प्रणाली की सफलता घोषित करते हुए कहा गया है कि जब से नवीकृत सार्वज़निक वितरण प्रणाली प्रारम्भ की गई है, तब से इन ब्लाकों में 10,121 नई उचित दर की दुकानें खोली गई हैं और 26 लाख अतिरिक्त राशनकार्ड जारी

कर दिए गए हैं। महोदया, कर दिए गए हैं। महोदया, किसी भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सफलता की कसौटी यह नहीं होती कि वहां कितनी दुकानें खुलीं और कितने राशन कार्ड बने। इसकी कसौटी यह होती है कि उन दुकानों पर बांटने के लिए कुछ पहुंचा भी और अगर उन दुकानों पर बांटने के लिए कुछ पहुंचा तो उनको मिला भी जिनके लिए गया था। अगर मिला तो किस नाम पर मिला और कैसा माल मिला। यह सफलता की कसौटी है। मैं यह कहना चाहती हूं कि यह सार्वजनिक वितरण रणाली शुरु करते समय ढोल पीट-पीट करके उस गरीब को कहा गया कि जो बाजार भाव में चीज़ खरीद रहे हो उससे कहीं कम दाम पर तुमको यहां मिलने वाली है। तुम आओ और राशन की दुकान से लो। लेकिन इधर सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरु हुई है अक्तूबर 1992 में और 4 महीने के बाद राशन की चीनी के दाम साढे 6 रुपये से साढे 8 रुपये कर दिए। तो जिस साढे 8 रुपये पर वह बाजार से लेता था बल्कि सवा 8 रुपये पर बाजार से लेता था और जब वह राशन की दुकान पर पहुंचेगा यह अपने मन में उम्मीद बांध करके कि ढोल के नाते से तो उसने यह सुना था कि उसको बाजार से कम दाम पर यहां चीज़ मिलेगी और वहां से सवा 8 खरीदता जब वहां जा करके राशन डिपो का मालिक उसे कहेगा साढे 8 रुपये किलो है तो वह अपना माथा नहीं फोड़ लेगा? मैं एक और भी मिसाल जोड़ दूं तो अच्छा है, क्योंकि पैरा 15 में जहां कृषि की अर्थ-व्यवस्था का जिक्र किया गया है वहां यह भी लिखा है पता नहीं आपको भी इस बात का मालूम है या नहीं। तो इसमें पढ़ा तो पता चला कि अक्तूबर, 1992 को समाप्त होने वाले चीनी वर्ष में हमारा चीनी का उत्पादन 133 लाख मीट्रिक टन था। जिसके फलस्वरूप भारत विश्व का सब से बड़ा चीनी उत्पादक देश बन गया। यानी अक्तूबर 1992 में भारत विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश बन गया। लेकिन 4 महीने बाद भारत के गरीब को जो सवा 6 रुपये पर चीनी खाता था उसको साढे 8 रुपये किलो के हिसाब से चीनी खिलाई जाएगी। अगर यह भारत विश्व का सब से बड़ा चीनी उत्पादक देश है अगर चीनी देश में मौजूद है तो उस गरीब को भी जरा इसका स्वाद चख लेने दो। उसको भी जरा पता लगे कि हां मेरे देश में उत्पादन ज्यादा हुआ है। मैं भी चीनी की चाय पी सकूं जो आज तक गुड़ की पीता आया हूं। लेकिन एक तरफ हम यह दावा कर रहे हैं खड़े हो कर कृषि के पैराग्राफ में कि भारत विश्व का सब से बड़ा चीनी उत्पादक देश बन गया और दूसरी तरफ हम अपने गरीब को चीनी साढे आठ रुपये किलो के भाव से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए दे रहे हैं।

उपसभापति महोदया, पैरा 7 से पैरा 14 आर्थिक नीति से संबंधित पैराग्राफ्स हैं। आप जानती हैं कि आर्थिक नीति से संबंधित जो पैराग्राफ्स होते हैं वे आंकड़ों से खूब सजाए जाते हैं। क्योंकि कोई आंकड़ों के भ्रमजाल से निकले तो उनकी असलियत को देखे मैं इन आंकड़ों में अभी उलझना नहीं चाहती क्योंकि वैसा भी मैं समझती हूं कि बजट पर की जाने वाली चर्चा उसका एक उपयुक्त समय होगा। लेकिन मैं एक मूल बात जरूर वित्त मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्योंकि क्या घटा, कितने प्रतिशत घटा और कितने प्रतिशत बढ़ा, इस चीज़ के बारे में एक आम आदमी को कोई सरोकार नहीं है। वह तो महज इतना जानता है कि उसे कहां राहत मिली और कहां उसे मार पड़ी। मैं अर्थशास्त्र की कोई बहुत बड़ी विद्यार्थी नहीं रही हूं, हमारे वित्त मंत्री तो अर्थशास्त्र के बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन क्या मैं यह पूछ सकती हूं कि मंदी की शिकार अर्थ व्यवस्था को उबारने के लिए क्या करना चाहिए? एक अर्थशास्त्र का पहली कक्षा का विद्यार्थी भी यह जानता है कि मंदी की शिकार अर्थ व्यवस्था को उबारने के लिए जेब में खरीदने की ताकत बढ़ानी चाहिए। अगर जेब में खरीदने की ताकत होगी नागरिकों के तो मंदी की शिकार अर्थ व्यवस्था उबर सकती है। मैं बड़े अदब से वित्त मंत्रीजी से केवल इतना जानना चाहती हूं कि उनके पूरे बजट में यह "थर्स्ट" क्यों नहीं है? क्योंकि जेब में खरीदने की ताकत को कैसे बढ़ा सकते हैं, ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा कर के, निकम्मे हाथों को काम देकर या ज्यादा-से-ज्यादा आयकर की छूट सीमा को बढ़ाकर ताकि जो आमदनी वह प्राप्त कर रहा है कम-से-कम उससे ही उसकी जेब में बचत हो सके, लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि वित्त मंत्री की दृष्टि में बजट बनाते समय यह आम आदमी क्यों नहीं था, नितांत गरीब क्यों नहीं था, निम्न मध्यम वर्ग का आदमी क्यों नहीं थे, क्यों उनकी दृष्टि केवल उच्च मध्यम वर्ग से शुरू हुई और धनवान पर जाकर टिक गयी। उन्होंने अपने बजट में एअर कंडीशनर सस्ते किए, मोटर कार सस्ती कीं, कलर टी०वी० सस्ते किए, रेफ्रीजेरेटर सस्ते किए। क्या इनमें से कोई भी एक चीज निम्न मध्यम वर्ग का आदमी या साधारण मध्यम वर्ग का आदमी खरीद सकता है? क्या इन चीज़ों की खरीददारी मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग से शुरु होकर धनवान तक जाकर टिकती नहीं है? मैं यह जानना चाहती हूं कि यह थर्स्ट क्यों नहीं थी? महोदया, मुझे संकोच हो रहा था उस रिक्त गैलरी में बैठकर जब मैं भाषण सुन रही थी कि इतने बड़े देश का वित्त मंत्री जोकि बीमार अर्थ व्यवस्था को सुधारने का जिम्मा संभाले हुए है, उसकी प्राथमिकताओं में क्रीम और पाउडर सस्ता करना है, शैंपू और साबुन सस्ता करना है। क्या ये प्राथमिकताएं होनी चाहिए हिंदुस्तान के वित्त मंत्री की? हो सकता है कि वित्त मंत्री ने यह सोचा हो कि सरकार की इस बिगड़ी हुई सूरत को क्रीम पाउडर से पोतकर वह अच्छा बनाकर

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

दिखा देंगे, लेकिन महोदया, मैं कहना चाहती हूं आपके माध्यम से कि इस सरकार की सूरत इतनी बिगड़ गयी है कि उसे क्रीम, पाउडर से तो क्या प्लास्टिक सर्जरी से भी खूबसूरत नहीं बना सकते।

श्री एस०एस० अहलुवालिया: सरकार के लोग बदसूरत लगते हैं?

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं सरकार की सूरत की बात कह रही हूं।

श्री एस०एस० अहलुवालिया: अगर सरकारी बेंचों पर बैठने वाले बदसूरत लगते हैं, अगर हम बदसूरत लगते हैं तो खूबसूरती क्या है, वह बता दें?

श्रीमती सुषमा स्वराज: आप सरकार में कहां हैं? अहलुवालिया जी, आपको यह गलतफहमी कैसे हो गयी कि आप सरकार में हैं। मैं तो सरकारी सूरत की बात कर रही हूं, मैं कांग्रेसी सांसदों की बात नहीं कर रही हूं।

महोदया, इसके बाद पैरा-6 में पूर्वोत्तर राज्यों का जिक्र है।

श्री कमल मोरारका (राजस्थान): मैडम, लंच?

उपसभापति: लंच तो आप कर सकते हैं। लंच के लिए थोड़े ही मना कर रहे हैं।

श्री दिग्विजय सिंह (बिहार): मैडम, यह एक गंभीर मसला है, हम सब लोग सुनना चाहते हैं।

उपसभापति : वह बड़ी देर से बोल रही हैं। अब तो उनके केवल 6-7 मिनिट ही रह गए हैं बोलने के।

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदया 6-7 मिनिट ही नहीं, मैं 1 बजकर 46 मिनिट तक बोलूंगी। महोदया, पूर्वोत्तर में कुल मिलाकर स्थिति नियंत्रण में है, यह दावा किया गया है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूं असम में उल्फा, त्रिपुरा में ए०टी०टी०एफ०, मणिपुर में पी०एल०ए०, नागालैंड में एन०एस०सी०एन० और मिजोरम में एच०पी०सी० में से कौनसे एक बागी फोर्स के ऊपर आपने नियंत्रण किया है? ये सारे-के-सारे बगावत के फोर्सेस वहां विद्यमान है और हालत यहां तक खराब है कि नागालैंड में जो मुख्य मंत्री बने हैं, श्री एस०सी० जमीर, उनको नागा विद्रोही दिल्ली में औरंगजेब रोड पर नागालैंड हाउस के अंदर गोली मारकर घायल कर गए और आप दावा करते है कि पूर्वोत्तर में स्थिति नियंत्रण में है। अभी तक तो नागा विद्रोही वहां वार करते थे या बांग्लादेश में शरण लेते थे, लेकिन आज उनके हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वह दिल्ली में आकर वार कर रहे हैं और दिल्ली की सरकार कह रही है कि पूर्वोत्तर में कुल मिलाकर स्थिति नियंत्रण में है।

महोदया, यह भी दावा किया गया है कि नागालैंड और मेघालय में चुनाव संपन्न हो गए। क्या मैं पूछ सकती हूं कि शुरु तो तीन प्रदेशों के हुए थे, लेकिन संपन्न दो के क्यों हुए? त्रिपुरा में चुनाव क्यों नहीं हो सके? मैं अभी उस मसले को नहीं उठाना चाहती क्योंकि मुझे असल मुद्दे तक पहुंचना है, इसलिए इस समय उसको नहीं उठाऊंगी, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकती हूं कि अभी भी आगे रि-शेड्यूल समय पर त्रिपुरा में चुनाव हो सकेंगे, इसके सामने भी एक सवालिया निशान लग गया है। कह दिया है चुनाव आयोग ने कि 3 अप्रैल तक चुनाव नहीं कराएंगे अगर आप उन 11 दोषी अधिकारियों के खिलाफ 21 मार्च तक कोई कार्यवाही नहीं करेंगे उसके बारे में सरकार क्या करने वाली है, हम इंतजार कर रहे हैं गृहमंत्री के बयान का। उसके बाद इस मसले पर जो कहना होगा वह कहेंगे।

उपसभापति महोदया, पैरा पांच में पंजाब में लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार का जिक्र है। वाकई बधाई की पात्र है वह सरकार, जिस तरह से वहां अब दुबारा से लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल हुई है, नगर पालिका चुनाव हुए है, पंचायत के चुनाव हुए हैं, लेकिन केवल एक ही बात कहना चाहूंगी, यहां लिखा है कि सरकार पंजाब में सभी अनसुलझे मसलों का उचित एवं सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के लिए वचनबद्ध है तो एक अनसुलझे मसले की तरफ मैं इनका ध्यान दिलाना चाहती हूं कि एस०वाय०एल० कैनाल का मसला बहुत वर्षों से अनसुलझा है, उसमें बहुत मजदूर मारे गए हैं आतंकवादियों के हाथों से, इंजीनियर्स मारे गए, लेकिन चूंकि अब पंजाब में माहौल बदला और हम सब आशा भी कर रहे है, विश्वास भी प्रकट कर रहे हैं और प्रार्थना भी कर रहे हैं कि पंजाब अपने सामान्य बहाली की तरफ जाए तो मैं इतना जरूर चाहूंगी कि यह जो वर्षों से लंबित मसला है एस०वाय०एल० कैनाल का, इसको दुबारा से सुलझाने की तरफ ध्यान दिया जाए।

[उपसभाध्यक्ष (श्री वी० नारायणसामी) पीठासीन हुए]

महोदय, पैरा चार, जो जम्मू-कश्मीर से संबंधित है, काफी लंबा-चौड़ा पैरा लिखा गया है। लेकिन, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक वाक्य भी जम्मू-कश्मीर के पैराग्राफ में, एक वाक्य भी कश्मीरी हिन्दु की वेदना के लिए नहीं लिखा गया है। यह 30-35 लाइनों का पैराग्राफ है, इसमें सुरक्षा बलों के बारे में जिक्र है, आतंकवाद के बारे में जिक्र है, लेकिन एक लाइन भी कश्मीरी हिन्दू की वेदना के लिए नहीं लिखी गई, जो कि वर्षों से यहां छावनियां बनाकर टैंटों के अंदर पड़े हैं, सर्दी की ठिठुरती रातें और गरमी की झुलसती दोपहरियों तम्बुओं के अन्दर बिता रहे हैं, जिनके बच्चों की पढ़ाई समाप्त हो गई है, उनके लिए एक लाइन भी, एक पंक्ति भी इस पैराग्राफ के अंदर उस हिन्दू की वेदना के लिए नहीं लिखी गई। क्यों नहीं लिखी गई? क्योंकि

अगर लिखते तो आप सांप्रदायिक हो जाते। ...(**व्यवधान**)....

SHRI N.E. BALARAM (KERALA): They have mentioned nothing about the Buddhists also.

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश): आप क्या पहेली कर रहे हैं?...(**व्यवधान**)....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Ram Nareshji, kindly allow.

Smt. Sushma Swaraj to continue. Kindly do not interrupt.

श्री विष्णु कान्त शास्त्री (उत्तर प्रदेश): देखिए, चोट कहां लगती है।..... (**व्यवधान**)....

उपसभाध्यक्ष (श्री वी॰ नारायणसामी): शास्त्री जी, आप बैठिए।

श्री विष्णु कान्त शास्त्री: चोर की दाड़ी में तिनका। ....(**व्यवधान**)

THE VICE-CHAIRMAN (CHRI V. NARAYANASAMY): Shastriji, it is Smt. Sushma Swaraj who is speaking, not you.

श्रीमती सुषमा स्वराज: उपसभाध्यक्ष जी, मुझे आभास था इस चीज का, मैं पिछले 45 मिनट से बोल रही हूं, मैंने सरकार पर प्रहार की है, मगर कोई नहीं बोला और जहां मैंने यह कहा कि कश्मीरी हिन्दू वहां के शरणार्थी के बारे में कहा, शोर मच गया। मैं जानती थी और इसलिए मैंने जानबूझकर इस विषय को अन्त में लिया। यह जानबूझकर नहीं लिखा गया। यहां तक आप बुद्धिस्ट की बात कर रहे हैं। अगर आप चुप रहते तो अगली लाइन मैं वही कहने वाली थी। पूर्वोत्तर में जो चकमा बुद्धिस्ट है, उनके बारे में भी इसमें नहीं कहा। क्यों? क्योंकि हिन्दू की बात करके सरकार सांप्रदायिक हो जाती। इस देश में धर्मनिरपेक्षता की यह परिभाषा कर दी गई है कि आप जब तक अपने हिन्दू होने पर गाली नहीं देते तब तक आप इस देश में धर्म-निरपेक्ष नहीं रह सकते। यह नई परिभाषा रखी है आपने। अगर आप हिन्दू की प्रति अन्याय की बात उठाते हैं सदन के अंदर या सदन के बाहर तो आपको सांप्रदायिक करार दे दिया जाता है।

उपसभाध्यक्ष जी, मदन भाटिया जी बोल रहे थे, यहां सरकार के बचाव में बोल रहे थे। कल अपने धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए मदन भाटिया ने कहा कि इस देश में सांप्रदायिक राजनीति की शुरूआत तो जनता पार्टी के समय हुई, जिस समय मुस्लिम नेताओं को मंच पर लाकर के भाषण कराए गए। आज होते मदन भाटिया, तो मैं पूछना चाहती थी कि हां, ठीक है हमने तो केवल मंच पर शिरकत की थी उनसे, मगर तुम तो मुस्लम लीग के साथ सरकार में शिरकत कर रहे हो और आज से नहीं बल्कि वर्षों से कर रहे हो। मैं आपके माध्यम से, उपसभाध्यक्ष जी, कहना चाहती हूं कि केरल के अंदर मुस्लिम लीग के साथ सरकार चलाएं आप और सांप्रदायिक हम। कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के अंदर मुस्लिम लीग के साथ एलाइन करें आप और सांप्रदायिक हम। आंध्रप्रदेश में एम॰आई॰एम॰ के साथ समझौता करें आप और सांप्रदायिक हम। मिजोरम में क्रिश्चियन सरकार का दावा करें आप, वादा करें आप और सांप्रदायिक हम। कहां तक गिनांऊ, आपके फिरकापरस्त चेहरों की तफसील बहुत लंबी है और आपने तरह-तरह की नकाबें समय-समय पर बदली हैं, बहुत बखूबी बदली हैं। जम्मू में जाकर आप हिन्दू चेहरा लगाकर वोट बटोरते हैं। दिल्ली में आकर आप सिख विरोधी चेहरा लगाकर के वोट बटोरते हैं, मिज़ोरम में आप इसाई चेहरा लगाकर के वोट बटोरते हैं और आज तो आप हिन्दू चेहरा लगाएंगे या मुस्लिम चेहरा लगाएंगे, दुविधा आपके मन में बनी हुई है। बार-बार कोशिश कर रहे हैं आप, कभी आप हिन्दू चेहरा लगाते हैं, कभी आप मुस्लिम चेहरा लगाते हैं और हो यह रहा है कि दुविधा में दोनों गए अल्लाह मिला न राम।

उपसभाध्यक्ष महोदय, कल मदन भाटिया जी बोल रहे थे, जब अयोध्या का वह जिक्र कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि संविधान की धारा 138 और 143 के रिफरेंस में क्या अंतर है, 138 में क्यों नहीं किया। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान का हिन्दू यह स्वीकार कर चुका है कि वहां राम का जन्म हुआ था, उन्होंने यह भी कहा - गर्दन मत हिलाइए प्रोसिडिंग देख लीजिए उन्होंने कहा कि वह उसी तरह स्वीकार कर चुका है जिस तरह से सिख भाई यह मान चुके हैं कि पंजा साहब में लगा हुआ पंजा गुरू नानक देव का है, जिस तरह से मुस्लिम भाई यह मान चुके हैं कि हज़रत बल में रखा हुआ बाल मोहम्मद हज़रत का है, जिस तरह से क्रिश्चियन यह मान चुके हैं कि येरूशलम के सामने बनी चर्च में क्राइस का जन्म हुआ था, उन्होंने यह कहा, लेकिन जो आप गर्दन हिला रहे हैं उसका जवाब दे रही हूं। उन्होंने साथ में यह कहा कि यह बात बी॰जे॰पी॰ के प्रापोगंडा के कारण देश का हिन्दू स्वीकार कर चुका है। मैं दृढ़ता से यह कहना चाहती हूं कि देश की कोई राजनीतिक मुहिम इस तरह की आस्था और विश्वास पैदा नहीं कर सकती। अगर मदन भाटिया यहां बैठे होते तो मैं उनसे कहना चाहती थी कि यह विश्वास तो सदियों से चला आ रहा है, उनकी पड़दादी और मेरी पड़नानी के पहले से चला आ रहा है, फर्क सिर्फ इतना है कि मैं इस विश्वास

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

को आज तक सहेज कर चल रही हूं और उनका विश्वास छद्म धर्मनिरपेक्षता के नीचे सिसक रहा है। कभी-कभी उसकी टीस सुनाई देती है, कल उनके भाषण में झलक रही थी, लेकिन अनायास उन्हें याद आ रहा था कि वह देश की ओर से नहीं कांग्रेस की ओर से बोल रहे हैं और कांग्रेस के किसी प्रवक्ता को यह इजाज़त तो हो ही नहीं सकती कि वह मन की बात कहे, हृदय की बात कहे, अपनी आत्मा की बात कहे और इसलिए यह मुड़ जाते थे। लेकिन आज अगर मदन भाटिया यहां बैठे होते तो उन्हीं का तर्क देकर मैं यह बताना चाहती थी कि अगर आप यह कहते हैं कि देश का हिन्दू स्वीकार कर चुका है और यह उसी तरह की आस्था है जिस तरह की सिख भाइयों की पंजा साहब के बारे में है, मुस्लिम भाइयों की हज़रत बल के बारे में है और क्रिश्चियन भाइयों की येरूशलम के बारे में है, तो क्या किसी में हिम्मत है कि इन तीन आस्थाओं के ऊपर प्रश्न की एक अंगुली खड़ी कर सके नहीं। क्या किसी में हिम्मत है कि इन पर कोई विवाद खड़ा कर सके? नहीं तो फिर इस अकेले राम जन्म भूमि के प्रश्न को विवाद के घेरे में क्यों डाला गया है? क्यों इसको कोर्ट-कचहरियों में ले जाया जा रहा है? आज आप कह रहे हैं कि आपने 143 में रिफरेंस कर दिया, किस चीज़ का रिफरेंस किया? सिंगल प्वाइट रिफरेंस है, मैं अयोध्या का वाइट पेपर लेकर आई हूं, कि क्या वहां पर कोई हिन्दू मंदिर था या नहीं? अरे, इतने अवशेष निकल चुके हैं, सारी मूर्तियां उस खुदाई के अंदर से बाहर आ चुकी हैं, इसके बावजूद अभी भी यह प्रश्न आपके सामने अधूरा और अनसुलझा है कि वहां पर हिन्दू मंदिर था या नहीं। अब चलिए, आपने दे दिया सुप्रीम कोर्ट को और आपने सुप्रीम कोर्ट से यही तो तय करवाना चाहा है कि वहां पर हिन्दू मंदिर था या नहीं, तो आपने साथ ही में ट्रस्ट की घोषणा क्यों कर दी? आपने वहां मस्जिद बनाने का ऐलान कैसे कर दिया? कल पूछ रहे थे मदन भाटिया कि सरकार अनिर्णय की स्थिति में कैसे है, सरकार इनडिसिसिव कैसे है? मैं बताती हूं। यह सरकार 6 दिसम्बर की शाम को ऐलान करती है कि वहां मस्जिद बनाई जाएगी, 7 दिसम्बर को ऐलान करती है कि वहां विवादित ढांचा पुनः बनाया जाएगा और उसके बाद ऐलान करती है कि वहां मंदिर भी बनाया जाएगा और मस्जिद भी बनाई जाएगी। 143 में आपने रिफरेंस किया और साथ में ही आपने ट्रस्ट का गठन कर दिया और मंदिर और मस्जिद दोनों बनाए जाएंगे। तो आप किस बात पर राय मांग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की? और सुप्रीम कोर्ट राय देगा या नहीं, इस पर अभी सवालिया निशान लगा हुआ है। अभी तक सिर्फ इस बात पर बहस कर रही है सुप्रीम कोर्ट कि इस पर राय देनी चाहिए या नहीं। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इस तरह के विवाद का हल केवल राजनीतिक इच्छा-शक्ति से हुआ करता है, न्याय पालिका के कंधे पर बंदूक चलाकर के नहीं हुआ करता। अगर आपस में राजनीतिक इच्छा-शक्ति है तो इसका हल ढूंढिए और नहीं तो अलग हो जाइए, करवा लीजिए दोबारा चुनाव, ले लेंगे जनादेश और जिन लोगों में राजनीतिक इच्छा-शक्ति है वह स्वयं आकर के हल कर लेंगे।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यहां लिखा है कि 6 दिसम्बर के बाद धर्मनिरपेक्षता और विधि की सर्वोच्च सत्ता जैसे आधारभूत सिद्धान्तों को खतरा पैदा हो गया है। .....**(व्यवधान)**....

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: धर्मनिरपेक्षता नहीं, सत्ता चाहिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज : सत्ता चाहिए तो गलत बात नहीं है....**(व्यवधान)**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): No. interruptions please.

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: आप पहले मानसरोवर तो आजाद कराओ।

श्रीमती सुषमा स्वराज: उपसभाध्यक्ष जी, प्रारम्भ करते हुए राष्ट्रपति जी ने कहा कि 6 दिसम्बर के बाद घटी घटनाओं से धर्मनिर्पेक्षता और विधि की सर्वोच्च सत्ता को खतरा पैदा हो गया। उपसभाध्यक्ष जी, मैं बड़े अदब से कहना चाहूंगी कि विधि की सर्वोच्च सत्ता को खतरा 6 दिसम्बर को पैदा नहीं हुआ। विधि की सर्वोच्च सत्ता को खतरा तो उस दिन पैदा हो गया था जिस दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्रीमती गांधी का इलेक्शन रद्द कर दिया था और उसके बाद अध्यादेशों का एक अंतहीन सिलसिला उस निर्णय को निष्प्रभावी करने के लिए शुरू हो गया था। विधि की सर्वोच्च सत्ता को खतरा उस दिन पैदा हुआ था जिस दिन शाहबानों के प्रकरण में देश के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था लेकिन उसे शारियत में दखलंदाजी बताते हुए आपत्ति उठाई गई थी और उस आपत्ति को स्वीकार करते हुए संसद से एक कानून बनाकर के उस पुरे के पूरे निर्णय को निष्प्रभावी बना दिया गया था। विधि की सर्वोच्च सत्ता को खतरा उस दिन पैदा हुआ था जिस दिन कावेरी जल विवाद के आयोग का निर्णय आया था लेकिन कांग्रेस के एक मुख्य मंत्री ने अपनी राज्य सरकार से अध्यादेश जारी करवाकर के पूरे फैसले को निरस्त कर दिया था। विधि की सर्वोच्च सत्ता को खतरा 6 तारीख को पैदा नहीं हुआ। विधि की सर्वोच्च सत्ता के खतरे की अगर में तफसील बनाने लगूं तो जज़ेज के सुपर सेशन से शुरू होती है और कावेरी आयोग पर आकर के भी समाप्त नहीं होती। लेकिन मेरा समय चूंकि समाप्त होने जा रहा है इसलिए उस तफसील में नहीं जाऊंगी। इशारा

भर काफी है, संकेत अहलुवालिया जी समझ जाएंगे।....(**व्यवधान**) लेकिन एक बात कहना चाहूंगी। यह कहा गया.....(**व्यवधान**)

मैं मोनोपोलिस्ट नहीं हूं, एकाधिकारी नहीं हूं आपकी तरह से। मोनोपोलिस्ट नहीं हूं, थोड़ा बांटकर चलती हूं।.....(**व्यवधान**)

श्री रजनी रंजन साहू (बिहार): हम लोग सुनने को तैयार है....(**व्यवधान**)

श्री सुन्दर सिंह भंडारी: अपना समय दे दीजिए।

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: आज लंच छोड़ करके तो आपका भाषण सुन रहे हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Ahluwaliaji, let her conclude now.

श्रीमती सुषमा स्वराज: उपसभाध्यक्ष जी, यहां साम्प्रदायिक कुप्रचार की बात की गई है। मैं बिल्कुल शत प्रतिशत सहमत हूं कि साम्प्रदायिक कुप्रचार किसी भी तरफ से किया जाए वह इस देश के हानिकारक है। जहर चाहे कोई फैलाए वह इस देश की जड़ों को ही खोखला करेगा। लेकिन साम्प्रदायिक कुप्रचार की एक इन्तहा भी होती है और आपने सबने यह बात सुनी है, न मालूम कैसे चुप रहे उस पर, कि साम्प्रदायिक कुप्रचार की यह इन्तहा है कि आज कुछ मुस्लिम नेताओं का यह वक्तव्य आया है कि इन हिन्दुओं को आज तक आता क्या था, यह तो हम जब आए तब हमने इनको सभ्यता सिखाई, हमने इनको तहज़ीब सिखाई, हमने इनको संस्कार दिए, हमने इनको कला सिखाई। मैं बड़े अदब से कहना चाहती हूं कि जब दो तहज़ीबें एक साथ रहती हैं तो एक दूसरे से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती हैं, यह सही है। इन तहज़ीब में कुछ हमने सीखा होगा, कुछ उन्होंने। लेकिन हम अनपढ़-निपट-गंवार जरूर रहे होंगे, उपसभाध्यक्ष जी, लेकिन यह भी इस देश की जड़ों की बात थी कि उस तहज़ीब से भी हमने सिर्फ अच्छा ही अच्छा सीखा और बुराई का वहीं का वहीं त्याग कर दिया। इस देश के संस्कार में कोई बात थी, तभी इस देश के हिन्दुओं ने राज के लिए पिता को कैद करना नहीं सीखा, राज के लिए भाईयों की आंखें निकालना नहीं सीखा, क्यों? क्योंकि इस देश की तहज़ीब में एक ऐसा उदाहरण विद्यमान था जहां राज के लिए पिता की आंखें निकाली जाती, बल्कि पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए मिले हुए राज को ठोकर मारकर के वन-वन भटकना स्वीकार किया गया था।

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: राज के लिए गोली मारना सीखा, राज के लिए अपनी बहन की शादी करानी सीखी।

श्रीमती सुषमा स्वराज: यहां एक ऐसा उदाहरण मौजूद था जहां भाई की चरण पादुका रखकर और स्वयं तपस्वी का सा भेष बनाकर के चौदह वर्ष तक रहा जाता है।..... (**व्यवधान**)

श्री दिग्विजय सिंह: आप यहां अशोक के बारे में भी जान लीजिए...(**व्यवधान**) किसी सभ्यता और संस्कृति के बारे में जब बोलें तो उसकी जानकारी भी रखिए। .....(**व्यवधान**)।

श्री रामदास अग्रवाल (राजस्थान): आपने नहीं पढ़ा है? (.....(**व्यवधान**)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Mr. Digvijay Singh, from your party, when your turn comes, you can repudiate. Please take your seat. *(Interruption)* Mr. Digvijay Singh, please take your seat.

श्री दिग्विजय सिंह: कहां से डिग्री मिली है उनको?

श्रीमती सुषमा स्वराज: उपसभाध्यक्ष जी, केवल डिग्रियों से इतिहासकार नहीं बना जाता। मैं सिर्फ इतना कह रही हूं कि मैंने जिन दो उदाहरणों की तुलना की है अगर उसमें कोई गलत बात है तो दिग्विजय सिंह जी खड़े होकर कहें।

श्री दिग्विजय सिंह: आप बातों को अधूरा रख रही थी।.....(**व्यवधान**) इस इतिहास में क्या अशोक ने अपने भाईयों का कितना कत्ल करवाया, आपको इसकी जानकारी नहीं है।....(**व्यवधान**)

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं बातों को अधूरा नहीं रख रही हूं।

श्री दिग्विजय सिंह: आप जिसका उदाहरण दे रही हैं.....(**व्यवधान**)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Madam, you do not reply to the interruptions. *(Interruptions)* Mr. Shastri, Please take your seat.

श्रीमती सुषमा स्वराज: उपसभाध्यक्ष जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि यह भी इस देश के ही संस्कार थे कि मुगलिया तहज़ीब में से भी उन्होंने अच्छा ही सीखा, बुरा नहीं सीखा।

मैं इसकी ओर इशारा कर रही थी और मैं यह भी इशारा कर रही थी कि कोई हमको अहसान के बोझ तले दबाने की कोशिश न करे। ये जो इस तरह का भ्रामक प्रचार हो रहा है, मैं केवल उसकी झलक आपको दिखाना चाहती थी। मैंने प्रारंभ में ही कहा कि यह कुप्रचार किसी भी तरफ से हो, यह देश की जड़ों को खोखला करेगा। हमें एक चीज मान लेनी चाहिए कि हमें एक साथ रहना होगा। सबको एक साथ रहना है तो भाई की तरह रहना होगा, हम शत्रु की तरह, विरोधी की तरह नहीं रह सकते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

खिलाफ भी जो यह प्रचार है, मैं उसका पुरजोर खंडन करना चाहती हूं कि भाजपा मुस्लिम विरोधी है या भाजपा मुसलमानों की हित-चिंतक नहीं है। हम इस देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने में विश्वास रखते हैं। हम इस देश की जड़ों को मजबूत करना चाहते हैं और यह कहना चाहते हैं कि इस जड़ों को मजबूत करने में वही सक्षम है जो "सर्व" के कल्याण की कामना करता है, जो वसुधैव कुटुम्बकम को, पूरी वसुधा को अपना परिवार मानता है।

जहां तक सरकार का सवाल है, कल बहुत बड़ा रक्षात्मक कवच ओढ़कर मदन भाटिया जी ने सरकार के बचाव की कोशिश की लेकिन मैं उनसे कहना चाहती हूं कि जितना विश्वास वह अपने वक्तव्य में झलका रहे थे, उतना विश्वास तो सरकार को स्वयं अपने पर नहीं है। मंत्रिमंडल के लोग हमसे पूछते रहते हैं कि कितने दिन चलेगी, चलेगी भी कि नहीं चल पाएगी। तो यह आत्मविश्वास खोई हुई सरकार है। भ्रष्टाचार से ग्रस्त सरकार और कल तक तो मंत्रिमंडल के मंत्री ही इसके घेरे में आ रहे थे। अरे चुप करो, अब तो भ्रष्टाचार की आंच तुम्हारे प्रधानमंत्री के घर तक पहुंच गई है। भ्राष्टाचार से ग्रस्त सरकार, अंतर्विरोधों से ग्रस्त सरकार, अलोकतांत्रिक नीतियों से ग्रस्त सरकार, हिंदुस्तान की जनता का दमन करने वाली सरकार, इस सरकार के दिन लद गए हैं। उपसभाध्यक्ष जी, अब यह सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। भले ही कोई लोहे का रक्षाकवच ओढ़कर आए लेकिन अब इस सरकार के दिन लद गए हैं और इस सरकार को जाना है, बहुत जल्द जाना है। यही भविष्य का संकेत देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

SHRI R.K. DHAWAN (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, I am thankful to you for having given me this opportunity to speak on the Motion of Thanks to the hon. President's Address which he has given to both the Houses of Parliament. I am sorry, I will not be able to speak as loudly as hon. Sushmaji has spoken, for two reasons. Firstly, I strongly feel that this august House is not a public meeting ground where one has to speak full-throated. Of course, I can also raise my voice but the second main reason is that I have not yet come out of the sorrow and grief which I suffered at the passing away of my cousin brother Yashpal Kapoor. He was not only my cousin brother, but he was the one who initiated me to Mrs. Gandhi. He first took me and introduced me to her. So, I have special respect and regard for him. That is why I will not be able to speak so loudly as I would have liked to and answered in the same tone.

I was keenly listening to hon. Sushmaji. She is a very learned person. I know she is a scholar and I was sure that she would come out with some sort of constructive suggestions to help the Government, to sort out some of the problems, issues, which are confronting the nation, she would be positive in her approach, and while speaking on the President's Address she would not take a partisan line. But I think her political compulsions have forced her to hide her intelectual qualities. That is why she could not come out of it. And I should not be surprised about it, because after all, she belongs to the Opposition, it is her duty to do so.

She has referred to Mr. Madan Bhatia's speech. Unfortunately, he was not there. Otherwise, he would have perhaps given a reply to her. I was here at the time when he was speaking. She said that he was taking the Congress Party line. This alone will let the House judge, gauge her own thinking, because she herself has spoken on the BJP line. She herself has taken the BJP line; that is why she think that everybody else has to speak on the BJP line. and I am very glad to see that her thinking has changed and she has toed the line of the BJP. I am saying so because I know her. Her ideas, her thinking used to be entirely different before she had joined the BJP, When she was in the Janata Dal.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: Janata Party.

SHRI R.K. DHAWAN: Yes, Janata Party. I do not want to enter into any argument or dialogue with her. She knows the reality, she knows what her thinking used to be then and what her thinking is today. I think it is due to her polital compulsions and, therefore, we should not mind.

My colleagues, Mr. Narayanasamy, who happens to be in the Chair at the moment, and Mr. Madan Bhatia, have given a detailed account of the issues confronting the nation and the resolve of the Government to solve those issues, the steps that the Government has been

taking and proposes to take At the outset I would like to say, let us all search our hearts dispassionately--especially, Sushmaji--and if we search our hearts dispassionately, I am sure that we--in fact, not only we here but every citizen in this country--would come to the conclusion that today India is facing a grave threat to her unity and integrity and the worst ever crisis since Independence. There is no second thought about it. It is the worst ever crisis that India has faced since Independence. Today the very fundamentals of secularism, which are the foundations of India's basic structure, have been imperilled as never before in the history of her Independence. It is very amazing. I can say, it is an irony of India's fate that while all of us are approaching the 21st century, some of the pepople and parties are hellbent on taking the country back to the 16th century. They want to take the country back to the 16th century when religion was supreme, when the nation and politics were subordinate to religion. What used to happen at that time? When one looks at history, one immediately comes to the conclusion that Popes, priests and maulvis were supreme and it was they who used to lay down the rules of governance of the State all over the world.

I want to remind the House-to refresh the memory of hon. Members--that the Congress, by the forty-second amendment to the Constitution in 1976, had added the words--and I quote the word "secular" and the world "integrity" in the Preamble to the Constitution. The Congress Government added these words. But what has happened? What are we witnessing today? These very words are on the verge of being wiped off and are sought to be replaced by the words "theocratic" and "fragmentation". You can imagine the state of affairs created in this country by certain parties when those very words which were put in the Preamble to the Constitution by an amendment are sought to be replaced by the words "theocratic" and "fragmentation".

As the hon. House knows, I have had the privilege of watching the development of Indian political history from close quarters for over a quarter of a century. There has hardly been any political development in the country during the last 25 years of which, if I may say so, I have no intimate knowledge because of the privilege bestowed upon me by Indiraji first and, later, after a short interregnum, by Rajivji. So, knowing the developments of the Indian political history as I do, I can say that attempts have been made from time to time to undermine the secular principles on which the entire edifice of the nation was built. I knew it from close quarters. Every time attempts have been made in this regard. It is a fact of history.

Our friends from the Opposition, the Jana Sangh, cannot run away from history, The Jana Sangh which has transformed itself now into the present BJP, accepted secularism. You cannot deny history; it is there. They never accepted secularism as a postulate of Indian polity. Under one pretext or the other, the Jana Sangh, in its present garb of BJP, had sought to arouse the religious frenzy of the Hindus--not because they have any love for religion or any devotion to religion but purely for the purpose of gaining political power. It is not out of any love for religion but only for political power, only for the pursuit of politican gains, with the ultimate design of turing India into a Hindu State.

2.00 P.M.

Their aim, their design was absolutely known. Even today we all know that they have no love for religion. They only want to exploit the situation for their political ends.

What did they do to achieve this end? In the early 50s they took up the cudgels with the Congress Party in the name of the Hindu Code Bill. It made no headway. All of us know, this august House knows, it made no headway. In 60s it look up the cow-slaughter issue. It made no progress. What happened then?

It was ony in the 70s—especially for Sushmaji because she was objecting to what Mr. Madan Bhatia said-- that it was invested with respectability when it got merged with the Janata Party. The BJP

[Shri R.K. Dhawan]

had no locus standi in the country before that. People know their game, their game plan. But it was invested with respectability because it joined hands with the Janata Party.

After that the task became easier. Today it has become such a menance. Today I say with authority that it has become a menance to the very basic tenets of the Constitution and to the unity and integrity of India. Why so? It is because of the upon encouragement, Sushmaji, it got from the Janata Party at that time. Those people, those senior leaders of the Janata Party, after feeling frustrated, wanted to capture power, and it order to capture power, those people, those senior leaders who were in the Congress Party, threw all their ideologies, policies, aims to the winds.

श्रीमती सुषमा स्वराज: पावर कैप्चर के लिए धवन साहब कांग्रेस ने क्या किया, मैं अभी खुलासा कर चुकी हूं। आपने नहीं सुना हो तो मैं क्या करूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Madam, you had your say.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: Why is he addressing me, then? He should address you. If he addresses me, then he will have if, you ask him to address you, to address the Chair.

SHRI R. K. DHAWAN: You referred to Bhatia again and again.

THE VICE-CHAIRMAN: (SHRI V. NARAYANASAMY) He will address the Chair, not you...*(Interruptions)*

SHRI R. K. DHAWAN: Mr. Vice-Chairman, she addressed Bhatiaji again and again.....*(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN: (SHRI V. NARAYANASAMY): He is not addressing you. He is referring to your speech.

SHRI R.K. DHWAN: I am not addressing you. I am addressing the Chair. I am only referring to your comments.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI Y. NARAYANASAMY): He is referring to your speech.

SHRI R.K. DHWAN: It was ony in the 70s...

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: I will go. Otherwise, he will see me and get provoked.

SHRI R.K. DHWAN: No, no, no. I will feel very happy if you will be here to reply to any questions I want to ask you on some of the points raised by you. But you are running away.

But what has happened? It is pity that the BJP has outstripped these political parties. Those very people, those very parties which gave respectability to the BJP have been outstripped by the BJP. I can say, you can say, it is a good luck of the BJP or a bad luck of other political parties. I can't say. They will judge it by themselves. Those political parties were responsible for lending legitimacy to it because it was able to catch on an issue which had a strong, emotional, Hindu appeal which, it fitted with the philosophy of the Jana Sangh, now the so-called Bharatiya Janta Party. This is the respectability which was given to this party. Hence the present state of affairs in the country. So, even though my friends are objecting to statements by the BJP, I say that they are mainly responsible for giving respectability and crdibility to the philosophy of the BJP. They have done all this.

What is the result? The result is before us. We all know that the country has been thrown into a total chaos. And that is what, in the opening paragraph, the hon. President's Address says. It has struck the right note by saying:

> "Political parties, intellectuals, opinion leaders and others must all strive to counter the communal propaganda that has been let loose so that the country can proceed with the task of building the nation and reasserting out fundamental values."

The President in the opening paragraph says so. So, this only shows the chaos and conditions that have been created by the BJP in this country. The greatest issue before the country today is how to restore peace, harmony and security of the people and how to meet the challenge that has been thrown up by the BJP to all the principles that India stands for, to the foundations on which the Constitution of

India is built, to the rule of law which was torn to pieces by the BJP at Ayodhya. This is what is required at the moment in the country. What this *Sangh Parivar* and the BJP are trying to present to the country is not a political system. They are not interested in any political system. They are only interested in one thing i.e. power. Come what may, they must come to power. So, their aim is not *Hindutva*. As I said earlier, I know their love for the religion. I know also their love for Hinduism. It is not *Hindutva* they are propagating. It is not the cult of Ram Chandra Ji that they are propagating. What they are harping on in the name of Ram Chandra Ji is something else. They are striving for something else. What is that? It is for dividing the nation. It is aimed at breaking up the nation. Sushma Ji has gone away. I am sorry I will not be able to say. *(Interruptions)*.

While referring to our party she was saying that there was no discipline in our party, that Ministers are saying something and all that. I do not understand how she is bothered about the discipline in our party. We know how much our party is disciplined. We do not want sermons from anybody, especially from the BJP. We know how disciplined our party is, but I can give you an example of discipline in thier own party. Can you understand the anger and frustration Advani Ji had on a very simple issue, when Padma Vibhushan was awarded to Vajpayee Ji, what amount of frustration and anger he displayed? This is how you are going to teach us about unity in the party. This shows the state of affairs in your own party. Only one Member of your party has been awarded Padma Vibhushan for his qualities. The President of India felt that he deserved it. But here is a party which could not digest even this much, when Padma Vibhushan was awarded to a member of their own party.

She was also saying that this Government will not last. The BJP leaders for the last one year have been harping on this. They know they are not going to succeed. Their only aim in this is to misguide the country, misguide the people, misguide the bureaucracy and to create apprehensions in the mind of the bureaucracy so that the programmes of the Government, the economic policies of the Government, the vigour, the strength and the commitment with which they would like to carry forward to improve the lot of the poor people, will be hampered. They are not interested in the welfare of the people. At the moment they are not in power, for which they are dying. The only thing that they want to do is to create a fear psychosis in the mind of the bureaucracy. Every day they are saying the Government will not last. When it does not last we will see. But you are mistaken. I can assure you that the Government will complete its full term and will fulfil the pledges that have been given in its election manifesto and would carry forward the programmes and policies to uplift the down-trodden and the poor masses of the country. So, they should not bother whether the Government lasts or not. *(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Mr. Gautam, your Member got her chance to speak. Do not interfere when Dhawn Ji is speaking.

SHRI R.K. DHAWAN: Hon. Sushma Ji was justifying the boycotting of the President's Address by the BJP. I am surprised that a learned person like her should put forward such sort of an argument for boycotting the President's Address. This only shows—of course, they have shown it time and again—that the BJP has no respect for the Constitution. The President's Address is a constitutional requirement. By boycotting the President's Address they have further displayed that they have no respect for the Constitution or for the constitutional system or for the Parliamentary system or conventions. Simply writing of a letter to the President that they would not be able to be present does not absolve them of the responsibility of showing respect to the Constitution, to abide by the Constitution. This shows they have scant regard for the Parliamentary system.

If they come to power, what will they do? God may help the country. When they have no respect for the system, for the rule of law, for the Constitution and when they cannot show respect even to

[Shri V. Narayanasamy]

the Constitutional system, to the President, only God knows what they will do when and if ever they come to power.

I am sure God will not be able to answer this because they will never get an opportunity when God will have to answer this.

Another thing they have done is boycotting the proceedings of the Parliament. They owe a responsibility to the people who have elected them and sent them to the Lok Sabha or the Rajya Sabha. Have they not done a disservice to the people by boycotting the President's Address, who have sent them here? They are the representatives of the people. I feel that they have done a great disservice to the people who have sent them here.

What is their main aim? When the BJP is resorting to such tactics and means, what is their main aim? As I said earlier, their main aim is only to capture political power, come what may. Do you know about BJP's Bharatiya Sanskriti? The BJP's 'Bharatiya Sanskriti' can never be found anywhere in the history of India where Ram is known for his utter selflessness in upholding the highest devotion to ideals of service, duty and commitment to the people. But the BJP has given a new dimension to this. The BJP has given a very beautiful and new dimension to this.

गद्दी आये चाहे देश भाड़ में जायें।

This is the cult they are trying to preach in the name of Ramji.

इनका श्लोगन यह है कि गद्दी आये देश चाहे भाड़ में जाये।

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश): आप उल्टा कह रहे हैं।

श्री आर०के०धवन: भक्त बतायेगा कि उल्टा कह रहे हैं या सीधा कह रहे हैं।

What is their record? Now they are talking and teaching us about the discipline in our party. You know that all the BJP leaders are on record that the demolition of a mosque was done by elements who were not under their control. What does it mean? This is your performance. This is your record of service to the country. This only means either you have lost control over your cadre or they have taken over by lumpen elements. Either you have no control over your cadres or they have taken over by lumpen elements. All your senior leaders are on record, "We have no control over them." You can imagine about it.

There is an old saying, "You can fool some of the people all the time, all the people for some time." But never forget my friend....*(Interruptions)* ....Mr. Vice-Chairman, Sir, the BJP should not forget that they will not be able to fool all the people all the time. They have tried their best to fool the people for some time but they will not be able to fool all the people all the time. People know about their strategy. People know about their thinking. People know about their mind, how they want to destroy the basic structure of the Constitution, how they want to destroy the well-established conventions, how they want to show disrespect to the Constitution. Ultimately their main aim is to capture political power. But they should not forget that in this game they now stand exposed before the public. People have become fully aware of their doings.

श्री संघ प्रिय गौतम: चुनाव करवा लो।

SHRI R.K. DHAWAN: Every time you used to say:

चुनाव करवा लो। चुनाव जब भी हुए हैं तो कांग्रेस जीती है। कराती है कांग्रेस चुनाव। आपको ....**(व्यवधान)**...

Mr. Vice-Chairman, Sir, this only shows that they are not interested in the welfare of the people of the country. They are always interested in disruption, disrupting the economy of the country, disrupting the system of the country, disrupting the Constitution of the country because it is their old habit. They cannot give it up.

What happened in 1977? In 1977, they joined hands with the Janata Party and became Ministers. In order to become Ministers, they had even demolished their own party. The then Jan Sangh was finished. The Jan Sangh party jumped into the Yamuna river. They could not keep it up because their thinking is only to lead towards destruction. So they had destroyed the Janata Party and the Janata Party Government.

What happened with Mr. V.P. Singh's Government? They joined hands with the V.P. Singh Government. They lent support to him and tried to take as much benefit as was possible in the matter of appointments of officers to the judiciary and in other fields. When they came to know that Mr. V.P. Singh also started realising the game of the BJP they abandoned the V.P. Singh Government also. So, this is always in their mind. It does not surprise me when they say. "चुनाव करा लो" because they believe in this gimmick. They join some party, allow it to form the Government and allow the Government to run for some time and then get away. "चुनाव तो होंगे"

Definitely elections will be held, but at the proper time, when the Congress Government completes its full term, much to your disappointment. *(Interruption)*. You will be so disappointed that in this very House you will say that I was right and my party was right and your party's thinking was totally wrong.

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद): मेघालय में 20 सीट कंटेस्ट किया, एक भी नहीं मिली।

SHRI R.K. DHAWAN: They are also very clear in this strategy at times.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Of course.

SHRI R.K. DHAWAN: You did not hear the last two words. They are very clever in this strategy at times. All the time you cannot be clever because you cannot fool everybody all the time.

They seem to have adopted a two-pronged policy. The first is to pursue this policy of violence and instigation of communal frenzy. Firstly go on instigating communal frenzy as much as you can. Go on pursuing the policy of violence. The second is to use Parliament to project an image of reasonableness. In Parliament, they want to show an act of reasonableness. Sushmaji was also saying that they have respect for the Constitution. They want to show to the public that they are reasonable and committed to the Constitution and democracy. But we all know how much they are committed to the Constitution, how much they respect the Constitution. From where have they learnt this two-pronged policy? There is nothing new in that. This is exactly what the Nazis did in Germany under Hitler to capture power by using democratic institutions and then destroy them. This is what the Nazis did in Germany. So, they want to capture power by using democratic institutions with the ultimate aim, goal of destroying them. Their policy is absolutely clear. I often wonder what their thinking will be. How are they thinking? Do they apply their mind or not? What has gone wrong with these people or with their party?

If you look at the amendments they have moved, you can imagine their thinking. Although there are many, I will give only one example. Amendment No. 4 is moved by Shri J.P. Mathur, Shri Viren J. Shah, Shri K.L. Sharma and Shri Bhandariji. In this amendment, they have clubbed together Jammu and Kashmir, Rajasthan, U.P., Himachal and M.P. Look at their thinking! They have clubbed them together! Even a naive, even an ignorant person, even an illterate person in this country, knows that the situation in Jammu and Kashmir is entirely different from the other States. There in Jammu and Kashmir, we are fighting against whom? We are fighting against terrorists. And which terrorists? The terrorists supported by Pakistan. A small minority of misguided youth are attempting to hold the State to ransom with the power of the gun. The situation in Jammu and Kashmir is this. But they have clubbed it with the other four States. In the other four States mentioned in the amendment, the rule of law and the Constitution were both flouted by the BJP Governments in power at that time. They just ignored the Constitution. They mobilised people in the States to hoodwink the Judiciary and the Centre. So they had to be dismissed in order to save democracy and to avoid communal frenzy. The situation in Jammu and Kashmir and Punjab has been compared with these four States. But, as I said earlier, even an ignorant man, an illiterate man, knows this. This only shows their line of thinking.

SHRI JAGESH DESAI (MAHARASHTRA): Bankruptcy of intelligence.

SHRI R.K. DHAWAN: Of course, there is oankruptcy of intelligence. The question that often comes to my mind is, will the BJP ever ponder, will it have the time to ponder, over the loss that the country has suffered in economic terms as a result of communal distrubances since December. Will they ever think what they have done to the country? How much loss has occurred in econpmic terms? If they really think about it, it will stir their conscience. If you look at the figures which have been published, you will be astonished I have had occasion to see it only in today's newspaper.

Mr. Vice-Chairman, Sir, through you, I would like to bring to the notice of the House that the loss of gross value of output and of goods and services would be Rs. 1250 crores; loss of trading business is Rs. 1,000 crores, loss of export is Rs. 2,000 crores, loss of revenue to the Government is Rs. 150 crores and loss of properties is wroth Rs. 4,000 crores. Have they gone so bankrupt that they can not even imagine as to how much loss the country has suffered in economic terms? Is this not a matter of concern for the entire nation? This is certainly a matter of grave concern for the entire nation. It is the BJP party, I will say, it is the BJP party more than any other party in the Sangh Parivar, which often takes shelter by saying that those people, who indulged in this, were not under their control. No, it is not those parties, it is not the members of the Sangh Parivar, who are accountable to the public. It is the BJP party that is accountable to the public. The people have chosen them. They have not chosen the Sangh Parivar members or the Bajrang Dal members. All those people have come on the BJP ticket. They are responsible; they are accountable to the public for the disruption and damage that has come in the wake of December 6th distrubances in which the BJP participated. Since the BJP participated in it, they are responsible for this.

Now, I will come to the other points mentioned by the hon. President. The hon. President also mentioned about the spread of terrorism in Punjab and Jammu and Kashmir engineered by Pakistan. We have also seen the manifestation of another kind of terrorism in Andhra Pradesh. We all know that we are still facing the menace of terrorism in North-East, again with the help of Pakistan. What do we need at this time? The only answer that comes to my mind at the moment is that the country needs stability. If there is stability, the country will be able to meet the challenge of terrorism, will be able to finish the menace of terrorism. But it is possible only if there is stability. If there is no stability, nothing will be possible. Terrorism, in any form, whether it is ideological, ethnic or religious, cannot be tolerated. It is very clear. It cannot be tolerated. In order to meet this challenge, whatever means are available —constitutional, legal, administrative and political—should be used to curb terrorism. I strongly recommend this. If there is genuine dis-satisfaction among the people in a particular region or area, the same can be sorted out through dialogue. In this regard, I want to remind the House that we have had very useful and peaceful negotiations with AASU in Assam, with MNF in Mizoram, with GNLF in West Bengal and very recently, with the leaders of the Bodo movement in Assam. So, why can't we resume the method of dialogue and discussion in case there are any differences of opinion on a particular issue? Why do we resort to the acts of vandalism in which the BJP indulges? They forget that our Constitution and our system are flexible enough to accommodate any point of view. I want to join.....*(Interruptions)*

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Why don't you join the BJP?

SHRI R.K. DHAWAN: I can never think of it in my life. There will be no BJP. So there is no question of joining the BJP. You will see this in the times to come that the BJP will join hands with either Left Front or again go to V.P. Singh and touch his feet saying: "Take us back because we want power." So there will be no BJP. From Jan Sangh, you came to BJP and I think you have already thought of the third name which you are going to have. There will be no BJP. So the question of joining the BJP does not arise. You yourself will be a member of a new party. I know it.

I want to join my voice with all of you to express concern that Pakistan is carrying on a proxy war against us from all directions to convert our country into a soft State. In fact, the acts of Pakistan in training Indian natioinals—I think with this at least my friends from the BJP will agree—on our soil and arming them with lethal weapons and hurling them across India—sometimes under the cover of heavy bombardment to fight the armed forces of India and dismember India. It is tantamount to naked aggression against India under the international law. I am sure, my friends of BJP will at least agree with this that this is a naked aggression against India, but till today they have never raised their voice against this, they have never said a word against this.

I want to refer to a paragraph regarding Economic Reforms: "The Economic Reforms which were initiated by the hon. Prime Minister, all of us know and in their heart of hearts they also know, have started showing results." I need not go into the figures of achievements so far as Economic Reforms are concerned because they are all before you and all of you know that recently the Economic Survey report was submitted to Parliament and all the figures are there. I have the figures with me but I feel repeating them would be a futile exercise and would be wasting the time of the House. Some people who are having a wishful thinking thought that with the Ayodhya developments, the securities scam and the communal blood-bath, the Government would have to go slow with the Economic Reforms' programme, but the Government was very clear in its thinking, very clear in its thinking and I am happy to share with you that the Government has not only not gone slow but has stepped up the task of liberalisation and is keeping the Reforms on the right lines. So they are dismayed on this account also. My sympathies with them. Economic liberalisation is the only important programme, domestically and internationally, that can help the Government to overcome the present crisis and to move towards industrialisation without which social transformation of India and eradication of poverty will remain a pipe-dream.

All of us also know that the Budget for 1993-94 has been presented and, of course, this is not a discussion on the Budget—the discussion on that will take place later on and I will speak at that time with details about these issues—but I want to take this opportunity to congratulate the hon. Prime Minister, the Finance Minister and his team for the simple exercise they have done. This is aimed at boosting the economic growth and employment. This will take the country towards the fulfilment of the main goal of Economic Reforms, reducing the fiscal and foreign exchange deficit and curbing the inflation and for this the Government deserves the congratulations not only of mine, but, I think, of the entire House.

Regarding enhancement, what they have done in the Budget is also before you. The Budget has been presented. Enchancement of standard deduction, reduction of excise duty and import duty, tax holiday in power sector and industrial undertakings in the backward States and specially in the North Eastern States will go a long way towards regulating the economy. It is a matter of record that for the first time in the last one decade the deficit is only Rs. 4,314 crores which, of course, is much less than the figure of loss in economic terms which I quoted to you. The country has suffered this loss because of the doings of the BJP at Ayodhya and the developments thereafter.

Of course, there are one or two things to which I would like to draw the attention of the Finance Minister. The salaried persons are facing a very difficult time and they do need some tax relief. I think he should consider giving some relief to the salaried persons.

While I fully support the convertibility of the rupee, I request our economic planners that due care should be taken to ensure that the prices of petroleum products and fertilisers do not increase. Due care should be taken to see that their prices do not increase because of this.

[Shri R.K. Dhawan]

If we come to agriculture which has been referred to in the President's Address, due attention has been given to the agricultural sector which is the core sector of the Indian economy. All of us know that. The Government has already announced measures for increasing sugarcane, rice, wheat and pulses prices giving immense benefit to the agricultural sector. Some people from the opposite side might say that there has been an increase in the fertilizer price. Yes. I agree that there has been some increase in the prices of fertilizers. But we should not forget, as the hon. President has said in his Address that the Government has provided sufficient cushion to absorb its impact in the form of financial grants to the States. I am very happy the hon. President in his Address has also brought out the programmes adopted by the Government in respect of *Safayi Karmacharis*. It is gratifying to note that a statutory National Commission for *Safayi Karmacharis* has been constituted.

Now I refer to the paragraphs regarding Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The activities of the National Scheduled Castes and Scheduled Tribes Finance and Development Corporation have been given a boost by raising the authorised share capital to Rs. 125 crores. This will go a long way in solving the problems of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The Government has always been concerned about the welfare of the Scheduled Castes and The Scheduled Tribes and this is not a concern that is born today. Let my friends from the opposite side know that this is the commitment of the Congress Party. This is the committee policy of the Government. This is not the result of any political expediency which they resort to or they adopt. The Congress never believes in adopting any policy for political expediency and unlike the concern of the Janata Dal for the Backward Classes, this policy for the welfare of the Harijans is born out of a deep-rooted commitment of the Indian National Congress to the cause of bringing social, economic and political transformation of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes ever since Mahatma Gandhi Assumed leadership of the Congress. This is a matter of record. I am not saying anything new or anything abnormal. This is a matter of record. I just want to say that as far as the Congress party is concerned, as far as the Government is concerned, its concern for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes is not born today. It was the social, economic and political philosophy of the Congress which was enshrined in the Constitution of India and it has been the heartbeat of its economic and social measures which it has adopted ever since independence. (*Time bell*) I need another five minutes. I have just two or three points more.

It is also laudable that the Government has set up the Dr. Ambedkar Foundation to administer the various schemes associated with the name of the framer of the Constitution. The works of Dr. Ambedkar are also being translated into different languages. It is a very happy development. I welcome the Government's decision to make a full-length feature film on this great leader who, in association with Mahatma Gandhi, had brought about a tremendous awakening among the downtrodden of our country about their rights and social status in the country.

It is a also heartening that the Government has initiated steps, initiated action, to implement the judgement of the Supreme Court on issues relating to the reservation of jobs in Government services for Backward Classes. As we all know, the Supreme Court had directed the Government to set up a permanent body within four months to prepare the final list of Backward Classes by inclusion of those who had been left out and by exclusion of those who had been wrongly included and in compliance with those directions the Government has promulgated an ordinance. I hope and believe that some visible action will follow to belie those who are crying hoarse on the Mandal Commission and accusing the Government that it is not taking firm and committed steps to give a fair deal to the Backward Classes.

Janata Dal are today posing themselves as the champions of the Backward Classes. They are just trying to pose as if they are the champions. They forget the

facts. May I ask them who took the cause of the Backward Class citizens in the first instance? Can they give us an example and let us know? Was it the Janata Dal or the Congress party? Or who? Can they find out? Let them go through the records. Let them read the history. Who took the causes first? It was the Indian National Congress.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: BJP.

SHRI R.K. DHAWAN: BJP was not even born at that time. It was the Indian National Congress. (*Interruptions*).

SHRI SOM PAL (Uttar Pradesh): Sir...(*Interruptions*).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Mr. Som Pal, after him it is your turn.

SHRI R.K. DHAWAN: I am not yielding. He can speak when his turn comes.

SHRI SOM PAL: Only one minute.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): He is not yielding. I cannot allow.

Shri R.K. DHAWAN: I have stated the fact. If it does not suit him, I cannot help. He can speak when his turn comes. It was the Indian National Congress under whose guidance and leadership---it is for his information also---sub-clause (4) of Article 16 of the Constitution was enshrined in the Constitution. Sub-clause (4) of Article 16 of the Constitution is the sole foundation on which the report of the Mandal Commission has been upheld by the Supreme Court. I want to let him know who first showed concern for the backward classes. If this sub-clause (4) of Article 16 of the Constitution had not been there, there would have been no provision under which reservations could be made for the backward classes. He should not forget that. It was the Congress Party under whose leadership ....(*Interruptions*).

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: It was the Constituent Assembly, not the Congress Party.....

SHRI R.K. DHAWAN: Whose leadership was there at that time? It was not the BJP. The BJP did not join hands with other leaders who were in the Congress at that time.

At that time, those leaders also knew the game of the BJP or the Jan Sangh. Of course, later on, in order to have political power they threw all those principles to the winds and joined hands with the BJP. (*interruptions*). They do not want to go through the history. They only believe in destruction. They do not want to know the facts. What can we do? It is not our baby. It is their baby. I would like to say that the time has come for Parliament and the nation as a whole to consider whether we should once and for all bring about changes, more specifically, in the Constitution and in the legal framework, banning the use of religion in any form to the political advantage of any individual group or party. I strongly feel, the time has come for that. During the last session, the hon. Prime Minister had declared that when a party uses religious appeal to contest elections, the electroal battle against such a party by the secular parties becomes unequal and steps will have to be taken to rectify the situation. I think, probably, due to an oversight this aspect has not been referred to in the President's Address. But the fact that the time has come for electoral reforms to rectify the situation can no longer be ignored. The Representation of the People Act should be amended to ensure that no political party will be able to exploit any religious issue or religious sentiments of any community for an electoral game. Before I end, I would also like to say one or two points more. Equally important is the canker of corruption which must be weeded out. I strongly recommend that the institution of Lok Pal should be established at the Centre. It will be a watch-dog of probity of conduct in the administration of the country.

I have always maintained and still of the view that Parliament is the supreme manifestation of the will of the people. Let there be no acrimony. Let there be no obstruction. Let there be no stalling of the proceedings in the name of Shri Ram. The proceedings of this House must be allowed to be conducted with dignity because the country has been spending crores of rupees on MPs to transact business for running this country for bringing advancement to this country and

[Shri R.K. Dhawan]

by suggesting means and ways for removing poverty. If the Members here in the name of this excuse or that excuse keep on frustrating the proceedings of the House, people will not forgive us. People will not forgive us. We should never forget that it is the people who sent us here and they will not forgive us.

The people of this country know fully well as to which party is looking after their interest; as to which party is safeguarding their interests. They know fully well which party is taking the country forward and which is taking them to the 16th century. They know which party is taking the country to the 21st century and which is trying to put the country behind by talking of religious fundamentalism and economic dogmatism. The country knows fully well about it and they have shown it during the recent elections in the North-East. With these words I support the Motion of Thanks.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Thank you for giving so much publicity to the BJP.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Shri Som Pal. Your party's time is one hour and 20 minutes. There are four speakers and your time is 20 minutes.

SHRI SOM PAL: Thank you for informing me about the time.

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद है जो आपने मुझे अवसर दिया राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने के लिए। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण प्रति वर्ष सारी जनता और संसद के दोनों सदनों के माननीय सदस्यों द्वारा उत्सुकता से प्रतीक्षित रहता है, क्योंकि इस अभिभाषण के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी अपनी सरकार के एक वर्ष के पूरे क्रियाकलापों का और आगामी वर्ष के नीति निर्णयों और उनकी क्रियान्विति की समीक्षा, उन का दिग्दर्शन और सिंहावलोकन सदनों की संयुक्त बैठक को कराते हैं पर पिछले कई वर्षों से हमारे राष्ट्रीय जीवन की यह महत्वपूर्ण घटना हमारे देश के अन्य घिसे-पिटे रिवाजों की तरह एक निष्प्रेरक, निरूदेश्य, निस्तेज, निष्प्राण और नीरस कर्मकाण्ड बनती जा रही है। इस वर्ष के अभिभाषण में दो बातें उस समय खल रही थीं। उपाध्यक्ष जी, उस समय आप भी वहां उपस्थित थे। एक तो हमारे राष्ट्र के सबसे बड़े दूसरे राजनीतिक दल की अनुपस्थिति, उनकी बहुत सारी सीटें खाली पड़ी थीं और उससे कोई अच्छा लक्षण या अच्छा भाव प्रकट नहीं हो रहा था। प्रजातंत्र के इतिहास में यह कोई अच्छा शकुन भी नहीं है। उस अभिभाषण के समय भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों का उपस्थित न रहना। और उसका कोई खास उद्देश्य भी समझ में नहीं आया। जब संविधान द्वारा निर्मित और विधि द्वारा निर्वाचित इन सदनों में वे सदस्य आए हैं, तो अपने कर्त्तव्यों की इस प्रकार की उपेक्षा उनके लिए भी अच्छी नहीं है और किसी और के लिए भी अच्छी नहीं है।.....**(व्यवधान)**....

श्री शिव प्रसाद चनपुरिया (मध्यप्रदेश): उन परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार कौन है, जिनमें हम नहीं पहुंचे थे? जिम्मेदार कौन हैं?.....

श्री सोमपाल: दूसरी बात, मैं आपको स्मरण करना चाहता हूं, उपसभाध्यक्ष महोदय, कि जिस समय माननीय डा० शंकर दयाल शर्मा जैसा उद्भट वक्ता बोल रहा था, तो सारे सदस्य, यहां तक कि कुछ मंत्री भी या तो ऊंघ रहे थे या खुसुर-पुसुर कर रहे थे। जैसे कि अपनी अरुचि का मौन प्रदर्शन कर रहे हों। किसी भी अभिभाषण में निकट भूत में इस प्रकार की अरुचि और अन्यमनस्कता देखने में नहीं आई। इतनी कम करतल ध्वनि और इतना निष्पंद उनका प्रतिग्रहण, शायद ही कभी देखने को मिला हो।

उपसभाध्यक्ष महोदय, अब मैं अभिभाषण की मुख्य विषय वस्तु पर आता हूं। महामहिन राष्ट्रपति जी ने पहले ही अनुच्छेद में 6 दिसंबर को अयोध्या में, और उसके उपरान्त देश में, घटी दुखद घटनाओं की चर्चा की है। उन्होंने विधि द्वारा स्थापित सर्वोच्च सत्ता और सांप्रदायिक सौहार्द जैसी मूल बातों को, आधारभूत बातों को, जो खतरा पैदा हो गया है उसके प्रति राष्ट्र को आगाह किया है। इतनी बड़ी ऐतिहासिक त्रासदी हो गई हो, पर उसका वर्णन जिस अंदाज से, और जिस सरसरे ढंग से, इस अभिभाषण में किया गया, उसमें कोई मार्मंतक बात दिखाई नहीं देती। ऐसा लगता है जैसे कोई मामूली बात हो गई हो। 6 दिसम्बर के पूर्व, 6 दिसम्बर के दिन और उसके उपरांत, इन घटनाओं के माध्यम से जिस घिनौने नाटक का प्रदर्शन हमारे राष्ट्र के समक्ष हुआ है, और जिसको अन्तर्राष्ट्रीय जगत में भी देखा गया है, क्या सरकार चाहती है कि भारतीय जन मानस, जो सदियों से इस सांझी संस्कृति के प्रति गौरवान्वित रहा है, उसके प्रति गर्व महसूस करता रहा है, अकस्मात इस प्रकार से अनदेखा कर दिया जाए। क्या इस प्रकार जो आघात लगा है, भारत की मानसिकता को, वह इतनी आसानी से मिट जायेगा? क्या सरकार चाहती है कि भारतीय जन मानस इस पूरे नाटक में लिप्त और सम्मिलित नायकों, खलनायकों और विदूषकों की भूमिका को ऐसे ही अनदेखा कर दे? राष्ट्र इस सब का हम से हिसाब मांगेगा। इतिहास हम से इस का हिसाब मांगेगा।

पहले भी हम इसकी कीमत अदा कर चुके हैं, खमियाज़ा भुगत चुके हैं। मान्यवर, इस संदर्भ में इस माननीय सदन में जो घटना घटी उसको मैं स्मरण करना चाहता हूं। तीन दिसम्बर, बृहस्पतिवार की प्रातःकाल हम इस सदन में आये और आने के बाद, बैठक शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही, सदन स्थगित हो गया और सदन स्थगित होने के बाद, जैसा प्रायः होता है, एक दल के सदस्य दूसरे दल के सदस्यों के व्यक्तिगत आधार पर जाकर मिलते हैं, औपचारिकता के नाते मैं भी अनायास उठकर सदन के नेता के बैठने के स्थान के निकट चला गया। हमारे सत्ता पक्ष के साथी बहुत उत्तेजित थे। वे गुस्से में थे और भाजपा की भूमिका की कटु आलोचना कर रहे थे। हम गैर भाजपा दलों, खासकर जनता दल के लोगों को, बहुत जली कटी कह रहे थे। उस समय हमारे एक साथी रफीक आलम साहब जो यहां बैठे हैं, उनको स्मरण होगा, उन्होंने मुझे भी कुछ जली कटी कह डाली। वह क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, मैं उसके संताप को, उनकी व्यथा को, समझ सकता हूं। इसलिए मैंने चुपचाप सिर नीचा करके उनकी बात सुनी। वह कह रहे थे कि यह भाजपा वाले क्या करने जा रहे हैं और कि आप उसमें क्या करने जा रहे हैं। मैं रफीक आलम साहब को पुनः याद दिलाऊंगा कि मैंने उन्हें कहा था कि भाजपा वाले जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ करने जा रहे हैं वह सब को पता है। केवल एक पक्ष को पता नहीं है। केवल केन्द्रीय सरकार और सत्ता पक्ष को मालूम नहीं है। हमें भी पता है कि वह क्या करने जा रहे हैं। आप तसदीक करेंगे मेरी बात को। उन्होंने हमें कोसा कि है क्या करने जा रहे हैं मैं उन्हें यह बताने का प्रयास करने लगा कि इस सारे नाटक में नायक सत्ता पक्ष है, खलनायक भाजपा है या उसको दूसरी तरह से भी कह सकते है कि नायक भाजपा है और खलनायक सत्ता पक्ष है। हम लोगों की इसमें क्या भूमिका है?

श्रीमती सुषमा स्वराज: विदूषक है।

श्री सोमपाल: हम लोगों की भी कहीं कोई भूमिका है या कभी रही है, यह सोचने पर मैं विवश अवश्य हुआ। दूसरी बात यह है कि और रफीक आलम साहब को याद होगा कि मैंने यह कहा था कि केन्द्रीय सरकार और सत्ता पक्ष भाजपा की बातों के ऊपर विश्वास करके उनके जाल में इतने हद तक फंस चुका है कि 6 दिसम्बर को जो कुछ होने वाला है और जो साफ-साफ दीवारों पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और जो सड़क पर चलते हुए अंधे आदमी को भी दिखाई दे रहा था उसके लिए या तो सत्ता पक्ष ने आंखें मूंद रखी थी यानी जानबूझ कर उसको देखना नहीं चाह रहा था। या उसे देख नहीं पा रहा था। और अगर तीसरी कोई सम्भावना है तो यह कि उनका शीर्षस्थ नेतृत्व भाजपा के साथ कुछ दुरभि-संधि कर बैठा था कुछ मिलीभगत कर बैठा था और 6 दिसम्बर को जो कुछ दुर्घटनाएं हुई, वह मेरी उस आशंका को विश्वास में ही परिवर्तित करती है कोई चौथी बात मेरी समझ में नहीं आती। उस दिन यह साफ दीख रहा था कि यदि कार-सेवकों का इतना बड़ा जमावड़ा लाखों की संख्या में अयोध्या में हो जाएगा तो बिना बल-प्रयोग के आप उस विवादग्रस्त ढांचे को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे और अगर बल प्रयोग करेंगे तो उसके परिणाम इतने भयावह होंगे कि इस राष्ट्र की रूह कांप जाएगी, चाहे उस घटना से या बल प्रयोग के परिणामस्वरूप वहां जो खूनखराबा होना था उससे और वास्तव में इस राष्ट्र की रूह कांप ही गई। उसकी अस्मिता को ऐसी चोट लगी है जो निकट भविष्य में ठीक होने वाली नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि एक साधारण से साधारण व्यक्ति को हम विपक्षी दलों को, सड़क पर चलने वाले आम आदमी को जब यह दिख रहा था, पर इतने बड़े-बड़े खुफिया विभागों से सुसज्जित और सर्वसत्ता सम्पन्न इस सरकार को यह बात दिखाई न दे, यह बात गले के नीचे नहीं उतरती, समझ में नहीं आती। पूरे परिपेक्ष्य को देखकर, इस पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद, पुनः यही सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि या तो सत्ता पक्ष भाजपा या साम्प्रदायिक तत्वों से दुरभि-संधि कर बैठा था अथवा इस कुचक्र में लीन तत्वों और पहलुओं को समझ पाने और पकड़ पाने, उनका आकलन कर पाने की योग्यता और क्षमता खो बैठा था। उपसभाध्यक्ष जी, दोनों ही स्थितियों में यदि वह इतना अयोग्य और असमर्थ है, इतना अदूरदर्शी है अथवा उसकी मिलीभगत है, दोनों ही स्थितियों में सत्ता पक्ष इस भारत राष्ट्र का नेतृत्व करने का इस सरकार को चलाने का अधिकार खो बैठा है। यदि उसमें थोड़ी-बहुत गैरत है तो अगर सरकार त्याग पत्र नहीं देती तो कम से कम उन्हें नेतृत्व परिवर्तन तो अवश्य कर लेना चाहिए।

यदि उनकी इस अदूरदर्शिता, अयोग्यता और अकर्मण्यता की सूची देखी जाए तो वह यहीं समाप्त नहीं होती। उन्होंने उस समय किसी की बात नहीं मानी। उन्हीं के अपने दल के प्रभावी माने जाने वाले लोगों की भी नहीं और वे प्रभावी माने जाने वाले लोग भी मूकदर्शक बने रहे। पता नहीं उनको क्या चीजें रोक रही थीं कि अपने नेतृत्व को, सरकार चलाने वाले कर्णधारों को वह इसके प्रति आगाह नहीं कर पाए। इस भद्दे और घिनौने नाटक का दूसरा अंक मान्यवर 7 और 8 दिसम्बर को अभिनीत हुआ इसी सदन में 7 तारीख को प्रातः काल जब भाजपा के सदस्य इस सदन में आए तो उनके चेहरे सहमे हुए थे वे घबराए हुए थे, वह बहुत डरे हुए थे। अपराध करने के बाद पश्चाताप की जो रेखाएं अपराधियों की मुखाकृतियों पर दिखाई पड़ा करती है वही रेखाएं भाजपा के सदस्यों के चेहरों के उपर भी स्पष्ट दिख रही थीं।

श्री जगेश देसाई (महाराष्ट्र): आप मानते हैं पश्चाताप।

श्री सोमपाल: मैं कह रहा हूं उस दिन दिखाई दे रहा था। सब कह रहे थे उस दिन, देसाई साहब भी कह रहे थे। आज उन्होंने राय बदल ली हो तो मैं नहीं जानता। उस दिन ये लोग जरूर सहमे हुए थे और उनके मुंह के ऊपर दिखाई दे रहा था जैसे अपराध करने के बाद कोई गिल्ट की फीलिंग होती है अपराध का बोझ होता है।

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल): वह दिखावा कर रहे थे।

श्री सोमपाल: हो सकता है दिखावा कर रहे हों, पर यदि दिखावा भी कर रहे थे, तो भी उनके इस भाव का लाभ लेना चाहिए था, क्योंकि वह अपनी ही की हुई गलत बात की अपने आप ही निन्दा करते तो उन्हीं के समर्थक उनको कोसते। उसमें भी आपका नुकसान नहीं था, राष्ट्र का नुकसान नहीं था। परन्तु आपने ठीक उसके विपरीत किया। उन्हें उस घटना पर खेद प्रगट करने का अवसर नहीं दिया। वह उसकी निन्दा करने में सब के स्वर में स्वर मिलाना चाहते थे परन्तु वह अवसर आपने उन्हें नहीं दिया। मुझे ठीक याद है कि माननीया सुषमा स्वराज जी बैठी हैं, वह उस दिन एक घंटे से अधिक सिर लटकाए प्राधित और संपात की मुद्रा में इसी स्थान पर बैठी रहीं थी।

श्रीमती सुषमा स्वराज: क्या आप उस दिन मुझे ही देखते रहे?

श्री सोमपाल: ऐसा नहीं, यह तथ्य की बात है, मैं कोई बनावटी बात नहीं कर रहा हूं।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: महिलाएं ज्यादा संवेदनशील होती हैं।

श्री सोमपाल: संवेदनशीलता से मानव-मात्र का गुण है यह किसी दल विशेष की बपौती नहीं है। भाजपा उस दिन बचाव पर थी। वह अपनी कारगुजारी के लिए गलती मानती हुई दिखाई दे रही थी। मन से चाहे नहीं मानी हो। अगले दिन प्रातःकाल जब भाजपा के शीर्षस्थ नेताओं की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद जब सदन की बैठक हुई तो भाजपा के सदस्यों का सारा पश्चाताप और संताप काफूर हो चुका था। उनके वे भाव पूर्णतया समाप्त हो चुके थे। वे पुनः शौर्यपूर्ण मुद्रा में आए थे, आक्रमक मुद्रा में और उन्हें रात भर में 10-12 घंटे के अंदर सत्ता पक्ष ने, अपनी एक और अदूरदर्शिता करके नायकीय मुद्रा प्रदान कर दी थी। वे पुनः राष्ट्र के नायक बनने का दुःसाहस करने लगे थे और पुनः सत्ता पक्ष पर हावी होते दिखाई दे रहे थे। इन दोनों के बीच हम गैर भाजपाई सदस्य, उसी स्थिति में थे, जैसे तीन तारीख को थे। हम किंकर्तव्यविमूढ़ बने, यह सोचने का, यह ढूंढने का प्रयास कर रहे थे कि इस त्रासद नाट्य श्रृंखला में क्या कहीं हमारी भी कोई भूमिका है?

माननीय धवन साहब चले गए हैं। वे भाजपा को कोस रहे थे। भारतीय जनता पार्टी को आज हमारा दल भी कोसता है। मैं स्पष्ट स्वीकारोक्ति करना चाहता हूं कि या तो आज हमारा उन्हें कोसना गलत है या हमारा वह कदम गलत था जब हमने उनके समर्थन से सरकार चलाई थी। मान्यवर, इस गिरफ्तारी के माध्यम से सत्ता पक्ष की अदूरदर्शिता का एक और प्रमाण उजागर हो चुका था और शायद इतने से भी काम नहीं चला। कदाचित इतना भी पर्याप्त नहीं था। एक छोटे से, अदना से पुलिसकर्मी के द्वारा माननीय मुरली मनोहर जोशी जी और लालकृष्ण आडवाणी जी के खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखवाई गई और उस छोटे से अफसर के हाथ से जिसका कामंडर इन चीफ उत्तर प्रदेश पुलिस का महानिदेशक, एक दिन पूर्व तक जिस भाजपा की सरकार का नौकर था, उसका आदेश मानने को कानूनी और संवैधानिक रूप से बाध्य था उसके छोटे से अधिकारी के द्वारा उन्हीं के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाकर एक मुकदमा चलाने का ढोंग रचा गया। और एक ऐसा मुकदमा जिसमें कहीं कोई जान नहीं थी। बाद में न्यायालय द्वारा जोशी जी और आडवाणी जी को सम्मानपूर्वक रिहा कर दिया गया और उस नाटक की वही परिणति हुई जिसकी हम आशा करते थे। उससे भी राष्ट्र के कानून, व्यवस्था और न्याय प्रणाली का उपहास ही हुआ। उससे कोई उसका सम्मान नहीं बढ़ा।

[उपसभाध्यक्ष (श्री सैयद सिब्ते रजी) पीठासीन हुए]

आखिर सरकार इन अपनी बचकाना हरकतों से किसकी आंख में धूल झोंकना चाहती थी? क्या दिखाना चाहती थी राष्ट्र को? कि हमारे पास कानून का बल है, संविधान का बल है पुलिस का बल है राष्ट्र उनसे पूछना चाहता है, विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग और सांप्रदायिक सद्भाव के प्रति प्रतिबद्धता रखने वाले हमारे जैसे लोग उनसे प्रश्न करना चाहते हैं कि उनकी ये सारी निर्णायक क्षमताएं उनका यह सारा जोर 6 तारीख से पहले कहां चला गया था। और 6 तारीख के बाद ही उन्होंने इसका प्रयोग करने का निर्णय क्यों किया? या तो ये बातें उन्हें खुद भी मालूम नहीं है और अगर मालूम हैं तो सत्ता पक्ष के कर्णधार, इस देश को चलाने वाले ये लोग शायद बहुत ऊंचे किस्म के खिलाड़ी हैं शायद बहुत दूर की उन्होंने सोच रखी है जो कम से कम हमारी समझ में तो नहीं आती। इतने से ही काम नहीं चला, मान्यवर एक के बाद एक, चार सरकारें अफरा-तफरी में बरखास्त कर दी गई।

3.00 P.M.

यदि इस पूरे प्रकरण की समीक्षा करें तो हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार को अपदस्थ करने का

तो कहीं न कहीं कोई औचित्य था, तर्क था परन्तु मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की संवैधानिक प्रक्रिया से चुनी हुई सरकारों को हटाने का क्या औचित्य था? यदि हम मान लें कि इस के लिए केन्द्र सरकार विभिन्न प्रदेशों में हुई व्यापक हिंसा को इसका आधार मानती थी, और इस तर्क से उन्होंने इनको बर्खास्त किया तो बाकी जगह तो हो सकता है हिंसा हुई हो लेकिन हिमाचल प्रदेश में क्या हिंसा हुई थी? वहां तो पत्ता तक नहीं खड़का था। वहां की सरकार को हटाने की बात क्यों हुई? अगर हिंसा को ही लिया जाए तो कांग्रेस शासित दो प्रदेशों में, महाराष्ट्र और गुजरात में जहां सर्वाधिक हिंसा हुई वहां की सरकारें आज तक बरकरार हैं। 6 तारीख के तुरन्त बाद ही नहीं कई दौरों में कई झटकों में वहां ऐसी हिंसा हुई हैं जैसी भारत के जब दो हिस्से हुए थे, 1947 में जब बंटवारा हुआ था, उस समय भी इस प्रकार की हिंसा देखने को नहीं मिली थी। पर वे सरकारें आज भी बरकरार हैं क्योंकि वह कांग्रेस की सरकारें हैं, वह कांग्रेस के चहेते मुख्य मंत्री हैं उनको क्यों नहीं हटाया गया? जैसे कि अब श्री नायक जो महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री है उनको खलनायक घोषित करने की प्रक्रिया चल रही है। हो तो चुके हैं परन्तु उनका स्थानापन्न ढूंढने का शायद प्रयास किया जा रहा है। क्या महामहिम राष्ट्रपति जी अपनी उस सरकार से इस प्रकार के दोहरे और तेहरे मानदंडों का अनुसरण किये जाने पर भी विधि की सर्वोच्च सत्ता और धर्म-निरपेक्षता जैसी मूलभूत बातों की रक्षा करने की अपेक्षा करते हैं? और अगर हां, तो उनकी यह अपेक्षा निश्चित रूप से पूर्णरूपेण निरपेक्ष है। वह बहुत निरपेक्ष भाव से यह चाह रहे हैं या जैसा उन्हें बताया है और उनकी सरकार ने अपनी करतूतों से देश को और अंतर्राष्ट्रीय जगत को करके दिखा दिया है?

मान्यवर, इस सारे जघन्य कांड में न केवल मंदिर-मस्जिद का विवादास्पद ढांचा नष्ट हुआ है बल्कि सांप्रदायिक सौहार्द सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारा ध्वस्त हुआ है। हमारी सारी सांझी संस्कृति की नींव हिल गई है। शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की बलि चढ़ गई है। देश की एकता और अखंडता का आधार ढह गया है। इस में इतिहास को उलटने को घिनौना प्रयास किया गया है। इस में लोगों का, विशेषकर अल्पसंख्यकों का, विश्वास तोड़ा गया है और प्रजातंत्र में प्रजा का भाव तोड़ा गया है। कानून और व्यवस्था तथा विधि द्वारा स्थापित सर्वोच्च सत्ता का उपहास किया गया है। और इस सारे ढांचे को तहस-नहस करने का एक भद्दा प्रयास हुआ है। और तो और, न्याय प्रणाली की भी अवहेलना हुई है। एक राज्य का मुख्य मंत्री यहां पर सुप्रीमकोर्ट में शपथ पत्र देने के बाद, राष्ट्रीय एकता परिषद में वचन देने के बाद केन्द्रीय सरकार और राष्ट्रपति जी को उसके प्रति अपनी आस्था व्यक्त करने के बाद और ढांचे को सुरक्षित रखने का संकल्प लेने के बाद, उसे अपनी आंखों के सामने, और जो भाजपा के लोग शासन में आने की इंतजार में बैठे हैं, उन्होंने अपने सामने इस मूलभूत ढांचे को इस तरह से ध्वस्त कराया। यह कल उनके भी गले में पड़ने वाली बात है। यह इतनी आसान और स्वस्थ परंपरा नहीं है। इन सारी भावनाओं, इन सारी परंपराओं, इन सारे विश्वासों को तोड़कर किसी राष्ट्र की परिकल्पना नहीं की जा सकती। राष्ट्र आखिर है किस चीज का नाम राष्ट्र मात्र यह धरती नहीं है, मात्र ये नदियां नहीं हैं, ये पेड़ नहीं है। राष्ट्र इसमें रहने वाले, सांझे इतिहास के, सांझी संस्कृति के, सांझे भूगोल के, सांझी अर्थ-व्यवस्था के और सांझी सोच के, उस मानव समाज का जन समुदाय का नाम है जो बहुत लंबे समय से अपनी एक सत्ता को, अपने एक राष्ट्र को, अपनी एक अस्मिता को अपने एक गौरव को प्रतीक मानकर इकट्ठे रह रहे हैं। उस सारे विश्वास को इसमें चोट लगी है। इन सब विश्वासों को, इन सब सिद्धांतों को, विश्रृंखलित करके, उनको तार-तार करके, अब सरकार और सत्ता पक्ष के लोग ऊंचे-ऊंचे स्वर में उनकी पुनःस्थापना के प्रण और संकल्प दोहरा रहे हैं। पूरे जीवित शरीर को मारकर इस दर्दनाक तरीके से उसकी हत्या करके अब मुर्दे को घी सुंघाने का उपक्रम कर रहे हैं। अब कह रहे हैं सौहार्द स्थापित करना चाहिए। उनकी यह सोच, उनकी यह प्रतिबद्धता 6 दिसम्बर से पहले कहां चली गई थी। इन विचार-शून्य और दिशाहीन विसंगत निर्णयों का सिलसिला अभी भी समाप्त नहीं हुआ। उसके बाद राज्यपालों को हटाने का क्रम चला। केन्द्रीय सरकार ने अपनी अदूरदर्शिता को, अपनी अकर्मण्यताओं को, अपने अपराधों के आरोप को उन लोगों पर थोपने का प्रयास किया, जिन का उन से दूर का भी कोई सरोकार नहीं था।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED SIBTEY RAZI): How much more time will you take.

SHRI SOM PAL: I will take around 35 to 40 minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED SIBYTEY RAZI): Your party has been allotted limited time of 1 hour and 20 minutes. You have already taken 30 minutes.

SHRI SOM PAL: But this is my party's time.

There is no harm if I take a little more time.

केन्द्रीय सरकार ने इन कामों के लिए उन लोगों को बलि का बकरा बनाया, जैसा कि मैंने कहा, जिनसे

[श्री सोम पाल]

उनका कोई वास्ता नहीं था। इस सारे क्रम में भी दोहरे, तिहरे मानदण्डों की स्थापना के ही प्रमाण मिले हैं। कोई स्वस्थ सोच का प्रमाण नहीं मिला है। इस अफरा-तफरी में, इस लकवाग्रस्त सोच से ओतप्रोत नाटक का अंतिम अंक, फाइनल एक्ट, देश की राजधानी में 25 तारीख को अभिनीत हुआ। माननीय गृह राज्य मंत्री राजेश पायलट साहब यहां बैठे है। इनकी पुलिस ने जन साधारण से क्या व्यवहार किया होगा इसकी कल्पना आप इस बात से भलीभांति कर सकते हैं कि इस संसद से मात्र सौ गज दूर मुझ सहित 18-19 संसद सदस्यों को सरकार के तीन मंत्रियों की उपस्थिति में पांच घंटे तक उनके अनुनय विनय करने के बावजूद समझाने के बावजूद और तो और यहां से माननीया जयंती नटराजन जी प्रधान मंत्री से मिलकर गईं, उनके कहने के बावजूद, हमें इस सदन में नहीं आने दिया गया। लोगों की बातों को रोक दिया गया। मेरे रिश्तेदारों की एक बस पहले दिन चार बजे से अगले दिन चार बजे तक गाजियाबाद बार्डर पर खड़ी रही। उनको सोनीपत जाना था हम जानते हैं माननीय पायलट जी बहुत कुशल प्रबन्धक हैं। पर ज्यादा और अच्छा कुशल प्रबन्ध करने का अति उत्साह भी कई बार नकारात्मक प्रभाव लाता है। उस दिन का हमारा अनुभव कोई बहुत अच्छा अनुभव नहीं था। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस प्रकार पुनरावृत्ति यदि न हो तो ज्यादा अच्छा है। सरकार के प्रति लोगों के मन में पहले ही बहुत आशंकाएं है उनको कम करने की बजाए ज्यादा करने की कोशिश मत कीजिए। हम कोई प्रदर्शन करने नहीं आ रहे थे। इसमें से कोई भाजपा का भी नहीं था। अगर बल प्रयोग की बात है तो जिन लोगों ने बी॰बी॰सी॰ टेलीविजन की फिल्म देखी है, उसमें उन्होंने देखा है कि किस प्रकार वाटर केनन, पानी का फव्वारा छोड़ा गया। बी॰बी॰सी॰ का केमरा उस केनन के मुंह से लेकर मुरली मनोहर जोशी के कान तक पानी की धार को ट्रेस करता चला गया। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि जानबूझ कर उनको आहत करने की कोशिश की गई। चाहे वह किसी दल में हो। आज वह एक दल के नेता हैं, विधिवत ढंग से चुने हुए हैं। कल वह उधर बैठ सकते हैं और आप इधर बैठ सकते हैं। यह कोई अच्छी दिशा नहीं है-न हमारे लिए और न आपके लिए। उन मुट्ठीभर, कुछ सौ लोगों पर जिस प्रकार बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया गया, जिस तरह से आंसू गैस के गोले गन के ऊपर रखकर फैंके गये, उससे उसका अंदाज लगाया जा सकता है। वह कुछ दूसरे लोगों को भी लगे। एक राजस्थान का व्यक्ति है उसका हाथ भी टूटा है। उसकी शायद आवश्यकता नहीं थी, उसकी कोई अपेक्षा भी नहीं थी। वे इतने थोड़े से लोग थे कि पुलिस आसानी से बस में भरके, उनको गिरफ्तार करके ले जा सकती थी और उस स्थान को खाली करा सकती थी। मैंने सुना है कि शायद इसके लिए आग्रह भी किया गया था कि अगर कोई कानून तोड़ता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन पुलिस ने एक नहीं सुनी। इसलिए मान्यवर, यह कोई अच्छी दिशा का द्योतक नहीं है, किसी के लिए अच्छा नहीं है। पक्ष के लिए तो इसलिए कि कल को उन्हें भी विपक्ष में बैठना पड़ सकता है और विपक्ष के लिए भी यह जरुरी है कि उन्हें भी इस प्रकार की चीजें नहीं करनी चाहिए जिनसे राष्ट्र का अनुशासन खत्म हो। और हमारा भाईचारा और कानून और विधि की हमने जो स्थापना कर रखी है, उस पर किसी प्रकार की आंच आये। जो चीजें हमारे लिए गौरव की बात है, जिनके लिए हमारा सिर संसार में ऊंचा रहता है और लोग हमारी इस बात के लिए प्रशंसा करते हैं कि भारतीय लोकतंत्र किस तरह से स्वस्थ परम्पराओं को कायम कर रहा है, कैसे चल रहा है। उस छवि को खत्म करने की हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैं अपने ऊपर भी इसको लेता हूं। अगर हम आज इस बात को अपनी मौन स्वीकृति दे देते हैं तो इस प्रकार के कामों को जाने-अनजाने में वैधानिकता दे डालेंगे। और अगर कल को हमारे साथ भी इस तरह की चीज होती है तो हम किस मुंह से उसका विरोध करेंगे। और करेंगे तो कम-से-कम हम पर भी दोहरे मानदण्डों का आरोप तो लग ही सकता है। सत्ता पक्ष में कुछ विचारवान लोग ऐसे हैं जो इन बातों को अच्छा नहीं मानते। और जो इन बातों से अछूते नहीं रहे। जैसा कि अभी कहा गया, मंत्री भी उस दिन कुछ थे और अन्य लोग भी थे। पर कठिनाई यह है कि हम तो विपक्ष में हैं, कम से कम अपनी भड़ास तो निकाल लेते हैं। उन बेचारों को तो यह सौभाग्य भी प्राप्त नहीं है। वे तो बोल भी नहीं सकते हैं।

अब मैं यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सरकार की ओर से सभी राजनैतिक दलों, बुद्धि जीवियों, प्रभावशाली नेताओं और अन्य प्रभावी लोगों से मिलजुल कर काम करने का आवाहन किया गया है। इन घटनाओं से पहले तो सरकार ने किसी की बात नहीं सुनी, किसी को उन्होंने विश्वास में नहीं लिया। इस सदन को भी विश्वास में नहीं लिया। उस समय, तो उन्हें या तो अपना दल दिखाई देता था या केवल भाजपा राजनैतिक दल दिखाई देता था। उस वक्त हम लोगों ने सरकार को आगाह किया था, लेकिन हमारा उन्हें विश्वास नहीं था। हमें तो वे राजनैतिक दल मानते ही नहीं थे। आज सहयोग की बात कर रहे हैं। हम तो उसके लिए भी तैयार है। लेकिन ये किस बात के लिए सहयोग चाहते है?

राष्ट्रपति जी ने अगले ही वाक्य में कहा है कि राष्ट्र के निर्माण के कार्यक्रम में हम सब का सहकार और सहयोग चाहते हैं। पर मैं जानना चाहता हूं कि उस राष्ट्रीय निर्माण

के कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है? कम से कम इस भाषण में तो उसका कोई स्पष्ट रेखांकन नहीं किया गया है। आधी-अधूरी और अधकचरी चीजें कही गई हैं। जब हमें सहयोग देना था तो राष्ट्रीय एकता परिषद् में जा कर हमने कहा कि हमारी तरफ से ब्लैंक चैक है। जो आपकी सरकार करना चाहती है उसका हम समर्थन करने के लिए तैयार हैं। 356 आर्टिकल में उ०प्र० सरकार को बर्खास्त करना चाहते हैं तो हमारा समर्थन है। तब तो हमारी बात नहीं मानी। पायलट साहब और हम उत्तर प्रदेश के जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र में एक प्रसिद्ध कथा चलती है। एक बुढ़िया मेला देखने जा रही थी। वह मेले में जाने के लिए बड़े जोरों से भाग रही थी। तो किसी ने पूछा कि माता जी, इतनी तेज क्यों भाग रही हो? तो उसने कहा कि बेटा मेरा सारा सामान चोरों और डाकुओं ने लूट लिया है, सारा सामान छीन लिया है। तो लोगों ने कहा कि अगर सब कुछ छीन ही लिया है तो अब इतनी तेज क्यों भाग रही हो? यह केन्द्रीय सरकार भी उसी प्रकार जब सब कुछ लुट गया है तब भागने की कोशिश कर रही है।

इसके साथ-साथ स्थिरता और स्थायित्व की बातें भी की जाती है। इसके लिये ये लोग विकास की भी बातें करते है। लेकिन हर छः महीने में अपनी किसी न किसी मुख्य मंत्री को बदल देते है। वहां इनको स्थायित्व की कोई चिन्ता नहीं है। वह आदमी कोई नीति शुरू करता है, कोई काम शुरू करता है तभी उसे हटा दिया जाता है। अकसर दिल्ली भागना पड़ता है। वह अपने प्रशासन को ठीक से देख भी नहीं पाता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्र में स्थिरता और स्थायित्व की बात ये कैसे करते हैं?

अनुच्छेद 5 में महामहिम राष्ट्रपति जी ने पंजाब में लोकतंत्र की बहाली की बात कही है। यह बहुत सुखद बात है और सरकार को मैं इसके लिए बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं।

एक बार यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि आतंकवादी घटनाओं में कमी आ रही है और पंजाब का जन-मानस काली अंधेरी रात से निकलकर एक नये प्रभात की नई रोशनी की ओर अग्रसर होने का प्रयास कर रहा है। वहां नगरपालिकाओं और पंचायतों के चुनाव हुए। यह बहुत अच्छी बात है। पर उनमें कुछ चीजें ऐसी की गई कि विपक्ष के लोगों को पुलिस और सरकारी मशीनरी के द्वारा हवालातों में ठूंस दिया गया। मेरी वहां बहुत सारी रिश्तेदारियां हैं। मैं व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर कहता हूं, आप भी जानते हैं लेकिन सदन में रीकार्ड के ऊपर नहीं कहेंगे....**(व्यवधान)**....वह भी कोई बहुत गौरवपूर्ण अध्याय नहीं है। प्रजातंत्र में विपक्ष आतंकवादी नहीं हुआ करता है। सरदार साहब। ....**(व्यवधान)**....उसका एक वैधानिक स्थान होता है और उपयोग होता है। मैं आपको प्रमाण दे सकता हूं, अगर आप चाहें तो। वहां मेरी अपनी रिश्तेदारी है। ...**(समय की घंटी)**...इस बारे में बहस न की जाये तो अच्छा है। लेकिन अगर एक संसदीय समिति वहां जाकर देखे तो वह इस तथ्य की पुष्टि करेगी यह मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं। मैं कहना यह चाहता हूं कि भगवान के लिये ऐसी गलतियों की पुनरावृति न करें। पंजाब और देश इसका बहुत खामियाजा भुगत चुका है। ...**(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री सैयद सिब्ते रजी): आप अपनी बात कहें।

श्री सोमपाल: अनुच्छेद 6 में पूर्वोत्तर राज्यों की स्थिति और उनके विकास की बात कही गयी है। मैं सरकार का ध्यान इस संबंध में सेन समिति की सिफारिशों की ओर दिलाना चाहता हूं। हमारी कृषि समिति, जिसकी अभी-अभी माननीय विश्वजीत सिंह जी चर्चा कर रहे थे, वह उस रिपोर्ट की सिफारिशों की क्रियान्वयन की समीक्षा के लिये पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में गई थी। उसने कुछ ठोस और व्यावहारिक सुझाव दिये हैं। पर हमें वहां यह देखकर दुःख हुआ कि न तो वहां की राज्य सरकारों में उसके प्रति कोई प्रतिबद्धता है और न केन्द्र की ओर से कोई ऐसे प्रयास दिखायी दिये जिससे इन राज्यों की इस संबंध में कोई मदद हो। अगर उनको उसके ऊपर चलने को प्रवृत्त करें तो वहां उस क्षेत्र में बहुत प्रगति हो सकती है। इन पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों की विशेषता यह है कि वहां भारत में सबसे अधिक वर्षापात होता है, सबसे अधिक विपुल राशि में भूमिगत जल है, अत्यन्त उपजाऊ मिट्टी है पूरे वर्ष भर अपरिमित मात्रा में सूर्य का प्रकाश वहां रहता है। वहां कृषि, बागवानी, फूलों, औषधीय पौधों और सुगंधिदायक पौधों के उत्पादन और मत्स्य उत्पादन की इतनी अनन्त संभावनायें है कि यदि उनका लाभ लिया जाये तो अकेला वह क्षेत्र, पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्य पूरे राष्ट्र को खिला सकते हैं और हजारों-करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा भी निर्यात के द्वारा कमा सकते हैं।

एक और छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि सेन समिति ने कुछ तो इस प्रकार की बातें कही हैं कि उसमें बजट और फंड की भी जरूरत नहीं है। केवल, संगठनात्मक परिवर्तनों से बहुत लाभकारी परिवर्तन आ सकते हैं, बहुत लाभ हो सकता है। जैसे चकबंदी की बात है। इन पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में आज तक चकबंदी नहीं हुई और मुझे दुख होता है कि हमारे वैस्ट बंगाल के, खासकर कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य कहते हैं कि चकबंदी व्यवहार्य नहीं है। अगर हरित क्रांति कहीं आयी है, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के पूर्वी जिलों में, तो चकबंदी को इसका बहुत बड़ा श्रेय है। उसमें कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं लगता है। मैंने बिहार के अधिकारियों से बात की

[श्री सोमपाल]

केवल 5 करोड़ रुपये के खर्च से वहां पूरे प्रदेश में चकबंदी हो सकती है। ...**(व्यवधान)**...आप ठीक कह रहे हैं यह बात। मैं प्रयास करूंगा। मैंने उन्हें कहा भी है। 5 करोड़ रुपये में वहां चकबंदी हो सकती है और खेती का उत्पादन बढ़ सकता है।

अनुच्छेद 7 से लेकर 14 तक माननीय राष्ट्रपति जी ने आर्थिक सुधारों की बात कही है, विदेशी मुद्रा के पर्याप्त भंडार की बात कही है, नियंत्रणों में ढील की बात कही है और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा स्थापित करनी की बात कही है। मैं खुले रूप से कहना चाहता हूं कि इनमें अधिकतर कदम अच्छे है और स्वागत के योग्य हैं। पर जो डंकल प्रस्ताव है, अक्सर जिनका जिक्र होता है। और विषयों के ऊपर शायद वह अच्छी चीज है पर कृषि के संबंध में डंकल प्रस्तावों में कुछ ऐसी चीजें है जो ठीक नहीं है। खेती की एक कीट-नाशक दवा होती है जिसको डी०डी०टी० कहते हैं। ये जो डंकल ड्राफ्ट टैक्सट का संक्षिप्त रूप है, डी०डी०टी० उस जहर को चुपचाप इस राष्ट्र के गले से नीचे उतारने का प्रयास सरकार कर रही है।

उपसभाध्यक्ष (श्री सैयद सिब्ते रजी): कृपया संक्षेप में करें।

श्री सोमपाल: उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं पांच मिनट और लूंगा।

उसके बाद रूस के साथ समझौते की बहुत शेखी मारी गयी है। आज स्थिति यह है कि एक रुपये में एक रूबल मिलता है और हमने एक रुबल के 18 रुपये दिये हैं। और रूबल को यदि एक डालर में कनवर्ट करें तो हमें 540 से 600 रुपये देने पड़ेंगे। हमने समझौता कर लिया उसमें एक तिहाई कर्ज माफ करा कर हम कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। रूस के साथ पहले भी स्विच ट्रेड हो रहा था। सरकार को इसका पता था। कुछ किया नहीं और अब कह रहे हैं कि हमें 45 सालों में देना पड़ेगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। इससे अच्छा तो यह होता कि आज ही डालर या किसी हार्ड करंसी में हम उनको कर्ज वापिस कर देते इससे रूस भी खुश रहता और हमारे कर्ज का बोझ भी कम हो जाता। इस बारे में न तो संसद् को जानकारी दी गई, न राष्ट्र को जानकारी दी गई। यह आक्षेप की बात है, यह कोई अच्छी बात नहीं है। कम से कम आप संसद् को तो विश्वास में ले लेते। उसके ऊपर शेखी और मार रहे हैं। इससे तो चुप रह जाते तो बहुत अच्छा होता। नियंत्रणों में जो ढील दी गई है **(व्यवधान)**।

श्री विश्वजीत पृथ्वीजीत सिंह (महाराष्ट्र): मैं आपको याद करवा रहा हूं कि आपको एग्रीकल्चर कमेटी की मीटिंग में जाना है **(व्यवधान)**।

श्री सोमपाल: नियंत्रणों में जो ढील दी गई है इससे दो क्षेत्र बिलकुल अछूते रह गये हैं। एक तो लघु उद्योग है। इनके पंजीकरण की प्रक्रिया ही में छोटे उद्यमियों को एक-एक साल का समय लग जाता है और जिस अवमानना, अपमान और तिरस्कार का उसे दफतरों में जाते हुए सामना करना पड़ता है, उससे उसका उत्साह टूट जाता है और उद्योग लग ही नहीं पाता है। इसलिए उनको भी ढील दे देनी चाहिये। इसके साथ-साथ कृषि क्षेत्र के उद्योगों को भी ढील देनी चाहिये। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि चीनी उद्योग के ऊपर नियंत्रण है। हमारे प्रदेश में केवल साढ़े इक्कतीस फीसदी गन्ना ऐसा है जो चीनी मिलों पर जाता है। बाकी खंडसारी यूनिट्स में जाता है जहां रिक्वरी 6 प्रतिशत है और चीनी मिलों में रिक्वरी 11 प्रतिशत है। **(व्यवधान)**

THE VICE CHAIRMAN (SHRI SYED SIBTEY RAZI): Please conclude. You know, you are encroaching upon others' time. Please.

श्री सोमपाल: सिर्फ दो मिनट। इससे आप 25 प्रतिशत चीनी का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। शीरे के दामों पर नियंत्रण है। चीनी मिलों के प्रबंध को आपने सरकारी अधिकारियों को दे रखा है। गन्ने का भुगतान समय पर नहीं होता है। चीनी बनाने की नयी तकनीक को आने से आप रोक रहे हैं। इस उद्योग में जो निहित स्वार्थ वाले एकाधिपति लगे हुए हैं उनके इशारों पर सरकार चीनी उद्योग को लाइसेंस प्रणाली से मुक्त नहीं करना चाहती है। इसका कारण मुझे समझ में नहीं आता है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, अनुच्छेद 15 से 19 तक राष्ट्रपति जी ने कृषि और ग्रामीण विकास की बात कही है। यह बहुत लम्बी बात है। इसलिए मैं इसमें केवल दो बातें कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। एक तो यह है कि कृषि के अन्य क्षेत्रों पर भी सरकारी प्रतिबंध अभी तक जारी है। अनाज, कपास और गन्ने को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में ले जाने पर पाबंधी है। इससे एक तरफ तो उत्पादक को घाटा होता है और दूसरी तरफ अन्य प्रदेशों के उपभोक्ताओं को भी अधिक दाम देने पड़ते हैं। इसका तर्क और औचित्य हमारी समझ में नहीं आता है। कृषि को खुलेपन और ढील से आपने क्यों वंचित कर रखा है, यह बात मुझे तो समझ में नहीं आती है।

अंत में, मैं सरकार से एक बात और कहना चाहूंगा। इस समय तिलहन, कपास और कुछ अन्य जिन्सों के दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी नीचे हैं। माननीय पायलट जी बैठे हुए है, मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसी समय, जो गारंटीड न्यूनतम समर्थन मूल्य है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उससे भी नीचे कई जिसें बिक रही है। कपास निर्यात करने की घोषणा आप तब करते हैं जब किसान अपनी कपास व्यापारी को दे

चुका होता है। आप मंडियों में खरीद उस समय शुरू करते हैं जब किसान अपनी जिंस को व्यापारी को डिस्ट्रेस सेल कर चुका होता है। एन०डी०डी०बी० तेल और तिलहनों की खरीद-फरोख्त या इंटरवेंशन उस समय करता है जब किसान के हाथ में जिंस निकल चुकी होती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस संबंध में एक स्पष्ट नीति वक्तव्य आना चाहिये। जो कृषि नीति आपने बनाई है उसमें कुछ है ही नहीं। आपने भी कहा कि कृषि को उद्योग घोषित कर दो लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है, इससे तो और भी जटिलताएं आएंगी। इतनी बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के संबंध में हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करने खड़ा हुआ हूं। मैं इससे पहले कि अपनी बात प्रारम्भ करूं, 22 फरवरी को महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो अपना अभिभाषण दिया उसके आखिरी पैरा से मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूं। मेरा ऐसा सोचना है कि अभी तक दोनों सदनों के समक्ष महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो भी भाषण अभिभाषण दिये हैं ये संभवतः एक ऐसे अभिभाषण का अंश हैं जो हम सब लोगों के लिए अपनी कर्तव्य का बोध कराने के लिए पर्याप्त हैं। इसमें उन्होंने चन्द उद्धरण करते हुए कहा है कि देश आज जिस संकट के दौर से गुजर रहा है उसमें आपके कंधों पर भारी जिम्मेदारी आ पड़ी है। साथ ही उन्होंने यह भी हम लोगों को कहा है कि मेरा पूरा विश्वास है कि इस वर्ष समस्याओं से निपटने के लिए आप पूरे देश के समक्ष अपने उत्कृष्ट आचरण और नेतृत्व का परिचय देंगे। राष्ट्र इस महान संस्था के प्रतिनिधियों से, इससे कुछ भी कम की आकांक्षा नहीं रखता। आपको साहस बुद्धिमता और अनुशासन के साथ राष्ट्र का मार्गदर्शन करना है। मान्यवर, यह बात चिंतनीय और गंभीर इसलिए है कि यद्यपि यह बताया जा रहा है कि आज राष्ट्र के सामने संकट है, दरअसल यदि हम सही आंकलन करें तो हम यह पायेंगे कि राजनैतिक समुदाय ही संकट की स्थितियों से घिरा हुआ है। हम एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं और यह परस्पर दोषारोपण की जो प्रथा है वह भारतीय राजनीति की मानसिकता और दुर्बलता का प्रतीक बनकर रह गयी है। आज स्थिति यह है कि भारतीय राजनीति जिस हास्यास्पद परिस्थिति का सामना कर रही है और राजनीतिज्ञ परस्पर दोषारोपण देश के संकट को बताते हुए जो कर रहे हैं उससे वे स्वयं अविश्वसनीय स्थिति में आ गये हैं। उनके हर कथन को लोग शंकास्पद परिस्थितियों से देख रहे हैं और यही कारण है कि महामहिम राष्ट्रपति जी को अपने अभिभाषण में माननीय संसद सदस्यों से अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करने के लिए आवाहन करना पड़ा। तो आज जब हम देश की परिस्थितियों पर चर्चा कर रहे हैं तो हमें इसे इस रूप से देखना पड़ेगा, एक, कि देश के सामने कौन सी चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों का सामना हमें किस ढंग से और किस रूप से तथा किस रणनीति के तहत, किस प्रकार की व्यूह रचना करके करना है और दूसरा देश के सामने कौन सी समस्याएं हैं। तो जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए हम अपने कर्तव्यों का पालन एक संजीजदी और जिम्मेदारी के साथ किस ढंग से कर सकते हैं ताकि हमारे देश में रहने वाले हर इंसान का जीवन स्तर बेहतर हो सके और हम गर्व से कह सकें कि हम उस उन्नत भारत देश के वासी हैं जो कि विकासशील देशों की श्रेणी में आ गया है। तो मान्यवर जब राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा होती है तो साल भर की घटनाओं की समीक्षा की जाती है। लेकिन इसका एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह रहा कि महामहिम राष्ट्रपतिजी के अभिभाषण का बहिष्कार एक राजनीतिक दल ने यह कह कर किया कि हम रेस्पैक्टफुली एबसेंट रहना चाहते हैं। हर काम वह रेस्पैक्टफुली करना चाहता है, रेस्पैक्टफुली वह एबसेंट रहते हैं, रेस्पैक्टफुली वह डिमालिशन करते हैं, रेस्पैक्टफुली समय-समय पर महामहिम राष्ट्रपतिजी के कथनों की आलोचना करते हैं, रेस्पैक्टफुली दूसरे धर्म की आलोचना करते हैं, न केवल दूसरे धर्म की आलोचना करते हैं, बल्कि दूसरे धर्म के मानने वालों के प्रति घृणा भाव पैदा करते है। ...(**व्यवधान**)।

श्री लक्खीराम अग्रवाल (मध्य प्रदेश): यह गलत है।

श्री सुरेश पचौरी: जब यह धर्म की व्याख्या करते हैं.....

श्री लक्खीराम अग्रवाल: आप तड़प उठते हैं।

श्री सुरेश पचौरी: तो यह वेदों और उपनिषदों को भूल जाते हैं कि यहां यजुर्वेद में कहा गया है कि—एकेव मानव जाति—मनुष्य की जाति एक है। जहां सम्राट अशोक के शिलालेख में कहा गया है कि एक धर्म के मानने वाले लोग दूसरे धर्म को हेय की दृष्टि से न देखे, दूसरे धर्म के मानने वालों के प्रति घृणाभाव न पैदा करें, बल्कि दूसरे धर्म के मानने वालों को सम्मान की दृष्टि से देखें, लेकिन इसके बाद और क्या होता है, जैसे गुरु ग्रन्थ साहब में लिखा है—"अव्वल अल्ला नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे"—यह सब जो इंसान हैं, वे उस मालिक के दिये हुए बंदे हैं। फिर आपस में एक-दूसरे के प्रति हेय भाव, घृणा भाव क्यों हो, लेकिन यह सारे लोग इस चीज में आस्था नहीं रखते हैं।

मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो सीमा पर लड़ने वाला जवान है, वह जब सहस्रों लोगों की, जो विदेशों से हमारे देश पर आक्रमण करते हैं, हत्या कर

[श्री सुरेश पचौरी]

देता है, तो हम उसका सम्मान करते हैं, हम उसे तरह-तरह से पुरस्कार देते हैं और वह इंसान जो अपने गांव के खेती की खातिर एक इंसान की हत्या कर देता है, तो उसे आई०पी०सी० की धारा 302 के तहत सजा तक दी जाती है। क्यों?

क्योंकि वह जो हत्या करता है, उसमें उसका स्वार्थ छिपा रहता है, उसमें भूमिहरण की भावना छिपी रहती है और एक वह भावना जो सीमा पर देश की रक्षा करने के लिए सहस्रों लोगों की हत्या कर देता है, उसके पीछे देश की भावना छिपी रहती है-देशसेवा की, वह निस्वार्थ सेवा की भावना छिपी रहती है।

तो दरअसल जब हम धर्म की बात करते हैं, तो जिस धर्म का उपयोग स्वार्थ के लिए किया जाता है, सही रूप में वह लोग सही धार्मिक लोग नहीं कहलाये जा सकते हैं, बल्कि उनको उसी श्रेणी में लेना चाहिए, जो भूमि हड़पने के लिए किसी इंसान को मौत के घाट उतार दिया करता है। कुछ ऐसी ही स्थिति इन धर्म के आधुनिक ठेकेदारों ने पिछले दिनों से हमारे देश में हमारे सनातन धर्म की कर दी।

तो, मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि जब हम साल भर की घटनाओं की समीक्षा करते हैं, तो हम पाते है, यद्यपि आर्थिक क्षेत्र में अलग-अलग फ्रंट्स पर हमारे देश ने तरक्की की है, वह आंकड़े अभी पिछले समय दिये गये हैं और हमें यह बताते हुए खुशी है कि जब हम इकनामिक इंडिकेटर्स की बात करते हैं, तो जो पर-कैपिटा नेशनल प्राडक्ट है, उसमें बढ़ोत्तरी हुई। जब हम 1950-51 से यह बात करते हैं, फूडग्रेंस का भी आऊटपुट जो है, वह बढ़ा है, होलसेल जो फारेन ट्रेड का एक्सपोर्ट है, वह भी जब हम देखते हैं, 1988-89 में 20,232, 1989-90 में 27,681 रहा और 1990 में 32,533 रहा। फोरेन एक्सचेंज रिजर्व भी देखते हैं तो उसमें भी हम बढ़ोत्तरी पाते हैं। इसके अतिरिक्त इंसान से संबंधित जो बात है जब हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखते हैं तो जो 1980-81 में 54.4 थी वह बढ़कर 1990-91 में 59.9 हो गई। लिटरेंसी रेट भी जब हम देखते हैं तो जो 1980-81 में 43.56 था वह बढ़कर 52.2 हो गया। तो ये सारे वे आंकड़े हैं मान्यवर, जो यह दर्शाते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में हमारे देश ने माननीय नरसिंह राव जी के नेतृत्व में प्रगति और विकास के द्वार पर दस्तक दी। लेकिन सामाजिक क्षेत्र में क्या स्थिति हुई, कैसे सामाजिक तनाव उत्पन्न हुआ, इस बारे में विचार करने की आवश्यकता है। 6 दिसंबर की घटना का उल्लेख करना मैं आवश्यक महसूस करूंगा। क्योंकि उस समय जो भय कांड की स्थिति हमारे देश में हुई उसने न केवल हमारे देश में रहने वाले रहवासियों का दिल दहला दिया बल्कि पूरे विश्व में हम दरअसल अकेले पड़ गए, पूरे विश्व की बिरादरी में हम अकेले पड़ गए यह स्थिति हो गई कि उस दुर्भाग्यजनक घटना जब यह घटित हुई तो रघुकुल रीत सदा चली आई के मानने वाले लोगों के मुख पर भी उस दिन कालिख पोत दी गई। यह स्थिति। तो जब हम उसकी व्याख्या करते हैं तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमारे देश में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृति न हो हम इस प्रकार के उपाय करें। आखिर वे कौन से लोग थे जो इस प्रकार की घटना के लिए जिम्मेदार हैं? इसके लिए मैं आपका ध्यान आजादी से पहले के हालातों की ओर ले जाना चाहूंगा। जब हमारा देश परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था तब कुछ ताकतें ऐसी थीं जो इस देश की आजादी की पक्षधर नहीं थीं। एक तरफ वह लोग थे विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग, विभिन्न संप्रदायों के मानने वाले लोग, विभिन्न जातियों के लोग, सरदार भगत सिंह, चन्द्र शेखर आंजाद और अश्फाक उल्ला। अश्फाक उल्ला जब फांसी के तख्ते पर चढ़ रहे थे तो उनसे पूछा गया था कि बताओ, तुम्हारी आखिरी तमन्ना क्या है, तो उन्होंने कहा था कि मेरी आखिरी तमन्ना यह है कि मैं दोबारा इसी भारत देश में जन्म लूं और जब भारत देश में जन्म लूं तो यह मेरा देश आजाद भारत देश उस समय दिखे और इस देश में विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग भाईचारे के वातावरण में रहें। जब अश्फाक उल्ला को फांसी दी जा रही थी और जब उनकी गिरफ्तारी लगभग तय हो गई थी तो उसके मित्र ने उसको सलाह दी थी कि वह भारत देश से विदेश चला जाए तो उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पायेगी। उस समय उसने कहा था कि मैं एक ऐसी मिसाल पेश करना चाहता हूं कि हम फक्र के साथ कह सकें कि इस भारत के स्वाधीनता संग्राम आंदोलन में हम मुसलमान भाइयों की भी एक भूमिका रही है। इसी प्रकार 1915 और 1916 में जब काबुल में अस्थायी सरकार बनी थी तो उस समय की जो अंग्रेज राज चल रहा था उसके खिलाफ वातावरण बनाने में उस अस्थायी सरकार के प्रधानमंत्री बरकत उल्ला भोपाली थे, मैं बरकत उल्ला भोपाली का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि वह भोपाल के रहने वाले थे, उनके नाम पर भोपाल यूनिवर्सिटी का नामकरण किया गया, उन्होंने काबुल में अस्थायी सरकार के प्रधानमंत्री रहते हुए अंग्रेजी शासन के खिलाफ विदेशों में भी एक वातावरण बनाया। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराने में विभिन्न धर्मों, विभिन्न संप्रदायों और विभिन्न जातियों के लोगों की एक भूमिका रही है। लेकिन कुछ शक्तियां ऐसी थीं जो इस देश की आजादी की पक्षधर नहीं थीं। मैं उन शक्तियों की तरफ इशारे से यह कहना चाहता हूं कि जब हमारे देश ने 15 अगस्त, 1947 को आजादी हासिल की तो 21 अगस्त, 1947 को फगवाड़ा में आर०एस०एस० का प्रशिक्षण शिविर हुआ। उस आर०एस०एस० के प्रशिक्षण शिविर को

संबोधित करते हुए हेडगेवार जी ने, "बंच आफ् थाट्स" में यह लिखा गया, 21 अगस्त, 1947 को यह कहा था कि 15 अगस्त, 1947 बेमिसाल गद्दारी का दिन माना जाना चाहिए।

उस प्रशिक्षण शिविर में उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हुए कहा था कि कुछ दिनों में हमारे देश में एक ऐसी व्यवस्था फैल जाएगी कि आजाद भारत के लोग निराश हो जाएंगे और वह अंग्रेजों को भारत में बुलाएंगे।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: उस समय डा० हेडगेवार जी मर चुके थे। आप डा० हेडगेवार की बात कह रहे हैं, डा० हेडगेवार जी सन् 47 में जिंदा ही नहीं थे।

श्री सुरेश पचौरी: उपसभाध्यक्ष आप बंच ऑफ थाट्स देख लीजिए। महोदय, मैं यह कह रहा था कि जो आजाद भारत के पक्षधर न रहे हों, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में, भारत को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराने में जिन ताकतों का कोई योगदान न रहा हो वह आजाद भारत खुशहाल रह पाए, उस आजाद भारत में शांति और सहिष्णुता रह पाए, वह इस बात को नहीं मान सकते। इसलिए समय-समय पर उन्होंने इस प्रकार के हालात पैदा किए कि हमारे देश में अराजकता फैले, अव्यवस्था फैले, अशांति फैले और लोग भाईचारे के रूप में न रह पाएं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, चुनाव के समय तरह-तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं। भगवान श्रीराम जी के मंदिर की बात कही जाती है। सन् 1952 में हमारे देश में पहला आम चुनाव हुआ, दूसरा सन् 1957 में हुई, तीसरा 1962 में, चौथा 1967 में, पांचवां 1971 में, छठवां 1977 में हुआ तब इन खाकी पेंटधारियों को, तब इन चड्डीधारी आ०एस०एस० की बुनियाद पर टिके हुए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भगवान श्रीराम जी का मंदिर बनाने की बात ध्यान नहीं आई। सन् 1952, 1957, 1962, 1967, 1971 और 1977 के चुनाव में उनके सामने यह मुद्दा नहीं आया और 1977 से 80 के बीच में जब जनता पार्टी की सरकार बनी और लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जब खुद सत्ता का अंग बने, तब यह मुद्दा उनके ध्यान में नहीं आया। महोदय, एक तरफ तो यह कहते हैं कि दिल्ली में हमारा शासन होने दीजिए तब हम भगवान श्रीराम जी का मंदिर बनाएंगे। तब तक अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी को सत्ता का अंग रहते हुए अयोध्या में भगवान श्रीराम जी का मंदिर बनाने की बात ध्यान नहीं आई जबकि 1949 में भए प्रकट गोपाला हुआ, लेकिन जब इस प्रकार के मुद्दे चुनाव में केवल वोट प्राप्त करने के लिए उठाए जाते हैं तो यह हमारे लिए न केवल निंदनीय बल्कि अशोभनीय और चिंतनीय भी होते हैं। ये ऐसे मुद्दे हमारे सामने होते हैं जिनसे कि देश की अस्मिता का प्रश्न जुड़ा रहता है, देश की एकता और अखंडता का प्रश्न जुड़ा रहता है। महोदय, आज आवश्यकता इस बात की है कि देश जिन परिस्थितियों का सामना कर रहा है जिसका कि इशारा महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में किया है, यह परिस्थितियां कुछ इस प्रकार की हैं कि हम देश हित में विचार करें, धर्म का इस्तेमाल राष्ट्र हित में करें। धर्म का इस्तेमाल अपनी पार्टी के हित में न करें, धर्म का इस्तेमाल वोटों के लिए न करें। महोदय, चुनाव के समय हमने कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह कहते हुए पाया है, मेरे कैसेट्स इस बात के सबूत हैं कि भगवान श्रीराम जी के लिए; आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। महोदय, भगवान श्रीराम जी हमारे आराध्य देव हैं। उनके आशीर्वाद की हमें आवश्यकता है। उन्हें हमारे देश की जनता के वोटों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जब धर्म का सहारा लेकर, जब जाति का सहारा लेकर लोग वोटों की राजनीति करते हैं तो यह हमारे लिए बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो जाती है। आज हमारा देश कुछ इस प्रकार की स्थिति में है कि वह विषैले जबड़ों के बीच दबा हुआ है जिनसे कि सांप्रदायिकता की बू आ रही है, जातीयता की बू आ रही है, कट्टरता की बू आ रही है। धर्मांधता की बू आ रही है।

महोदय, धार्मिक होना अच्छी बात है, लेकिन धर्मांधता होना अच्छी बात नहीं है हमारे देश में लोगों ने गोड्से को नहीं महात्मा गांधी को माना है। हमारे देश में लोगों ने औरंगजेब को नहीं माना, दीने इलाही वाले अकबर को माना है। हमारे देश में लोगों ने भिंडरावाले को नहीं माना है, गुरु नानकदेव को माना है। तो यह स्थिति है कि हम धार्मिक तो हो सकते हैं, लेकिन हम धर्मांध न हों, मैंने यह अपनी बात कही थी। जब हम यह बात कहते हैं कि राष्ट्र संकट की स्थितियों से गुजर रहा है तो हमें यह भी देखना होगा कि राजनीतिक दल भी संकट की स्थितियों से गुजर रहे हैं, राजनीतिक दल भी दुविधा की स्थिति में हैं, राजनीतिक दल वोटों की राजनीति में पड़े हुए हैं।...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED SIBTEY RAZI): MR. Pachouri, would you please listen to me? You have already taken twenty minutes. We have shortage of time. I will request you to conclude within five minutes.

श्री सुरेश पचौरी: तो आज आवश्यकता यह है कि हम राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर राष्ट्र-हित को

[श्री सुरेश पचौरी]

सर्वोपरि मानकर अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करें तभी सही मायनों में जो हम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा कर रहे हैं उस चर्चा को कोई महत्व हो पाएगा।

मान्यवर, महामहिम राष्ट्रपति जी ने पंचायत राज स्थापना की बात का उल्लेख अपने अभिभाषण में किया है, यह सत्ता के विकेन्द्रीयकरण का एक अच्छा प्रयास है। नगरपालिका, नगर-निगमों में भी अलग-अलग अधिकार देने की बात जो कही गई है, वह भी एक अच्छा परयास है। इसके लिए हम प्रधान मंत्री जी के शुक्रगुजार हैं। यहां अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा तो दे दिया गया है, लेकिन अल्पसंख्यक आयोग का गठन अभी तक नहीं हो पाया है, उस पर विचार करने की जरूरत है।

मान्यवर, पावर शार्टेज और वाटर शार्टेज का एक अहम मसला हमारे सामने है। हमारा जो देश है वह कृषि प्रधान देश है। आज गांव में रहने वालों की दो प्रमुख दिक्कतें हैं पहली दिक्कत तो यह है कि उन लोगों, खासकर किसानों को गांव में अपनी फसल की सिंचाई के लिए बिजली पूरे समय उपलब्ध नहीं हो पा रही है और यह बताया जा रहा है कि पावर शार्टेज है, दूसरी दिक्कत वाटर लेवल की है, वह दिन-प्रतिदिन नीचे होता जा रहा है। यह धीरे-धीरे हम लोगों को वाटर शार्टेज की समस्या का सामना करना पड़ेगा। इस बारे में भी विचार करने की जरूरत है और निश्चित रूप से विचार किया जाना चाहिए।

जनसंख्या नियंत्रण के लिए हमारी सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं, वह सराहनीय हैं, लेकिन यह एक ऐसी समस्या है जो एक विकराल रूप धारण करती जा रही है। सीमित परिवार सुख का आधार बने, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार इस जनसंख्या नियंत्रण व्यवस्था में प्रमुख रूप से वरीयता के साथ दिलचस्पी ले। ऐसा मेरा आपके माध्यम से आग्रह है।

मान्यवर, सरकार ने जो पूजा स्थल विधेयक लाया है, वह एक सराहनीय प्रयास है। इससे हमारे देश में एक ऐसा वातावरण निर्मित करने में हमें सहायता मिलेगी कि विभिन्न धर्मों के लोग एक निर्विघ्न रूप से रह सकेंगे और पूजा, अराधना अपने उपासना स्थलों में कर सकेंगे। यह एक अच्छा प्रयास है।

मान्यवर इसके अलावा मैं आपके माध्यम से यह आग्रह करना चाहूंगा कि देश के जिन-जिन हिस्सों में सांप्रदायिक दंगे हुए हैं और जहां लोगों की जानमाल की हानि हुई है, जिनका किसी भी प्रकार से सांप्रदायिक हिंसा में कोई सरोकार नहीं है, उन लोगों को समुचित सहायता केन्द्रीय सरकार की तरफ से दी जानी चाहिए और उनको रोजगार दिये जाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है।

इसके साथ साथ यह भी बहुत आवश्यक है कि जिस तरह आपने हमें अयोध्या का एक व्हाइट पेपर दिया, उसी तरह इस देश में आजादी से पहले सांप्रदायिक शक्तियों की क्या भूमिका रही उसका भी व्हाइट पेपर दें ताकि जब हम इन सांप्रदायिक संगठनों पर, जिन पर प्रतिबंध लगा है और जब उस पर विचार कर रहे हैं तो हम लोग पूर्ण विचार कर सकें कि जिन ताकतों का देश को आजादी दिलाने में कोई योगदान नहीं रहा वह आजाद भारत में किस प्रकार के व्यवधान इस देश की प्रगति में पैदा करना चाहते हैं। उसके अलावा भारत की आजादी से 6 दिसंबर तक की घटनाओं का एक व्हाइट पेपर प्रकाशित होना चाहिए। उसमें न केवल अयोध्या की घटनाओं का जिक्र हो बल्कि उसमें सांप्रदायिक ताकतों की भूमिका का उल्लेख भी किया जाना आवश्यक है।

मान्यवर, जिस 25 तारीख की रैली का जिक्र इन्होंने किया है वह संविधान को चुनौती दी जाने वाली रैली थी, वह किसानों के हक में आयोजित रैली नहीं थी, सामाजिक न्याय दिलाने के लिए रैली नहीं थी बल्कि वह संविधान को चुनौती दी जाने वाली रैली थी और उस रैली को संबोधित करने वाले थे अशोक सिंघल, महंत अवैद्यनाथ, मुक्तानंद जी। यह बड़ी अजब बात है कि जहां ईरान में बगैर पढ़े लिखे मुल्ला-मौलवी संविधान की खिल्ली उड़ाते हैं, उसी तरह हमारे भारतीय संविधान की खिल्ली स्वामी मुक्तानंद जी उड़ाते हैं, महंत अवैद्यनाथ जी, चिन्मयानंद जी, ये सारे हमारे भारतीय संविधान की खिल्लियां उड़ाते हैं और समय-समय पर कुछ ऐसी भी परिस्थिति निर्मित हो जाती है कि एक राजनीतिक दल, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने हुये हैं, उसके प्रतिनिधि जो होते हैं वे कई बार यह कह देते हैं कि हम धर्म संसद के फैसले का इंतजार करेंगे, हम धर्म संसद का निर्देशन लेंगे। यह तय करने की आवश्यकता है कि ऐसे राजनीतिक दल संविधान में आस्था रखते हैं यह धर्म संसद के निर्देशों का वह पालन करेंगे। तो 25 तारीख की रैली यदि इनको आयोजित कर लेने दी जाती तो मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाइट नहीं हैं, मैं अतिश्योक्तिपूर्ण नहीं कह रहा हूं, कि उस रैली में कुछ वैसी ही घटानाएं होती, जैसी बम्बई में हुई, जैसी सूरत में हुई, जैसी भोपाल में साम्प्रदायिक हिंसा के रूप में हुई। यह लोग इस चीज में विश्वास रखते हैं कि जब-जब साम्प्रदायिक दंगे होंगे, यह उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करते हैं—एक सम्प्रदाय विशेष में जहर फैलाकर उसके वोट हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसलिए 25 फरवरी को जिस मजबूती के साथ, जिस दिवंगता के साथ उस रैली को विफल केन्द्रीय सरकार ने किया है, उसके लिए केन्द्रीय सरकार बधाई की पात्र है।

मान्यवर, जिन राज्यों में सरकारें बर्खास्त करने की बात कही गई, उन राज्यों की स्थिति क्या थी, जब राष्ट्रपति शासन पर हम लोगों ने चर्चा की थी उन बिन्दुओं का उल्लेख किया था कि किस ढंग से राज्यपाल की रिपोर्ट में उन सब चीजों का उल्लेख किया गया था कि उन प्रदशों में किस प्रकार अव्यवस्था, अराजकता और अशांति फैली हुई थी।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED SIBTERY RAZI): Please conclude. Please try to conclude now.

श्री सुरेश पचौरी: तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आज इस बात की आवश्यकता है कि जो साम्प्रदायिक ताकतें साम्प्रदायिक हिंसा के माध्यम से देश में साम्प्रदायिक तनाव पैदा करना चाहती हैं, हम उनकी कुत्सित चालों को न केवल बेनकाब करें बल्कि उनको विफल करें। इसके लिए आवश्यकता है कि सारी जो सैक्युलर ताकते हैं वे एक मंच पर आएं और इन साम्प्रदायिक शक्तियों का मुकाबला करें ताकि हमारा देश प्रगति और विकास के द्वार पर प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में दस्तक दे सकें।

इंहीं शब्दों के साथ महामहिम राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण हुआ है, मैं उसके प्रति हार्दिक धन्यवाद प्रकट करता हूं।

SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO (Andhra Pradesh): Thank you, Mr. Vice-Chairman. I rise to comment on the President's Address. I regret to say that there have been many failures of the Government and they are not mentioned here at all. Many points are not taken note of. Some of the burning issues of the country are not pinpointed. That is why without these things this is going to be a whitewash of the present national situation. That is what I am going to say. And again, it is true that in the presidential Address communal amity is made the most important issue and that the demolition of the Masjid on 6th December has shaken the fundamental values. It had created menacing atmoshphere in the country. It Says, "The basic premise of secularism and rule of law has been threatened. Political parties, intellectuals, leaders and others, all of them must strive to counter the communal propaganda that has been let loose so that the country can proceed with the task of building the national strong and reasserting our fundamental values". Our fundamental values are sought to be put down or smashed. If that is the menace we are really facing, who is responsible for this? Is it stated anywhere that somebody is responsible? I am thankful to the President for having prompted the Government to take action in defence of the Constitution, secularism and judiciary. But what has happened? What has been happening? Many Congressmen have spoken about this. I patiently heard them. All of them were attacking the BJP. I thank them for that. But what have they been doing? Being the ruling party, what were they doing? How much were they appeasing these communal elements? They must also analyse. We are all prepared to join hands with all secular forces to fight against communalism. But, at the same time, if one party, the biggest party, goes on appeasing the communal elements. How far can we succeed? The menace is such that unless serious efforts are made this communalism cannot be rooted out. That is not mentioned at all the Address and that is not mentioned by many of our friends. No self-criticism, no self-analysis how these things had happened. These things had happened because of certain events which developed on December 6. On Ayodhya a White Paper is given. *The Times of India* has written an editorial comment that it is a whitewash. Why? the responsibility is put on nobody. All these things are simply mentioned there and the responsibility of the Congress, having failed to prevent the demolition, is not mentioned at all. It was before the Central Government. They had to act. They did not act. That is why the demolition took place. So, the question of stating all the facts that is has happened like this or like that is going to be an eye-wash a whitewash. We are seeing things like that. Here, in this Presidential Address also, there is no reference to the BJP, the VHP, the RSS. Who demolished the masjid I say the BJP because the Congressmen—I don't say all Congressmen—the Central Government in particular, have been appeasing the communal elements. The BJP has taken full advantage of it. They have advocated it. They have welcomed it also. Some people, some leaders of the BJP, might be saying this way or that way, but the original thing was that they wanted the

[Shri Moturu Hanumantha Rao]

demolition and they welcomed the demolition. That they cannot deny. Day in and day out the literature coming from their party exposes it. so, these are the conditions under which we are functioning now. The menace is from such an advocacy of demolition of mosques and other things. Why didn't the mention it here? It is a national menace. It is under-estimated by some people. My hon. friend, Mr. Dhawan, was saying like Jan Sangh this would also go down. Only if we act. If we don't act, how can the BJP go down? They have spread their remifications throughout the country. so many people are affected by this Ram Krishna or Babri Masjid. They are trying to divide the nation into two—the Hindus and the Muslims one other minorities also. Such a menace has to be fought with all the required energy at our command. That is not mentioned here at all. The point is: Why have they not mentioned the Shiv Sena? Why has none of our friends also spoken about it? Of course, Mr. Dhawan has mentioned about the deaths and loss of property. Bombay exploded like a volcano. How did it happen? After the December events were over, in January this volcano exploded in two Congress-ruled States, Maharashtra and Gujarat and particularly in Bombay. Why did so many people die? All bigwigs come from Bombay. They are there in our Central Government. Our Defence Minister was there. Our Home Minister was there. The Congress (I) Chief Minister was there. They were acting exactly like Nero. "While Rome was burning Nero was fiddling", that is the saying. They behaved just like that. Under their very eyes thousands of houses were burnt. Nearly 50,000 people were driven out of Bombay and one lakh were rendered homeless. Almost a loss of Rs. 9000 crores was created.

4.00 P.M.

The death toll was 550, much more than that of December. In Gujarat also 250 people were killed. How did all this happen? The Eidtors' Guild has come out with a Resolution. The Editors' Guild blames the Shiv Sena and the Government. It says, "What is alarming and inexplicable is that the authorities have taken no action against such openly provocative propaganda by the pro-Shiv Sena outfit." Shiv Sena leaders were saying that they must celebrated December 6 every month from now onwards. So, It also started round about on January 6 in Bombay. They were trying to carry it forward. They were taking pride that, Shiv Sena was responsible for the demolition of the whole thing. But that Shiv Sena is not mentioned here at all. The Editors' Guild says, "A noteworthy feature was the Muslim citizens had been marked out and a systematic attack on their lives and properties carried out even after the mob violence had abated. The police force on all accounts appeared to have abetted or even aided the Shiv Sena and its allies particularly during the January riots." This is what has happened. The Editors' Guild has passed a resolution against such a thing. Why none of us take note of it? Is it beacuse very big statesmen and leaders come from Bombay and it happened in Bombay? This death toll is bigger than the death toll of December. Yet they don't speak out. What is the point? What is the secret about it? On the other hand they say that the Prime Minister went there and said that it is not a continuation of December 6. What else is it? The Shiv Sena takes pride in demolishing the Babri Masjid and it takes pride in carrying the flag forward. Yet the Congress leaders were saying that this is not a continuation of December 6. It was a continuation, a fascist continuation. So many people were killed but actually they were parading the streets of Bombay in creating terror in everybody, including Tata and other industralists also. They were very much afraid and they came forward but still the Congress Government did not move at all. So, these things are there. I think, it is very bad to miss such things here. It is not mentioned in the President's Address at all. The greatest tragedy has happened and it does not find a place in our President's Address. How can we keep quiet? So, about cooperation of all we are prepared to cooperate, if they act. If they do not act, what is there for cooperation? Now there is a dispute about the Ayodhya issue. There are so

many issues in the courts. It is now referred to the Supreme Court under Article 143 on which the Supreme Court may act or may not act. Why all these disputes were not placed before the Supreme Court for its judgement? Why was it not done? What is the position posed before the Supreme Court? Whether there was a temple under the mosque or not. If the Supreme Court commits itself to saying that there was a temple, what happens to the whole country? There will be a big catastrophe. All the mosques would be demolished and there is a movement for it. They have not kept it secret. I have a newspaper cutting here. I have a newspaper cutting of the *Hindu* which says —I quote: "sadhus now claim the Jama Masjid also. It may be recalled that Swami Vamdev and Swami Muktanand exactly a week ago said at a press conference here that they rejected the Constitution which they described as anti-Hindu." The Constitution has been anti-Hindu. He has also declared that the Sadhus were above the law of the land. He further said that if the Supreme Court says that there was no temple, then they would not abide by the Supreme Court judgement. They would go ahead with the construction. If the Supreme Court says that there was a temple then there would be danger for all the mosques. He has made that clear. The mosque had been demolished by force. It was not surrendered by the Muslims. Stating this, he further added that they would now be made to voluntarily surrender. He said they must now surrender not only the disputed mosques at Varanasi and Mathura but also the Jama Masjid which he said was build on the site of a Vishnu temple. What is going to be the fate of this country which stands for secularism? We stand here for amity and enmity is being created. The whole society is sought to be divided on religious lines. They speak of democracy. They are very eloquent while defining democracy. But what is happening to democracy in Bombay? What is happening to democracy when masjids are sought to be demolished? It is very bad. Where is democracy? Democracy has been divided into Hindu votes and Muslim votes..(*Interruptions*)....

SHRI N. E. BALARAM: They did it in a democratic way...(*interruptions*)...

SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO: They say that they stand for *Hindutva*. That is their slogan. It stands for Hinduism. There has to be a Hindu nation. No minorities should get their rights. The Minorities Commission is unnecessary. Article 370 in Kashmir is unnecessary. Take away everything. Minorities need not be protected at all. In her sweet tongue, Smt. Sushma Swaraj was talking about minorities' protection and all these things. Where is their attitude for protecting minorities? Is it there? On the other hand minorities are asked to subjugate themselves. Either they should abide by Hindu law or they should quite. So all minorities should quit. This is their slogan. They are asking them to quit India. That is going to be Hindu democracy. This is not what we value. This is not what we fought for. Today the real danger if communalism is spreading. This is one thing. They say that so many people were injured. Personally I sympathise with all those people who have been injured. But what about those lakhs of people who were injured and rendered homeless in Bombay and Gujarat? So, the point is, Mr. Vice-Chairman, that they stand not for democracy, not for secularism, not by the Constitution, but they are preparing for a separate Constitution itself. That is what Vamdev says, and the Constitution would be the *Hindutva* Constitution. This was the method followed by Hitler. Acharya Golwalkar advocated it Godse killed Gandhiji — he was Godse's guru, the guru of the RSS which is responsible for the demolition of this mosque — what did he say? He said, "Hitler did the right thing. He wanted Germany for the Germans and that the Jews shouldn't be there; the Jews were driven out. Likewise, in India, the Hindus must live. The Hindus must be the owners of this country. A theocratic State must be created. All other religions must surrender themselves before them. No civic rights also for such people. They cannot claim any civic rights." This is the philosophy under which they are functioning. That is why it is a very dangerous philosophy. It is a menace for

[Shri Moturu Hanumantha Rao]

all our values, the values of democracy, the Constitution, socialism or whatever it is. All the values would be smashed. It is not a natural calamity to be ignored. It is not a natural calamity. It is created by a particular section of the people here. The BJP, the VHP, the RSS and the Bajrang Dal, all of them together have done this. And none of them has even disclaimed it. In so many words, they have accepted such a thing. Since it is a real menace, we will have to fight it out. There is no other way. But what are the Congressmen doing? Are they rallying people? You speak about others' rally. Are you rallying people? Except in Uttar Pradesh, you have not rallied the people behind you, behind secularism and in defence of the Constitution. You have not done anything. So, simply taking some steps administratively and making speeches here and there do not matter much when we are facing a real danger. So, the solution by way of reference to the Supreme Court does not do any good at all. If we do anything either way, it is going to be a dangerous event, dangerous position, for our country. I don't mean to say that all the Hindus are like that. All the Hindus are not like that. A majority of the people are Hindus in our country. They had created this new culture, the culture of democracy, and socialism were created by the people, a majority of whom were Hindus. They were there in the forefront along with so many Muslim and Christian brethren. People like Ambedkar were there. So, it is not easy to get into power by all these slogans. I don't think it is so easy. They cannot do it. But at the same time, unless we do something very seriously to fight this menace, the people would be affected seriously by their propaganda. So, it must be taken care of.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED SIBTEY RAZI): Sir, you have taken your time, about twenty-four minutes.

SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO: How much?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED SIBTEY RAZI): You have already taken twenty-four minutes.

Please try to complete.

SHRI DIPEN GHOSH: You can give up the second speaker..... *(interruptions)* .....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED SIBTEY RAZI): I am not saying that he is not doing *achchi bath.*

SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO: There are so many other failures to mention apart from this burning issue. As regards the economic situation, it is something like a whitewash because while we are walking into a debt trap, the Government is saying that everything is all right. We have got a saying in Telugu, (*Appuchesi pappukoodu.* It means, take loans and make merry. So we are living on loans, both external and internal and that is why certain deficit is made out. You cannot be proud of this. When you take foreign loans, you must see at the same time whether they are helping the people in any way. They are not helping farmers who produce so many commercial crops. There is no market for commercial crops like tobacco, cotton and so many other items. Their prices are going down like anything.

The total external debt as of March, 1992 comes to about Rs. 5,21,474 crores. Out of this, the external debt comes to about Rs. 1,71,000 crores and we have to pay an amount of Rs. 38,000 crores as annual interest on this huge loan. This is the debt trap that we are in and that is not mentioned anywhere. We are indebted for so much money to so many people; that is not mentioned at all. On the other hand, all these things are not helping the common people. Prices have gone up and are going up like anything. Today, they are saying that inflation has come down. But why the wholesale price index has not come down? This index is 231 and it is likely to go up this month or in the coming month. Why did the prices not come down in accordance with the inflation rate? The retail prices are still higher. I do not know how the common people are living. How can they earn their livelihood if the prices are going up even after the Budget? Today's *Hindustan Times* has given an account of how the market is faring, how so many articles are being sold and for what amount they are being sold. Nothing has come down in the market. A cartoon in another paper describes the Finance

Minister's basket as full of concessions. But all these concessions have not helped the starving people. People are really starving and our peasantry is facing innumerable difficulties. For instance, about 400 mandals are drought-affected in Andhra Pradesh. Cotton was sold at Rs. 1,400 a quintal last year. And, Sir, now it is one thousand rupees. Chillies were sold at four thousand rupees and they are sold at sixteen hundred rupees now. The price of groundnuts was Rs. 1,300/- and it is only Rs. 700/- now. Tobacco is not finding a market at all. The price of sugar has been increased, but the price fixed for sugarcane has not been raised at all. The minimum price which they require and which they are demanding is Rs. 39/- per quintal. But that is not given and they are allowed only Rs. 30/- So, like this there are so many things which contribute to the sufferings of the people.

Then, about land reforms so much is spoken. Only the other day one honourable Minister was replying to a question here. In March 1992, they started and they were giving the targets as to when all the surplus lands should be distributed. It is March 1993 now and this distribution work should have been over by now. But nothing has been done and even if it is done, it is not mentioned anywhere. In my own State, I know, nothing has been done. The point here is that it is not only that nothing has been done, but also the Prime Minister's land sale is questioned in a court of law. Today, the "Indian Express" carries the news that the case against the sale of land, about 200 acres of land, by the Prime Minister and his sons has been posted for hearing on the 5th March. So this only proves that not only the will to distribute surplus land is not there, but also bigwigs are involved in avoiding the distribution. This is also there.

The handloom workers are also suffering a lot and they are almost on the verge of starvation. They form part of the rural poor and the rural poor have been demanding a minimum wage structure because the nominal wage structure that is there does not meet their needs. So, they have been demanding a legislation. The agricultural labour in particular has been demanding an all-India legislation under which they can safeguard their interests and they can fight for their rights. But that has not been mentioned in this Address of the President. For all these failures, the Government is responsible and it must face agitations. So many agitations are there and they would be there. What to do? All sorts of diversions are there. The nation is suffering and the common people are suffering. Prices are going up and they are not within the reach of the common people. On the other hand, such issues are forgotten and bigwigs are given so many concessions. They are minting money like anything. For instance, how much have the top ten industrial houses minted in these four years? Thousands of crores of rupees they have earned. But the starvation level among the common people does not improve at all. It is because of the importance of these issues that the working people of the whole country demonstrated on the 25th November, and they are demonstrating now. They were saying that their wages were going down and they were being retrenched under the "Golden Handshake" scheme and they were being sent home with nothing to eat from the next day onwards! That is the "Golden Handshake"! Once he gets some money, he would be satisfied with it for a day or two or for a month or two. But what would happend afterwards? How would his family live? What is the alternative employment provided? No employment potential is there. Actually, everything is only hoped for! I would like to say that the sick industries also can come forward. They can be revived and then they would have a better future. It is being said that under the new economic reforms, our industries would have a properous future and the common people will be benefited. How would they be benefited? I have given some figures to show how they were not benefited, but on the other hand how they are crushed. That is the thing. So, it has become a feature like that. While all of us, all the countrymen, all patriots and all parties put together fight for such human values, fight for such economic grievances and think about emancipating the common man

[Shri Moturu Hanumantha Rao]

from his drudgery, Ayodhya and the Mandir and the Babri Masjid and this and that are taken up. Even supposing the Ramalaya is built on a big scale there, is it going to solve the problems of the common people? Even supposing the Babri Masjid is restored, is it going to save the common people?

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Not at all.

SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO: So, this is the point, and the Ramalaya should not be stressed by Gautamji. So, the question is that the temples have been there. As one of my friends was referring to it, why do you want to take us back to the 16th century? We are in the 20th century. We want to cross and advance towards the 21st century. Technological development is taking place and new culture is there. All these things are before us. Ignoring all these tasks, why should these educated people resort to taking the country backwards to the 16th century and create troubles about those things? History is gone. What is past is past. You cannot restore it. You cannot put the clock backwards. When such is the position, when humanity is advancing, why do you create such things and why do you create riots? I have no religion. I have no belief in God. But still I stand for the amity of all religions. I respect religion. I respect their sentiments. But what are these religious-minded fundamentalists doing? Muslim fundamentalists are also there. In Kerala itself, they have created some trouble. And what are these fundamentalists doing? They are pitting one religion against the other. They say one religious-minded man must kill the other man or be stabbed. What is all this? How is it democracy? How is it culture? How is it advancement of society towards the 21st century? So, to save the humanity, we have to stand together and see that the issues of the common people are taken up and solved.

Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED SIBTEY RAZI): Maulana Asad Madni.

श्री मौलाना असद मदनी (उत्तर प्रदेश): नायब सदर साहब, मैं सदरे जम्हूरिया के खुतबे पर अपनी ताईद के लिए खड़ा हुआ हूं। आज हमारा यह मुल्क जम्हूरियत, दस्तूर, कानून, डिसिप्लिन, ला एंड आर्डर, हर चीज खतरे में है और यह नहीं कहा जा सकता कि अगर यह ताकतें इसी तरह बढ़ती रहीं तो मुल्क का क्या हश्र होगा। तकरीबन पांच सौ साल पहले से बाबरी मस्जिद मस्जिद रही और सन् 1949 तक उसमें आज़ान, नमाज़, बाजमात होती रही। सन् 1947 तक अयोध्या में सात सौ मस्जिदें रिकार्डेड थीं। 6 दिसम्बर को बाबरी मस्जिद कल्याण सिंह के राज और साजिश से पांच बजे शाम तक सिर्फ गुम्बद टूटा था यानी 10 फीसदी के करीब टूटी थी। पांच बजे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यू०पी० के गवर्नर राज में बाकी हिस्सा उसका टूटा और 80-90 फीसदी मस्जिद टूटती रही तकरीबन 36 घंटे तक मूर्तियां हटाई गई फिर दो दिन बाद एक पुख्ता प्लेट फार्म बना कर मूर्तियां नसब कर दी गई और शामियाना वगैरह लगा दिया गया। गवर्नर राज की इजाज़त से दोबारा दर्शन और पूजा वगैरह शुरू कर दी गई। गवर्नर राज में 6 दिसम्बर 6 बजे शाम के बाद सब कुछ गिराया और किसी किस्म की हिफाज़त का इंतज़ाम नहीं किया। न अपने कंट्रोल में लेकर मदाखलत को बंद किया और इसी तरह वहां 26 मस्जिदें तोड़ी। तकरीबन कोई मकान भी किसी मुसलमान का बचा नहीं। सब तोड़े गये, लूटे गये और 10-11 आदमियों की लाशें भी मिलीं। वहां बरबादी हुई। भा०ज०पा० वगैरह ने कोई धार्मिक काम नहीं किया बल्कि हिंदी वोट बैंक पक्का करने के लिए ये तमाम काम रचे। यह पोलिटिक्ल चाल थी उनकी। डा० राधा कृष्णन साहब ने जो साबिक सदरे जम्हूरिया हैं, कहा है कि यहां कोई मन्दिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनायी गयी साबिक खारिजा सेक्रेट्री मिस्टर दुबे ने तारीखी मस्जिद तमस्लीम की है और उसको तोड़ने वालों को दीवानों से ताबीर किया है। मौजूदा सदरे जम्हूरिया ने इन लोगों को एण्टी नेशनल कहा है। बाबरी मस्जिद टूटने के बाद वह जगह फिर भी मस्जिद है। अगर वहां मस्जिद नहीं बना सकते तो फिर किसी और जगह मस्जिद बनाने से कोई मकाफात होने का सवाल पैदा नहीं होता। प्राईम मिनिस्टर साहब ने लाल किले से इस मस्जिद की हर किस्म की हर कीमत पर तहफुज का यकीन दिलाया था। बाबरी मस्जिद की तारीखी हैसियत मुसल्लम है। बल्कि चन्द वर्षों में उसको आलमी मसला बना दिया। सन् 1949 में चोरों की तरफ बुत रख दिये गये थे और पुलिस ने मुसलमानों को नमाज, अजान, जमात वगैरह से जबर्दस्ती रोका और पहरा मुकर्रर किया। अफसोस है कि व्हाइट पेपर में भी उसको ढांचे से ताबीर किया गया है।

14 फरवरी को कल्याण सिंह ने सहारनपुर में तकरीर करते हुए मस्जिद तोड़ने पर पत्र का इजहार किया और

यह कहा कि 18 नवम्बर को प्राइम मिनिस्टर ने एक घंटे तक कोशिश की और कहा कि कागजात देख लिये गये हैं सब कुछ आपके हक में होता जा रहा है। यह तय है कि राम मन्दिर तोड़कर मस्जिद बनी है। कोर्ट से तय कराने के बाद किसी को ऐतराज का हक नहीं रहेगा, मौका नहीं रहेगा। दफा 138 के तहत अब आप दस्तखत कर दीजिए, मगर हम तैयार नहीं हुए और गर्वनर राज में उसी के मुताबिक दफा 138 के मुताबिक नहीं, 143 में रेफर किया गया।

हिंदुस्तान के हिंदू हों या मुसलमान सब हिंदुस्तानी हैं। उनका हर नुक्सान मुल्क का नुक्सान है। मानना जरूरी है। फसादात में दिसम्बर जनवरी में मुल्क में तकरीबन 65 मुकामात पर फसाद हुए। ढाई-तीन हजार के करीब जानी नुक्सान हुआ। लूट और आतिशजनी में तकरीबन 44 हजार मिलियन से ज्यादा का नुक्सान हुआ। राहुल बजाज, अरविन्द मफतलाल की रिपोर्ट है कि जलने से बम्बई में चार हजार करोड़ का नुक्सान हुआ। कारखाने बंद होने से 30 करोड़ का नुक्सान, बम्बई स्टाक एक्सचेंज का 300 करोड़ का नुक्सान, टूरिस्टों के न आने से करोड़ों का नुक्सान। एक्सपोर्ट का सामान न जा सकने से एक हजार करोड़ का नुक्सान, नये आर्डर न मिलने से एक हजार करोड़ का नुक्सान हुआ। ईरान ने भेल का दो हजार करोड़ का ठेका रोक दिया। पार्टियों ने अपने आने के प्रोग्राम कैंसिल कर दिये। बाहर का रुपया लगाने वाले अब झिझक रहे हैं। हिंदुस्तान पूरी दुनिया में बदनाम हो गया। फसादात में हजारों बेकसूर लोगों को गिरफ्तार किया गया। जेलों में सैकड़ों अब भी बंद हैं। बेकसूर गिरफ्तारशुदगान की मार मार कर हड्डियां तोड़ी गयीं, खाने पीने से महरूम रखा गया। कोई और भी लाना चाहता प्राइवेट ताल्लुक पर तो भी नहीं लाने दिया गया। किसी को खाना नहीं दिया गया। कपड़ा बदलने, जख्म धोने, दवा, इलाज नमाज पढ़ने आदि किसी किस्म की सहूलियत नहीं दी गयी।

देवबंद एडमिनिस्ट्रेशन में दारुल उलूम देवबंद जो 1857 के मुजाहिदों ने कायम किया और जो आजादी की लड़ाई में इस मुल्क की तकसीम का मुखालिफ रहा और मुल्क के बड़े बड़े लीडर जहां पैदा हुए, माल्टा में नजरबंद रहे, हजरत शेखुल हिन्द मौलाना महमूदुल हसन, हजरत मौलाना हुसैन अहमद साहब मदनी और दूसरे हजरात हैं, उस दारुल उलूम देवबंद को किसी किस्म की सहूलियत नहीं दी गयी। वहां के मोहतमिम को, आदमियों को, ढाई हजार तुलबा वहां थे, किसी को खाने पीने की सहूलियत के लिए कर्फ्यू पास नहीं दिया गया यहां तक कि प्राईम मिनिस्टर की मदाखलत के बावजूद 10 दिन तक कोई कर्फ्यू पास नहीं मिला और वहां की मशीनरी ने वहां अफवाहें फैलाईं दारुल-उलूम के खिलाफ कोशिश की—चारों तरफ दारुल-उलूम में फर्जी कैसेट बजाए गये, हंगामे की कोशिश की, फिर जाकर झूठ बोले, जगह-जगह पर प्रापेगेंडे किये। बिजनौर में कहा गया कि दारुल-उलूम, देवबंद से यहां रुपया आया है वहां फिसाद कराने के लिए और बम फैंकने के लिए। इसी तरह से जगह-जगह प्रापेगेंडा किये वहां पर मशीनरी ने, ताकि किसी तरीके से तुलबा भड़के और गोलियों से भून दिया जाए।

वह कम्यूनल मशीनरी, वह अफसरान आज भी हमारे वह जनसंघी बैठे हुए हैं और वह जनसंघी गवर्नर साहब रूल कर रहे हैं यू०पी० को और यह तमाम चीजें उन्होंने करवाईं हैं अयोध्या में भी सहारनपुर में यहां के एम०पी० रशीद मसूद साहब गये, तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की कोठी पर चारों तरफ से उनको मुसला फोर्स ने घेर लिया जैसे गोया कोई आतंकवादी आ गया हो और किसी कीमत पर उनके क्षेत्र में फिसाद हुआ था और 23 आदमी पुलिस ने गोलियों से भून दिये थे। यहां तक कि लाश को दफनाने तक की इजाज़त नहीं दी गई और एक लाश को मजबूर होकर कई दिनों कोशिश के बावजूद घर वालों ने घर में दफन किया और किसी तरह का पोस्ट-मार्टम नहीं हुआ। उनको शहर के अंदर नहीं जाने दिया। और तमाम गोया देवबंद में सात मुसलमान मारे गये, एक कातिल भी गिरफ्तार नहीं हुआ, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं, कोई काम नहीं और एक गैर-मुस्लिम परदेसी सात-आठ की दर्म्यानी रात में, जिस दिन वहां गड़बड़ हुई थी, शहर से बाहर जंगल में उसकी लाश पाई गई। अल्लाह जाने क्या शक्ल हुई।

बहरहाल, उस सिलसिले में कहानी बना कर आज भी कई एक मुसलमान जेलों में हैं। उसके कातिल का कुछ पता नहीं, क्या सूरत है। यकतरफा मखतुल में भी इनसाफ नहीं, कातिल में भी इनसाफ नहीं। साजिशें हो रही हैं, अफसरान कर रहे हैं और सभी इसमें मुलव्विस और अफसरान के खिलाफ कोई किसी किस्म का एक्शन नहीं।

यह कहा जाता है कि वे डीमारेलाईज़ हो जायेंगे, जुल्म छोड़ देंगे, फिसाद नहीं होने देंगे, अगर इनके खिलाफ एक्शन लिया गया, इसलिए अफसरान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा ताकि वह डीमारेलाइज़ न हों। रायट्स होते रहें, जुल्म होते रहें, बेकसूर मारे जाएं और कातिल के नाम पर लोगों को पकड़-पकड़ करके—एक बम केस कहीं हो गया, उसमें भी पुलिस कहती है कि यह बेकसूर हैं और टाडा में ले जा करके बंद कर दिया कलेक्टर ने। यह तमाम चीजें हो रही हैं, मज़ालिम हो रहे हैं और सब जनसंघ के अफसरान भरे हुए हैं उन्हीं की मिनिस्ट्री के जमाने से और उन्हीं को रखा जा रहा है और सब कुछ यह कि नहीं

[श्री मौलाना असद मदनी]

यही करेंगे जिस तरीके से। क्यों? इसलिए कि एकतरफा मज़ालिम कर रहे हैं।

तो सहारनपुर में सब कुछ हुआ। इसी तरह बम्बई में कर्फ्यू में मसल्ला कई-कई हजारों के जुलूस आरती के नाम पर निकाले जाते हैं, लाऊडस्पीकर से, इस्तहरात से ऐलान होते जलसे होते, तकरीरें होतीं, पूजा-पाठ सड़कों पर होता, हजारों के जुलूस होते, मुसला जुलूस होते और पुलिस उनकी हिफाजत में कर्फ्यू के अंदर कई-कई घंटे काम करते और वापिसी पर यह लोग लूटमार, आतिशजनी, बमबाजी करते और अगर आग बुझाने के लिए कोई निकल आता, तो फिसादियों की महाफिज़ पुलिस उसको गोलियां मार देती।

संडे मैगेज़ीन ने 31 जनवरी की रिपोर्ट दी है कि पुलिस कंट्रोल रूम में डोंगरी पुलिस से कहा कि क्या हो रहा है, तो जवाब मिला कि दूध तकसीम हो रहा है। तो इस पर कंट्रोल रूम ने कहा कि हम तो मुसलमानों को मुल्क से मार भगाना चाहते हैं और तुम दूध तकसीम कर रहे हो, तुम्हारे खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।

बम्बई उर्दू टाइम्स के रोज़नामा के एडिटर, हारूण रशीद, का बयान है कि फिसादियों के खिलाफ इमदाद के लिए कोई दरवाजा नहीं छोड़ा गया। मगर कहीं से कोई इमदाद नहीं मिली। बमुश्किल सिर्फ जान बचा कर सब कुछ लुटवा करके निकला हूं। यही नहीं, केरल, तमिलनाडु, बंगाल, बिहार और यू०पी० के गैर-मुसलिमों को भी लूटा और मारा, भगाया और धमकियां देकर रकमें ऐंठी गईं।

शिव सेना के बाल ठाकरे एक अखबारी बयान देकर और गैर-मुल्की एजेंसियों को एक इंटरव्यू देकर खुल्लम-खुल्ला बम्बई के पूरे फिसाद की जिम्मेदारी अपने ऊपर और शिव सेना पर कबूल कर चुके हैं। यह कह कर वह आजाद फिर रहे हैं।

खुर्जे में 25 जनवरी को शफीक का कतल हुआ, रिपोर्ट लिखवाई गई कि वह गायब है। और उसका कतल करके दफन कर दिया गया। रिपोर्ट होने के, नामज़द रिपोर्ट होने के बाद 31 जनवरी को नरेश और नानक चंद को गिरफतार किया गया और इकबाले-जुर्म और मजीद तीन अशखास की निशानदेही और लाश जहां दफन की थी, उस जगह की निशानदेही के बाद वह तीनों भी गिरफ्तार हो गये। पुलिस गिरफ्तार कर लाई तो भा०ज०पा० के लोग कर्फ्यू के बावजूद ढाई-तीन हजार की तादाद में दो तारीखों में गए और दूसरी तारीख में हवालात तोड़ कर उन पांचों को रिहा कर लाए और कुछ नहीं किया गया। तो यह सब कुछ एकतरफा हो रहा है। यह ऐसी चीज़ नहीं है, अखबारों में आई है। यह सब नुकसान बहरहाल मुल्क का नुकसान है और हकूमत हरेक शख्स की जान-माल, इज्जत-आबरू हर चीज़ की हिफाज़त की जिम्मेदार है और यह सब कुछ इन तमाम जिम्मेदारियों के बिल्कुल उल्टा हो रहा है और अफसरान कर रहे हैं। मुझसे अभी बड़ौदा के पुलिस कमिश्नर ने यह बात कही। उन्होंने यह बहतरीन काम किया है कि फसाद नहीं होने दिया। मैंने उनको मुबारकबाद दी तो उन्होंने टेलीफोन पर मुझसे कहा कि मदनी साहब, जब तक अफसर इवाल्व न हो या नाअहिल न हो, फसाद नहीं हो सकता। फसाद जब होगा अफसर की मर्जी और इशारे से होगा और मदद से होगा। लेकिन अफसोस हमारी हकूमत किसी भी आफिसर को सस्पेंड करने के लिए तैयार नहीं है, एक्शन लेने को तैयार नहीं है और यह कहा जाता है कि तहकीक करके देखेंगे। जब साबित होगा तब एक्शन लेंगे। किसी आफिसर को कुर्सी पर बैठे हुए मुजरिम तहकीक में साबित करना यह आसान बात नहीं है। यह तो टालने के लिए कहा जाता है। काश्मीर में नेशनल इंटीग्रेशन कौंसिल के इजलास में दसों वर्ष हुए यह कहा था कि डी०एम० और एस०पी० को जिम्मेदार करार दिया जाए, आज तक उस पर अमल नहीं हुआ। जब कभी कहीं मसला मुश्तरक या गैर मुस्लिम के साथ होता है तो घंटे नहीं लगते और फौरन सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन हजारों के कत्ल के बावजूद, करोड़ों की लूटमार और आगज़नी के बावजूद मुसलमानों के मसले में बिल्कुल खुला हुआ इम्तियाज़ है कि कोई एक्शन आफिसरों के खिलाफ नहीं लिया गया और तहकीकात में डाल कर खत्म कर दिया जाता है। 25 फरवरी को भी तो कंट्रोल हुआ और मैं उसके लिए हकूमत को मुबारकवाद देता हूं, मुल्क को बचाया और अगर कंट्रोल न करते तो हकूमत की इंतहाई नाअहिली होती और मुल्क बर्बाद हो जाता। सिंगल साहब ने तो कहा था कि हम निकाल कर रहेंगे और हर-एक आदमी के हाथ में जलूस में पत्थर होगा। यह मौजूद है अखबारी बयान है। फिक्की आडिटोरियम में उन्होंने तकरीर में कहा था। तो कम्युनल फोर्सेस ने अयोध्या...**(व्यवधान)** सोचिए कि पूरे मुल्क के फसाद जुल्म और बर्बादी का मर्कज बना, बदनाम किया, मुंह काला किया। उन्होंने कोई शानदार काम किया हो यह बात उनकी भूल है। तारीख मुआफ नहीं करेगी और रुसवा और जलील किया है। दुश्मन हैं वे अपने धर्म के, महज चंद वोटों के खातिर, कुर्सी की खातिर। मुसलमानों को मुलाज़मतों में दो फीसदी से भी

कम नुमाइंदगी हासिल है जबकि उनकी आबादी में 12 फीसदी से भी ज्यादा इजाफा हुआ है। पार्लियामैंट में भी कम है। प्रोपेगंडा किया जाता है कि मुसलमान कई-कई शादियां करते हैं। सन् 1961 की मर्दमशुमारी की रिपोर्ट से मालूम होता है कि हिन्दू ज्यादा औरतें तनासुब में रखते हैं बनिस्पत मुसलमान के, फिर भी मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगंडा है। बहरहाल यह बात गुजशिता 45 वर्षों में दसों हजार फसादात बीसियों हजार मुसलमान कत्ल हुए और अरबों रुपये की दौलतें लूटीं, मगर कातिलों की गिरफ्तारी, केस, जेल और सजा नहीं हुए। अब भी नहीं हुए क्योंकि गवर्नमेंट मशीनरी फसादियों की हामी और मुहाफिज़ होती है और उन्हीं के इशारे पर उनकी मदद से सारे फसाद होते हैं और गवर्मेंट उन अफसरान को सजा देने के लिए कोई तैयार नहीं है क्योंकि वह डीमारेलाइज हो जायेंगे, फसाद बंद हो जायेंगे, अगर उनके खिलाफ एक्शन ले लिया गया। क्या गवर्नमेंट का यह रवैया कम्युनल और मजरिमाना नहीं है? ...**(व्यवधान)** करप्शन मुल्क में बड़ रही है। करप्शन बहुत बढ़ रही है यहां तक कि लोकल बाडीज़ में अंग्रजों के जमाने से ज्यादा हालत खराब है। हर जगह गंदगी बढ़ रही है। कीड़े-मकोड़े, मक्खी-मच्छर अंधेरा है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। बंगलादेशी के नाम पर यहां बड़े फख्र से दिल्ली में किया गया कि 1 लाख 35 हजार नाम काट दिए गए। मैं दावे से कहता हूं कि 80-90 फसीदी उसमें यू०पी०, बिहार वगैरह के लोग थे जिनके नाम काटे गए और उसकी कार्यवाही होनी जरूरी है। सिर्फ यह कह करके कि बंगलादेशी है सब लोगों को, गैर मुल्की से हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। जो गैर-मुल्की हो, कानून मौजूद है, उसके मुताबिक एक्शन लिया जाय, लेकिन हिन्दुस्तानी लोगों को गैर-मुल्की कहकर इस तरीके से किसी मिस्टेक की वजह से नाम काटा गया है वोटर लिस्ट से तो उसको यह कहना कि गैर-मुल्की है, बंगाली है, बांग्लादेशी है, यह खुराफात नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह मुल्क के साथ भलाई नहीं है। पढ़ो, इसको देखो, समझो, तहकीक करो और रास्ता निकालो। अगर कोई गैर-मुल्की है तो हमारी उसके साथ कतई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हिंदुस्तानियों के साथ यह जुल्म हरगिज नहीं होना चाहिए।

वक्फ तरमीमी बिल हमारे मुल्क में 8—10 साल से पेंडिंग है और गवर्नमेंट कभी कहती है कि इस इजलास में है, कभी कहती है कि उस इजलास में पड़ा है और यह आज तक पेश नहीं हुआ है। इस इजलास में खुद प्राइम मिनिस्टर ने मुझसे वायदा किया था, लेकिन पता नहीं वह इस एजेंडा में शामिल है या नहीं? करोड़ों रुपया सालाना औकाफ के बर्बाद हुए हैं, जायदादें तबाह हो गयीं, नाजायज कब्जे हो रहे हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। इसलिए कि वह वक्फ है कोई तबज्जो नहीं है। वह जल्द पेश होना चाहिए। इसी तरह से दिल्ली में आज तक तमाम जायदादों को गवर्नमेंट ने वक्फ की जायदादों को रेंट कंट्रोल एक्ट से मुस्तसना नहीं किया है। इस किस्म की ज्यादतियां, इम्तियाज खुले-खुले मुसलमानों के साथ बराबर हो रहे हैं। इन मामलात में हुकूमत को तबज्जो देनी चाहिए और जानोमाल, इज्जत-आबरू, तहफ्फुज, कानून और मुल्क को बचाना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इसमें गफ्लत बरती गयी तो मुल्क खराब हो जाएगा। मैं समझता हूं कि यह कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से मुल्क के नौजवान बिखर जाएं, खराब हो जाएं और वह गैर-कानूनी रास्तों को चल दें, उन्हें भूलने का मौका मिले। यह साजिश बहत गहरी है। इस रास्ते से कोई मसला हल होने वाला नहीं है। इससे खराबी कें अलावा और कुछ होनेवाला नहीं है, लेकिन अगर आप इंसाफ नहीं देंगे, कानून नहीं रहेगा और मुल्क के हर हिंदुस्तानी के साथ बराबर मामला नहीं होगा तो फिर कैसे किसे रोका जा सकता है? लोग सुसाइड करेंगे और उस रास्ते से बर्बादी आएगी। इसलिए मुल्क को बचाइए और अपना फर्ज अदा कीजिए व सही रास्ते पर चलिए ताकि मुल्क हर मामले में सही तौर पर चले क्योंकि एक जुल्म से हजार जुल्म पैदा होते हैं और मामलात खराब होते हैं। आज मुसलमान इंतिहाई परेशानी और मुसीबत में है। ऐसे वक्त में इस मामले को न देखना और सही रुख अख्तियार न करना गद्दारों का काम है, झूठ है, बेईमानी है, हरगिज यह मुल्क के साथ वफादारी नहीं है। इसलिए वफादारी का यह तकाजा है कि मुल्क के तमाम बसनेवालों को चैन से, अमन से, सुख से रहने का मौका दिया जाए और मुल्क के दुश्मनों को समझा जाए और उनके साथ कड़ा मामला किया जाए।

इन अल्फाज के साथ मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूं।

اروند۔ مفت لال کی رپورٹیں ہیں کہ جلنے سے بمبئی میں چار ہزار کروڑ کا نقصان ہوا۔ کارخانے بند ہونے سے ۳۰ کروڑ روپے کا نقصان۔ بمبئی اسٹاک ایکسچینج کا ۳۰۰ کروڑ کا نقصان۔ ٹورسٹوں کے نہ آنے سے کروڑوں کا نقصان۔ ایکسپورٹ کا سامان نہ جانے سے ایک ہزار کروڑ کا نقصان نئے آرڈر نہ ملنے سے ایک ہزار کروڑ کا نقصان ہوا۔ ایران نے بھیل کا دو ہزار کروڑ کا ٹھیکہ روک دیا۔ پارٹیوں نے اپنے آنے کے پروگرام کینسل کر دیئے۔ باہر کا روپیہ لگانے والے اب جھجک رہے ہیں۔ ہندوستان پوری دنیا میں بدنام ہو گیا۔ فسادات میں ہزاروں بے قصور لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ جیلوں میں سینکڑوں اب بھی بند ہیں۔ بے قصور گرفتار شدگان کو مار مار کر ہڈیاں توڑی گئیں۔ کھانے پینے سے محروم رکھا گیا۔ کوئی اور بھی لانا چاہتا۔ پرائیویٹ تعلق پر تو بھی نہیں لانے دیا گیا۔ کسی کو کھانا نہیں دیا گیا۔ کپڑے ابدلنے۔ زخم دھونے۔ دوا۔ علاج۔ نماز پڑھنے آدی کسی قسم کی سہولیت نہیں دی گئی۔

دیوبند ایڈمنسٹریشن نے دارالعلوم دیوبند جو ۱۸۵۷ کے مجاہدوں نے قائم کیا اور جو آزادی کی تعبیر کیا گیا۔

۱۴ فروری کو کلیان سنگھ نے سہارنپور میں تقریر کرتے ہوئے مسجد توڑنے پر فخر کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ ۱۸ نومبر کو پرائم منسٹر نے ایک گھنٹہ تک کوشش کی اور کہا کہ کاغذات دیکھ لئے گئے ہیں سب کچھ آپ کے حق میں ہوتا جا رہا ہے۔ یہ طے ہے کہ رام مندر توڑ کر مسجد بنی ہے۔ کورٹ سے طے کرانے کے بعد کسی کو اعتراض کا حق نہیں رہے گا۔ موقع نہیں رہے گا۔ دفعہ ۱۳۸ کے تحت اب آپ دستخط کر دیجئے۔ مگر ہم تیار نہیں ہوئے اور گورنر راج میں اسی کے مطابق دفعہ ۱۳۸ کے مطابق نہیں ۱۴۳ میں ریفر کیا گیا۔

ہندوستان کے ہندو ہوں یا مسلمان سب ہندوستانی ہیں۔ ان کا ہر نقصان ملک کا نقصان ہے۔ ماننا ضروری ہے۔ فسادات میں دسمبر جنوری میں ملک میں تقریباً ۶۵ مقامات پر فساد ہوئے۔ ڈھائی تین ہزار کے قریب جانی نقصان ہوا۔ لوٹ اور آتشزنی میں تقریباً ۴۴ ہزار ملین سے زیادہ نقصان ہوا۔ راہل بجاج

† Transliteration in Arabic Script.

شری مولانا اسعد مدنی "اتر پردیش" نائب صدر صاحب۔ میں صدر جمہوریہ کے خطبہ پر اپنی تائید کے لئے کھڑا ہوا ہوں۔ آج ہمارا یہ ملک جمہوریت۔ دستور۔ قانون۔ ڈسپلن۔ لا اینڈ آرڈر۔ ہر چیز خطرے میں ہے اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اگر یہ طاقتیں اسی طرح بڑھتی رہیں تو ملک کا کیا حشر ہوگا۔ تقریباً پانچ سو سال پہلے سے بابری مسجد مسجد رہی اور سن ۱۹۴۹ تک اس میں اذان۔ نماز با جماعت ہوتی رہی سن ۱۹۴۷ تک ایودھیا میں سات سو مسجدیں ریکارڈ تھیں۔ ۶ دسمبر کو بابری مسجد کلیان سنگھ کے راج اور سازش سے پانچ بجے شام تک صرف گمبد ٹوٹا تھا یعنی دس فیصدی کے قریب ٹوٹی تھی۔ پانچ بجے انہوں نے استعفی دے دیا۔ یو۔ پی کے گورنر راج میں باقی حصّہ اس کا ٹوٹا اور ۸۰۔۹۰ فیصدی مسجد ٹوٹتی رہی تقریباً ۳۶ گھنٹہ تک مورتیاں ہٹائی گئیں پھر دو دن بعد ایک پختہ پلیٹ فارم بنا کر مورتیاں نصب کر دی گئیں اور شامیانہ وغیرہ لگا دیا گیا۔ گورنر راج کی اجازت سے دوبارہ درشن اور پوجا وغیرہ شروع کر دی گئی۔ گورنر راج میں ۶ دسمبر چھ بجے شام کے بعد سب کچھ گرایا اور کسی قسم کی حفاظت کا انتظام نہیں کیا گیا۔ نہ اپنے کنٹرول میں لے کر مداخلت کو بند کیا اور اسی طرح وہاں ۲۶ مسجدیں توڑیں۔ تقریباً کوئی مکان بھی کسی مسلمان کا بچا نہیں۔ سب توڑ دیے گئے۔ لوٹے گئے اور دس گیارہ آدمیوں کی لعشیں بھی ملیں۔ وہاں بربادی ہوئی۔ بھاجپا وغیرہ نے کوئی دھارمک کام نہیں کیا بلکہ ہندو ووٹ بنک پکا کرنے کے لئے یہ تمام کام رچے۔ یہ پولیٹیکل چال تھی انکی۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن صاحب نے جو سابق صدر جمہوریہ ہیں کہا ہے کہ یہاں کوئی مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی۔ سابق خارجہ سیکریٹری مسٹر دوبے نے تاریخی مسجد تسلیم کی ہے اور اس کے توڑنے والوں کو دیوانوں سے تعبیر کیا ہے۔ موجودہ صدر جمہوریہ نے ان لوگوں کو اینٹی نیشنل کہا ہے۔ بابری مسجد ٹوٹنے کے بعد وہ جگہ پھر بھی مسجد ہے اگر وہاں مسجد نہیں بنا سکتے تو پھر کسی اور جگہ مسجد بنانے سے کوئی مکافات ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پرائم منسٹر صاحب نے لال قلعہ سے اس مسجد کی ہر قسم کی ہر قیمت پر تحفظ کا یقین دلایا تھا۔ بابری مسجد کی تاریخی حیثیت مسلّم ہے۔ بلکہ چند ورشوں میں اس کو عالمی مسئلہ بنا دیا گیا۔ سنہ ۱۹۴۹ میں چوروں کی طرح بت رکھ دیئے گئے تھے اور پولیس نے مسلمانوں کو نماز۔ اذان۔ جماعت وغیرہ سے زبردستی روکا اور پہرہ مقرر کیا۔ افسوس ہے کہ وہائٹ پیپر میں بھی اس کو ڈھانچہ سے

† Transliteration in Arabic Script.

گئے تو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی کوٹھی پر چاروں طرف سے مسلح فورس نے گھیر لیا جیسے گویا کوئی آتنکوادی آ گیا ہو اور کسی قسمت پر انکے اکشیتر میں فساد ہوا تھا اور ۲۳ آدمیوں کو پولیس نے گولیوں سے بھون دیے تھے۔ یہاں تک کہ لعش کو دفنانے تک کی اجازت نہیں دی گئی اور ایک لعش کو مجبور ہو کر کئی دنوں کوشش کے باوجود گھر والوں نے گھر میں دفن کیا۔ اور کسی طرح کا پوسٹ مارٹم نہیں ہوا۔ ان کو شہر کے اندر نہیں جانے دیا اور تمام گویا دیوبند میں سات مسلمان مارے گئے۔ ایک قاتل بھی گرفتار نہیں ہوا۔ کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں کوئی کام نہیں اور غیر مسلم پردیسی سات آٹھ کی درمیانی رات میں جس دن وہاں گڑبڑ ہوئی تھی شہر سے باہر جنگل میں اس کی لعش پائی گئی۔ اللہ جانے کیا شکل ہوئی۔

بہرحال۔ اس سلسلے میں کہانی بنا کر آج بھی کئی ایک مسلمان جیلوں میں ہیں اس کے قاتل کا کچھ پتہ نہیں کیا صورت ہے۔ یک طرفہ مقتول میں بھی انصاف نہیں اور قاتل میں بھی انصاف نہیں۔ سازشیں ہو رہی ہیں۔ افسران کر رہے ہیں اور سبھی اس میں ملوث اور افسران کے خلاف کوئی کسی قسم کا ایکشن نہیں۔

لڑائی میں اس ملک کی تقسیم کا مخالف رہا اور ملک کے بڑے بڑے لیڈر جہاں پیدا ہوئے۔ مالٹا میں نظر بند رہے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی اور دوسرے حضرات ہیں۔ اس دارالعلوم دیوبند کو کسی قسم کی سہولیت نہیں دی گئی۔ وہاں کے مہتمم کو۔ آدمیوں کو۔ ڈھائی ہزار طلبا وہاں تھے کسی کو کھانے پینے کی سہولیت کے لیے کرفیو پاس نہیں دیا گیا۔ یہاں تک کے پرائم منسٹر کی مداخلت کے باوجود دس دن تک کوئی کرفیو پاس نہیں ملا۔ اور وہاں کی مشینری نے وہاں افواہیں پھیلائیں۔ دارالعلوم کے خلاف کوشش کی چاروں طرف دارالعلوم میں فرضی کیسٹ بجائے گئے۔ ہنگامے کی کوشش کی۔ پھر جا کر جھوٹ بولے۔ جگہ جگہ پر پروپیگنڈہ کیا۔ بجنور میں کہا گیا کہ دارالعلوم دیوبند سے یہاں روپیہ آیا ہے وہاں فساد کرانے کیلیے اور بم پھینکنے کے لیے۔ اسی طرح سے جگہ جگہ پروپیگنڈے کیے وہاں پر مشینری نے۔ تاکہ کسی طریقہ سے طلبا بھڑکیں اور گولیوں سے بھون دیا جائے۔

— وہ کمیونل مشینری۔ وہ افسران آج بھی ہمارے وہ جن سنگھی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جن سنگھی گورنر صاحب رول کر رہے ہیں یو۔ پی کو اور یہ تمام چیزیں انھوں نے کروائی ہیں ایودھیا میں بھی۔ سہارنپور میں یہاں کے ایم۔ پی رشید مسعود صاحب

† Transliteration in Arabic Script.

سنڈے میگزین نے ۳۱ جنوری کی رپورٹ دی ہے کہ پولیس کنٹرول روم میں ڈونگری پولیس سے کہا کہ کیا ہو رہا ہے تو جواب ملا کہ دودھ تقسیم ہو رہا ہے تو اس پر کنٹرول روم نے کہا کہ ہم تو مسلمانوں کو ملک سے مار بھگانا چاہتے ہیں اور تم دودھ تقسیم کر رہے ہو۔ تمہارے خلاف کارروائی کی جائے گی۔

بمبئی اردو ٹائمز کے روزنامہ کے ایڈیٹر "ہارون رشید" کا بیان ہے کہ فسادیوں کے خلاف امداد کے لئے کوئی دروازہ نہیں چھوڑا گیا مگر کہیں سے کوئی امداد نہیں ملی۔ بمشکل صرف جان بچا کر سب کچھ لٹوا کر کے نکلا ہوں۔ یہی نہیں کیرل، تامل ناڈو بنگال، بہار اور یوپی کے غیر مسلموں کو بھی لوٹا اور مارا بھگایا اور دھمکیاں دے کر رقمیں اینٹھیں گئیں شو سینا کے بال ٹھاکرے ایک اخباری بیان دے کر اور غیر ملکی ایجنسیوں کو ایک انٹرویو دیکر کھلم کھلا بمبئی کے پورے فساد کی ذمہ داری اپنے اوپر اور شو سینا پر قبول کر چکے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ آزاد پھر رہے ہیں۔

خورجہ میں ۲۵ جنوری کو شفیق کا قتل ہوا رپورٹ لکھوائی گئی کہ وہ غائب ہے اور اس کا قتل کر کے دفن کر دیا گیا۔ رپورٹ ہونے کے۔ نامزد ظلم چھوڑ دیں گے۔ فساد نہیں ہونے دیں گے۔ اگر ان کے خلاف ایکشن لیا گیا۔ اس لئے افسران کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا تاکہ وہ ڈیمورلائز نہ ہوں۔ رائٹس ہوتے رہیں۔ ظلم ہوتے رہیں۔ بے قصور مارے جائیں اور قاتل کے نام پر لوگوں کو پکڑ پکڑ کر کے۔ ایک بم کیس کہیں ہو گیا۔ اس میں بھی پولیس کہتی ہے کہ یہ بے قصور ہیں اور ٹاڈا میں لے جا کر کے بند کر دیا۔ کلکٹر نے یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں مظالم ہو رہے ہیں اور سب جن سنگھ کے افسران بھرے ہوئے ہیں۔ انہی کی منسٹری کے زمانے سے اور انہی کو رکھا جا رہا ہے اور سب کچھ یہ کہ نہیں۔ یہی کریں گے جس طریقہ سے۔ کیوں۔ اس لئے کہ یکطرفہ مظالم کر رہے ہیں۔ تو سہارنپور میں سب کچھ ہوا اسی طرح بمبئی میں کرفیو میں مسلح کئی کئی ہزار کے جلوس آرتی کے نام پر نکالے جاتے ہیں لاؤڈ اسپیکر سے۔ اشتہارات سے اعلان ہوتے ہیں۔ جلسے ہوتے ہیں۔ تقریریں ہوتی ہیں۔ پوجا پاٹھ سڑکوں پر ہوتا ہزاروں کے جلوس ہوتے مسلح جلوس ہوتے اور پولیس انکی حفاظت میں کرفیو کے اندر کئی کئی گھنٹہ کام کرتے اور واپسی پر یہ لوگ لوٹ مار۔ آتشزنی بمبازی کرتے اور اگر آگ بجھانے کیلئے کوئی نکل آتا تو فسادیوں کی محافظ پولیس اس کو گولیاں مار دیتی۔

† Transliteration in Arabic Script.

رپورٹ ہونے کے بعد ۱۴ جنوری کو نریش اور نانک چند کو گرفتار کیا گیا اور اقبال جرم اور مزید تین اشخاص کی نشاندہی اور نعش جہاں دفن کی تھی اس جگہ کی نشاندہی کے بعد وہ تینوں بھی گرفتار ہو گئے۔ پولیس گرفتار کرلائی تو بھاجپا کے لوگ کرفیو کے باوجود ڈھائی تین ہزار کی تعداد میں دو تاریخوں میں گئے اور دوسری تاریخ میں حوالات توڑ کر ان پانچوں کو رہا کرا لائے اور کچھ نہیں کیا گیا تو یہ سب کچھ ایک طرفہ ہو رہا ہے یہ ایسی چیز نہیں ہے اخباروں میں آئی ہے۔ یہ سب نقصان بہر حال ملک کا نقصان ہے اور حکومت ہر ایک شخص کی جان مال عزت آبرو ہر چیز کی حفاظت کی ذمہ دار ہے اور یہ سب کچھ ان تمام ذمہ داریوں کے باوجود بالکل الٹا ہو رہا ہے اور افسران کر رہے ہیں مجھ سے ابھی بڑودہ کے پولیس کمشنر نے یہ بات کہی انہوں نے یہ بہترین کام کیا ہے کہ فساد نہیں ہونے دیا میں نے ان کو مبارکباد دی تو انہوں نے ٹیلی فون پر مجھ سے کہا کہ مدنی صاحب جب تک افسر انوالو نہ ہوں یا نااہل نہ ہوں فساد نہیں ہو سکتا۔ فساد جب ہوگا افسر کی مرضی اور اشارہ سے ہوگا اور مدد سے ہوگا۔ لیکن افسوس ہماری حکومت کسی بھی افسر کو سسپینڈ کرنے کیلئے تیار نہیں ہے۔ ایکشن لینے کو تیار نہیں ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ تحقیق کرکے دیکھیں گے۔ جب ثابت ہوگا تب ایکشن لیں گے۔ کسی آفیسر کو کرسی پر بیٹھے ہوئے مجرم تحقیق میں ثابت کرنا یہ آسان بات نہیں ہے۔ یہ تو ٹالنے کے لئے کہا جاتا ہے کشمیر میں نیشنل انٹیگریشن کاؤنسل کے اجلاس میں دسوں ورکس ہوتے یہ کہا تھا کہ ڈی ایم اور ایس پی کو ذمہ دار قرار دیا جائے آج تک اس پر عمل نہیں ہوا۔ جب کبھی کوئی مسئلہ مشترک یا غیر مسلم کے ساتھ ہوتا ہے تو گھنٹے نہیں لگتے اور فوراً سسپینڈ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ہزاروں کے قتل کے باوجود۔ کروڑوں کی لوٹ مار اور آگ زنی کے باوجود مسلمانوں کے مسئلہ میں بالکل کھلا ہوا امتیاز ہے کہ کوئی ایکشن افسروں کیخلاف نہیں لیا گیا اور تحقیقات میں ڈال کر ختم کر دیا جاتا ہے۔ ۲۵، فروری کو بھی تو کنٹرول ہوا اور میں اس کے لئے حکومت کو مبارکباد دیتا ہوں ملک کو بچایا اور اگر کنٹرول نہ کرتے تو حکومت کی انتہائی نااہلی ہوتی اور ملک برباد ہو جاتا۔ سنگھل صاحب نے تو کہا تھا کہ ہم نکال کر رہیں گے اور ہر ہر آدمی کے ہاتھ میں جلوس میں پتھر ہوگا۔ یہ موجود ہے اخباری بیان ہے۔ فکی آڈیٹوریم میں انہوں نے تقریر میں کہا تھا تو کمیونل فورسز نے ایودھیا ... "مداخلت" ... سوچئے کہ پورے ملک کے فساد ظلم اور بربادی کا مرکز بنا۔ بدنام کیا۔ منہ کالا کیا۔ انہوں نے کوئی شاندار کام کیا ہو یہ

† Transliteration in Arabic Script.

باڈیز میں انگریزوں کے زمانے سے زیادہ حالت خراب ہے۔ ہر جگہ گندگی بڑھ رہی ہے۔ کیڑے مکوڑے مکھی مچھر۔ اندھیرا ہے بجلی نہیں ہے پانی نہیں ہے۔ بیماریاں بڑھتی جارہی ہیں بنگلہ دیشی کے نام پر یہاں بڑے فخر سے دلّی میں کیا گیا کہ ایک لاکھ پینتیس ہزار نام کاٹ دیئے گئے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ۸۰-۹۰ فیصد اس میں یو۔پی۔ بہار وغیرہ کے لوگ تھے۔ جن کے نام کاٹے گئے اور اس کی کارروائی ہونی ضروری ہے۔ صرف یہ کہہ کر کہ بنگلہ دیشی ہیں سب لوگوں کو غیر ملکی سے ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے۔

جو غیر ملکی ہو۔ قانون موجود ہے اس کے مطابق ایکشن لیا جائے۔ لیکن ہندوستانی لوگوں کو غیر ملکی کہہ کر اس طریقہ سے کسی مسٹیک کی وجہ سے نام کاٹا گیا ہے ووٹر لسٹ سے تو اس کو یہ کہنا کہ غیر ملکی ہے۔ بنگالی ہے بنگلہ دیشی ہے یہ خرافات نہیں ہونی چاہیئے۔ کیونکہ یہ ملک کے ساتھ بھلائی نہیں ہے۔ پڑھو۔ اسکو دیکھو۔ سمجھو۔ تحقیق کرو اور راستہ نکالو۔ اگر کوئی غیر ملکی ہے تو ہماری اس کے ساتھ قطعی دلچسپی نہیں ہے لیکن ہندوستانیوں کے ساتھ یہ ظلم ہرگز نہیں ہونا چاہیئے۔

وقف ترمیمی بل ہمارے ملک میں آٹھ بات انکی بھول ہے۔ تاریخ معاف نہیں کرے گی اور رسوا اور ذلیل کیا ہے۔ دشمن ہیں وہ اپنے دھرم کے محض چند ووٹوں کی خاطر۔ کرسی کی خاطر مسلمانوں کو ملازمتوں میں ۲ فیصدی سے بھی کم نمائندگی حاصل ہے جبکہ انکی آبادی میں ۱۲ فیصدی سے بھی زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ پارلیمنٹ میں بھی کم ہے۔ پروپیگنڈہ کیا جاتا ہے کہ مسلمان کئی کئی شادیاں کرتے ہیں۔ سنہ ۱۹۶۱ کی مردم شماری کی رپورٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندو زیادہ عورتیں تناسب میں رکھتے ہیں بنسبت مسلمانوں کے۔ پھر بھی مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈہ ہے۔ بہرحال یہ بات گزشتہ ۴۵ ورشوں میں دسوں ہزار فسادات بیسیوں ہزار مسلمان قتل ہوئے اور اربوں روپے کی دولت لٹی۔ مگر قاتلوں کی گرفتاری کبھی جیل اور سزا نہیں ہوئے۔ اب بھی نہیں ہوئے کیونکہ گورنمنٹ مشینری فسادیوں کی حامی اور محافظ ہوتی ہے اور انہی کے اشارہ پر انکی مدد سے سارے فساد ہوتے ہیں اور گورنمنٹ ان افسران کو سزا دینے کے لئے کوئی تیار نہیں ہے۔ کیونکہ وہ ڈیموریلائز ہو جائیں گے۔ فساد بند ہو جائیں گے اگر ان کے خلاف ایکشن لے لیا گیا۔ کیا گورنمنٹ کا یہ رویہ کمیونل اور مجرمانہ نہیں ہے۔۔۔۔

"مداخلت"۔۔۔ کرپشن ملک میں بڑھ رہا ہے کرپشن بہت بڑھ رہی ہے یہاں تک کہ لوکل

† Transliteration in Arabic Script.

چل دیں۔ انہیں بھولنے کا موقع ملے۔ یہ سازش بہت گہری ہے۔ اس راستے سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے اس سے خرابی کے علاوہ اور کچھ ہونے والا نہیں ہے لیکن اگر آپ انصاف نہیں دیں گے۔ قانون نہیں رہے گا اور ملک کے ہر ہندوستانی کے ساتھ برابر کا معاملہ نہیں ہوگا تو پھر کیسے کسے روکا جا سکتا ہے۔ لوگ سوسائیڈ کریں گے۔ اور اس راستے سے بربادی آئے گی۔ اس لئے ملک کو بچائیے اور اپنا فرض ادا کیجئے اور صحیح راستے پر چلئے تاکہ ملک ہر معاملے میں صحیح طور پر چلے کیونکہ ایک ظلم سے ہزار ظلم پیدا ہوتے ہیں اور معاملات خراب ہوتے ہیں آج مسلمان انتہائی پریشانی اور مصیبت میں ہیں ایسے وقت میں اس معاملہ کو نہ دیکھنا اور صحیح رخ اختیار نہ کرنا غداروں کا کام ہے جھوٹ ہے بے ایمانی ہے۔ ہرگز یہ ملک کے ساتھ وفاداری نہیں ہے اس لئے وفاداری کا یہ تقاضہ ہے کہ ملک کے تمام بسنے والوں کو چین سے۔ امن سے سکھ سے رہنے کا موقع دیا جائے اور ملک کے دشمنوں کو سمجھا جائے اور ان کے ساتھ کڑا معاملہ کیا جائے۔

ان الفاظ کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔

دس سال سے پینڈنگ ہے اور گورنمنٹ کبھی کہتی ہے کہ اس اجلاس میں ہے۔ کبھی کہتی ہے اس اجلاس میں پڑا ہے اور یہ آج تک پیش نہیں ہوا ہے۔ اس اجلاس میں خود پرائم منسٹر نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ لیکن پتہ نہیں وہ اس ایجنڈہ میں شامل ہے یا نہیں۔ کروڑوں روپے سالانہ اوقاف کے برباد ہو رہے ہیں جائدادیں تباہ ہو گئیں۔ ناجائز قبضہ ہو رہے ہیں۔ لیکن کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اس لئے کہ وہ وقف ہے کوئی توجہ نہیں ہے۔ وہ جلد پیش ہونا چاہیئے اسی طرح دلی میں آج تک تمام جائدادوں کو گورنمنٹ نے وقف کی جائدادوں کو رینٹ کنٹرول ایکٹ سے مستثنیٰ نہیں کیا ہے۔ اس قسم کی زیادتیاں امتیاز کھلے کھلے مسلمانوں کے ساتھ برابر ہو رہا ہے۔ اس معاملات میں حکومت کو توجہ دینی چاہیئے۔ اور جان و مال عزت آبرو۔ تحفظ۔ قانون اور ملک کو بچانا چاہیئے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر اس میں غفلت برتی گئی تو ملک خراب ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طریقہ سے ملک کے نوجوان بکھر جائیں خراب ہو جائیں اور وہ غیر قانونی راستوں کو

† Transliteration in Arabic Script.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज): पीठासीन हुई।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज): श्री सत्य प्रकाश मालवीय।

SHRI YASHWANT SINHA (BIHAR): Madam, what is happening to the statement of the Home Minister?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): At five o'clock. *(Interruptions)*...

SHRI YASHWANT SINHA: What exactly is the time?

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज): समय 4.45 तय हुआ था लेकिन अभी सूचना आई है कि वह सवा 5 बजे पहुंच रहे हैं।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRIMATI MARGARET ALVA): I believe, at the Business Advisory Committee it was agreed that it would be at 5.15 p.m. The Home Minister came here and went away.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): It is at 5.15 p.m.

SHRIMATI MARGARET ALVA: That's what I am told. That's the time that the Business Advisory Committee has given..... *(Interruptions)*

SHRI YASWANT SINHA: We didn't say 5.15 p.m. It could be anytime between 4.45 p.m. and 5.00 p.m. That's why I said so.... *(Interruptions)*

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज): तब तक मालवीय जी प्रारंभ करें।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी द्वारा जो अभिभाषण संसद के संयुक्त अधिवेशन में 22 फरवरी को दिया गया था जोकि सरकार की नीतियों व केन्द्र सरकार के कार्यकलापों के संबंध में है और इस अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव है, उसका मैं विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस संबंध में मैंने अपने 51 संशोधन दिए हैं और अगर ये संशोधन स्वीकार हो जाएंगे तो मैं सोचूंगा कि इसका विरोध करूं या न करूं।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण के पैराग्राफ-2 में कहा था कि हमारे सामने आज सबसे महत्वपूर्ण कार्य लोगों के मन में उस विश्वास और सांप्रदायिक सौहार्द को फिर से स्थापित करना है जिसे पिछले वर्ष 6 दिसंबर और उसके तत्काल बाद घटित दुखद घटनाओं के कारण गहरा धक्का लगा है। धर्मनिरपेक्षता और विधि की सर्वोच्च सत्ता जैसी आधारभूत बातों को भी अब खतरा पैदा हो गया है। राजनीतिक दलों, बुद्धिजीवियों, प्रभावशाली नेताओं और अन्य प्रभावी लोगों को इस बढ़ते हुए सांप्रदायिक कुप्रचार को रोकने के लिए मिलकर विरोध करना चाहिए, ताकि हम राष्ट्र निर्माण के कार्य में लग सकें और अपने आधारभूत मूल्यों को अक्षुण्ण बनाए रख सकें। हमें साम्प्रदायिक सद्भाव की भावना को, जो कि सदैव ही हमारे समाज की विशेषता रही है, और अधिक मजबूत करना होगा।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा आरोप यह है कि अगर केन्द्र सरकार सजग रही होती, अपने कर्त्तव्यों का और अपने अधिकारों का पालन समय रहते करती तो 6 दिसंबर की यह दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक घटना जो घटी है, उस घटना को होने से बचाया जा सकता था। मेरा आरोप यह भी है कि घटना घटी है, इसकी ज्यादा जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है, इस देश के प्रधानमंत्री और इस देश के गृहमंत्री की है। मैं अपनी बात शुरू करूंगा कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव-घोषणा पत्र है उससे, जब वर्ष 1991 में चुनाव हो रहे थे तो उस वक्त इस देश के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी थे और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी थे, उन्होंने अपने चुनाव घोषणापत्र में बाबरी मस्जिद-रामजन्म भूमि के लिए वायदा किया था कि यह जो विवादित ढांचा है, इसकी पूरी सुरक्षा करेंगे और कोशिश करेंगे कि मामले का हल आपस में बैठकर बातचीत से हो। ठीक इसी प्रकार 15 अगस्त, 1992 को जब लाल किले से प्रधानमंत्री जी का भाषण हुआ देश की जनता के नाम तो वहां पर उन्होंने वायदा किया था, आश्वासन दिया था कि जो बाबरी मस्जिद का ढांचा है उसकी पूरी सुरक्षा करेंगे। यह वायदा उन्होंने देशवासियों के सामने, इस देश की जनता के सामने किया था। लेकिन, भारतीय जनता पार्टी के लोग वर्ष 1991 में चुनाव लड़ रहे थे, उनका कहना था अपने चुनाव घोषणा पत्र में कि—

> "BJP firmly believes that construction of Shri Ram Mandir at Janmasthan is a symbol of the vindication of our cultural heritage and national self-respect. For BJP it is purely a national issue and it will not allow any vested interests to give it a sectarian and communal colour. Hence Party is committed to build Shri Ram Mandir at

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

> Janmasthan by relocating the superimposed Babri structure with due respect."

भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता के सामने अपने चुनाव घोषणा पत्र में ही इस बात को कह दिया था कि जो बाबरी ढांचा है उसको सम्मान पूर्वक हटाकर हम दूसरी जगह से जाएंगे और बराबर इस बात को वह कहते थे कि हमारे लिए यह आस्था का प्रश्न है और आस्था के प्रश्न में न कानून का राज चलेगा और न संविधान चलेगा। फिर, 6 दिसंबर को क्या हुआ? प्रधानमंत्री ने 6 दिसंबर की घटना के ठीक बाद कहा— "We have been betrayed by a party. "तो मुझे याद आ गई जवाहर लाल नेहरू की वह बात, जब चीन ने इस देश पर हमला किया था तो जवाहर लाल जी ने कहा था— "We have been betrayed by a treacherous neighbour."

ठीक उसी बात को प्रधानमंत्री जी ने दोहराया है। मेरा यह कहना है कि प्रधानमंत्री जी ने, कांग्रेस पार्टी ने इस देश के साथ विश्वासघात किया, इस देश की जनता के साथ धोखा किया, उनको धोखा मिला नहीं बल्कि जानबूझकरके उन्होंने धोखा खाया।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अयोध्या पर जो श्वेतपत्र है, उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें 01 दिसंबर, 1992 को श्री लालकृष्ण आडवाणी जी के संबंध में कहा गया है कि कारसेवा का अर्थ भजन और कीर्तन नहीं होता और कहा कि 2.77 एकड़ अधिग्रहीत भूमि पर कारसेवा ईंट और कुदालों से की जाएगी। ठीक इसी प्रकार 01 दिसंबर को डा० जोशी जी के लिए कहा गया है, जो इस सदन के सदस्य हैं, उन्होंने 01 दिसंबर को मथुरा में लोगों से अयोध्या में कारसेवा में बड़ी संख्या में शामिल होने तथा कथित बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने की अपील की। फिर विष्णु हरि डालमिया का है कि 8 नवंबर, 1992 को ही उन्होंने कह दिया था, उन्होंने घोषणा की कि रामजन्म भूमि मंदिर का निर्माण उसी तरह किया जाएगा, जिस तरह बाबर ने ध्वस्त किया था। कारसेवक नेताओं पर बल डाल रहे हैं, उन्हें रामजन्म भूमि मंदिर के निर्माण की बजाय मस्जिद को गिराने के लिए बुला लिया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने 1991 के मई और जून से लेकर 1992 तक बराबर इस बात को कहा कि मस्जिद को ध्वस्त करेंगे, मस्जिद को हम हटाएंगे या मस्जिद को हम गिराएंगे। 6 दिसंबर को एक गुम्बद गिरा, दूसरा गुम्बद गिरा और फिर तीसरा गुम्बद गिरा और केन्द्रीय सरकार पूरी तरह से लकवाग्रस्त थी। अब प्रधान मंत्री ने अपने बचाव में यह कहा कि संविधान में संशोधन होना चाहिए, संविधान के अनुच्छेद 356 में संशोधन होना चाहिए और ऐसा भाषण उन्होंने बाहर भी दिया और लोक सभा के अंदर भी दिया। मैं माननीय उपसभाध्यक्ष जी, संविधान के अनुच्छेद 355 की ओर तथा 365 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेरा आरोप यह है कि अगर समय रहते केन्द्रीय सरकार ने अपने कर्तव्यों का पालन किया होता, अपने अधिकारों का प्रयोग किया होता और अपने दायित्व का निर्वाह किया होता तो बाबरी मस्जिद का ढांचा आज भी वहां बरकरार होता और 6 दिसम्बर के बाद जो घटनाएं घटीं— चाहे बम्बई में घटी हों, चाहे महाराष्ट्र में घटी हों, गुजरात में घटी हों, सूरत में घटी हों या उत्तर प्रदेश के कानपुर में, बनारस में, फैजाबाद में बाराबंकी में घटी हों, जिनमें हजारों-हजारों लोगों का कत्लेआम हो गया, उनको बचाया जा सकता था। माननीया उपसभाध्यक्षा जी, संविधान के अनुच्छेद 355 में कहा गया है:—

"Duty of the Union to protect States against external aggression and internal disturbance—It shall be the duty of the Union to protect every State against external aggression and internal disturbance and to ensure that the Government of every State is carried on in accordance with the provisions of this Constitution."

मेरा यह कहना है कि जब बराबर एक पार्टी के लोग, चाहे विश्व हिन्दू परिषद के रहे हों, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के रहे हों, बजरंग दल के रहे हों या भारतीय जनता पार्टी के रहे हों, जब बराबर इस बात को कह रहे थे कि हम वहां पर इकट्ठे होंगे और उस ढांचे को गिराने का काम करेंगे, उसे ध्वस्त करने का काम करेंगे तो क्यों नहीं केन्द्र सरकार ने समय रहते अनुच्छेद 355 के अंतर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग किया? अगर केन्द्र सरकार अपने अधिकारों का प्रयोग करती तो मैं फिर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा अनुच्छेद 365 की ओर:—

> "Effect of failure to comply with, or to give effect to, directions given by the Union—Where any State has failed to comply with, or to give effect to any directions given in the exercise of the executive power of the Union under any of the provisions of this Constitution, it shall be lawful for the President to hold that a situation has arisen in which the Government of the State cannot be carried on in accordance with the provisions of this Constitution."

अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करना अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करना और प्रधान मंत्री बनते समय वर्तमान प्रधान मंत्री ने संविधान के अंतर्गत जो शपथ ली थी, उन्होंने उसको भी भंग किया है। इसलिए मेरी मांग है कि वर्तमान प्रधान मंत्री संविधान के अंतर्गत प्रधान

मंत्री पद पर बने रहने के लिए अयोग्य हो गए हैं और उनको प्रधान मंत्री के पद से स्वयं चले जाना चाहिए।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, जब संविधान सभा में बहस हो रही थी, उस समय आजकल का जो अनुच्छेद 355 है, यह उस समय अनुच्छेद 277-A था और उस समय भी संविधान सभा में बोलते हुए श्री एच०वी० कामथ ने इस बात की ओर देश का, देश की जनता का और संविधान सभा के सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया था। 3 अगस्त, 1949 को जब इस पर बहस हो रही थी उहोंने कहा था:—

Shri H.V. Kamath, a very able Parliamentarian, said this on 3rd August, 1949.

"Now, coming to Article 277A, we have laid, according to this Article, certain duties upon the Union Government. Firstly, it should defend every constituent unit against any external aggression. Secondly, it should protect the State against internal disturbance. I suppose Dr. Ambedkar and the Drafting Committee means that the Union Government should prevent any internal disturbance from occurring in the State. Lastly, a duty is laid upon the Union Government to see that the Government of every State is carried on in accordance with the provisions of the Constitution. As regards the last, I am whole-heartedly in agreement with the provisions that the Union Government should make it a point to see that every State honours and observes the Constitution in letter as well as in spirit."

5.00 P.M.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज): मालवीय जी, गृह मंत्री जी आ गए हैं। अब हम पांच बजे उनको स्टेटमेंट लेलें, फिर उसके बाद आप अपनी बात जारी रखें। गृह मंत्री जी।

STATEMENT BY MINISTER

Orders issued by Election Commission of India to Tripura Government to take action against Certain Officers

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S.B. CHAVAN): Madam Vice-Chairperson,

I had made a statement in the Lok Sabha regarding holding of general elections in Tripura and matters connected therewith on 1st March, 1993. Some Hon'ble Members had raised points regarding the orders passed by the Election Commission of India on 27 February, 1993 and 1 March, 1993 and the continuation of the care-taker Ministry in Tripura.

The Election Commission vide its letter dated 27 February 1993 directed the State Government—

(a) to take disciplinary action against certain police officers mentioned in the said order and to complete the said action before 21 March 1993 under initimation to the Commission; and

(b) to remove forthwith the District level officers and the officers below the District level mentioned in the said order from posts connected with the election duties under intimation to the Commission.

By its order dated 1 March, 1993, the Election Commission in amplification of its order of 27 February 1993 directed that disciplinary action should also be taken forthwith against all personnel of any and all Government Departments other than the police especially (but not restricted) to officers of the general administration, such as District Magistrates, Sub-Divisional Magistrates etc. who were present in the party meetings, in addition to officers of the police as already directed. The action is required to be completed by 21 March 1993 under intimation to the Commission. The Commission has further directed that all such officers must be removed forthwith from all and any work connected with the election duties.

The Election Commission has clearly indicated that the responsibility of implementation of these orders lies